खण्ड-416, अंक-2
सोमवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1917
(17 जुलाई, 1995 ई0)

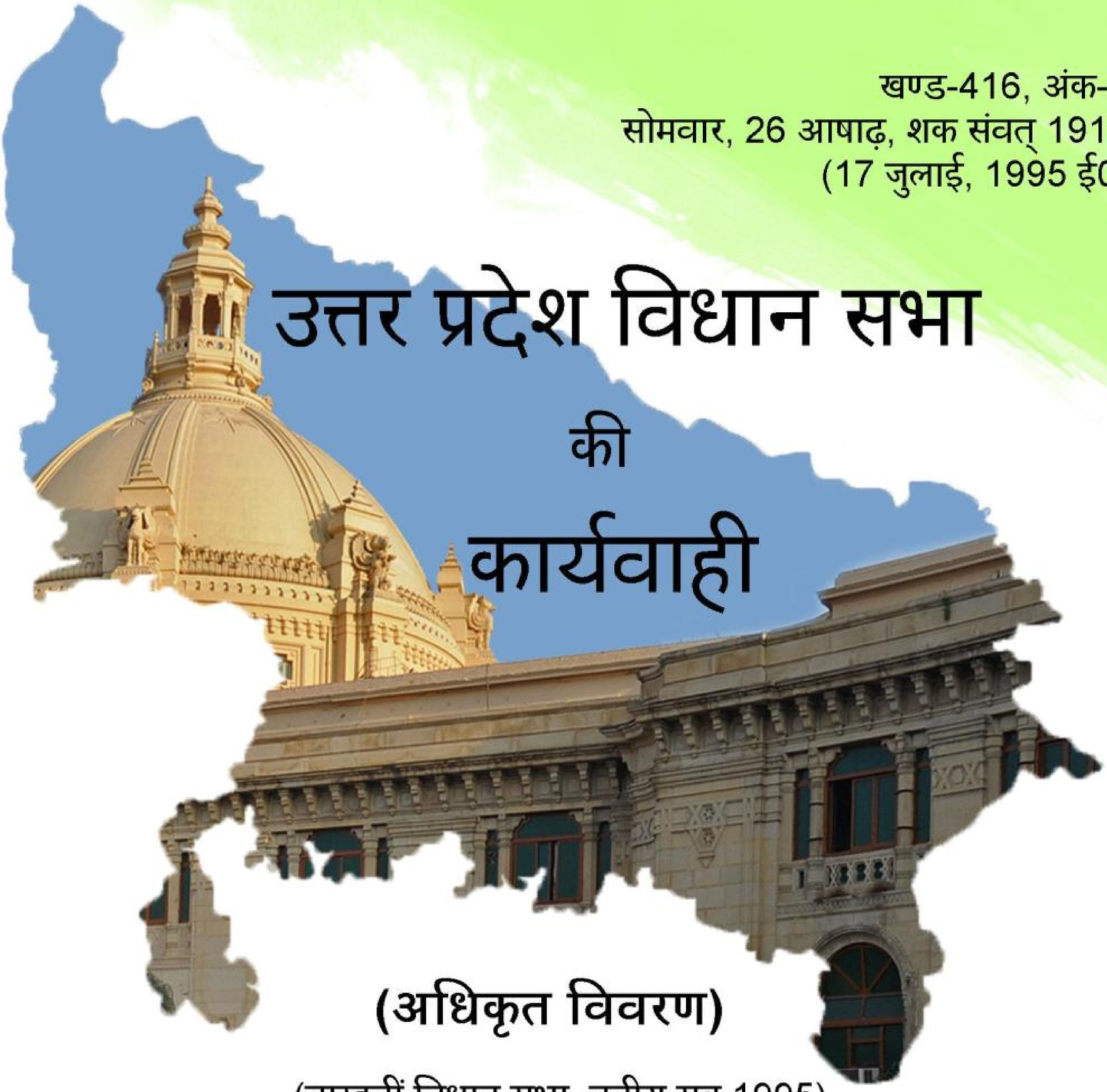

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	2–92
निधन के निर्देश सम्बन्धी विवरण की मांग	93
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भागीरथी के निधन पर शोकोद्गार ...	93–96
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	96
आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र के कई मुहल्लों में जल भराव से बीमारी फैलने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	96–97
प्रदेश के स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों को नियमित व समय से वेतन भुगतान न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
इलाहाबाद नगर निगम (जल संस्थान) द्वारा जल मूल्य तथा सीवर चार्ज के मूल्य में भारी वृद्धि व मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय अस्पताल, वाराणसी में एन्टी रैबीज सुई उपलब्ध न होने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
प्रदेश के जिला एवं केन्द्रीय कारागारों में निरपराध बन्द हजारों कैदियों को रिहा किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98–99
गोण्डा जनपद के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों के अग्निकांड से पीड़ित लोगों को सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
सिद्धार्थनगर के इटवा क्षेत्रान्तर्गत राप्ती नदी के किनारे बसे गांवों को बाढ़ से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण सम्बन्धी नीतिगत घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	100–102
अल्पसंख्यकों के आरक्षण संबंधी मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र को पढ़े जाने तथा पत्राचार के लीकेज होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	102–105

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण सम्बन्धी नीतिगत घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	105–110
सदन में कैमरे द्वारा चित्र लिये जाने पर आपत्ति (जारी)	110
विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण सम्बन्धी नीतिगत घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	110–111
सदन में कैमरे द्वारा चित्र लिये जाने पर आपत्ति (जारी)	111
विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण सम्बन्धी नीतिगत घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	112–116
विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण सम्बन्धी नीतिगत घोषणा किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न पर चर्चा की मांग	116–118
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1995 (पुरःस्थापित) ...	119
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित) ...	119–120
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	120–123
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	123
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	123–124
सदन में कैमरे द्वारा चित्र लिये जाने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	124–125
नत्थियां	126–136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	चैनसुख भारती , श्री	जालौन
अखलाख, श्री	मेरठ	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अखिलेश, श्री	महराजगंज	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	जितेन्द्र कुमार जायसवाल	
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	तिलक राज बेहड़, श्री	नैनीताल
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
इश्तियाक अहमद श्री	बाराबंकी	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	नरेन्द्र सिंह, श्री	मैनपुरी
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद	निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली	पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ	पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
प्रीतम सिंह, श्री	देहरादून
बंशीधर, श्री	नैनीताल
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुदांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राप वर्मा, श्री	बस्ती
बालचन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल आर्य,श्री	नैनीताल
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दवर, श्री	जौनपुर
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम पाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप, श्री	एटा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाज कृष्ण गांधी, श्री	सहारनपुर
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा

विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव सागर लाल, डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
संत बख्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, नियम–311 में उत्तर प्रदेश के किसानों के गन्ना मूल्यों के भुगतान के संबंध में आपने कृपा पूर्वक कहा था कि सोमवार को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर इसको लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम 311 में सूचना दी गयी है उसमें हमने सूचना दी है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

इसको प्रश्न प्रहर के बाद ले लेंगे। प्रश्न प्रहर के बाद जो सूचनायें आयी हैं नियमतः जो ग्राह्यता पर स्वीकार की गयी हैं उनको सुना जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दी।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर हो जाने दें जो नोटिसें आयी हैं उनको सुना जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

नियम–311 में एक सूचना हमने दी है। सहारनपुर में एक बम विस्फोट हुआ, इससे पहले भी बम विस्फोट हुए हैं। हमने नियम–311 में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–1 महत्वपूर्ण नहीं है?

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

[× × ×]

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

[× × ×]

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों द्वारा की गयी हड़ताल के फलस्वरूप सरकार के साथ हुए समझौतों को लागू किये जाने की मांग

**1–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिसम्बर, 1994 एवं जनवरी, 1995 में अपनी मांगों एवं समस्याओ को लेकर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने लम्बी हड़ताल की थी ? इस हड़ताल को समाप्त कराने हेतु सरकार एवं राज्य कर्मचारियों के नेताओं के मध्य क्या कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो वह समझौता क्या है ? क्या सरकार ने उस समझौते को लागू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

श्रीमन्, मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि जो राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी उसमें कोई समझौता हुआ था या नहीं ? उत्तर आया है जी नहीं ? मैं जानना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों की मांगें क्या-क्या थीं क्या कोई लिखित समझौता नहीं हुआ ? राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच क्या वार्ता हुई और किस तरह का आश्वासन दिया गया ? यदि आश्वासन दिया गया था तो क्या आश्वासन दिया गया था ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

राज्य कर्मचारियों की मांगों के संबंध में माननीय सदस्य ने विस्तार से जानकारी चाही है श्रीमन्, मांगों की जो सूची है वह बहुत लम्बी है आप अनुमति दे दें तो पढ़ दूं ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम आसरे वर्मा–

इसको पढ़ा हुआ मान लीजिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

राज्य कर्मचारी संघ की बी० एन० गुट की मांगें हैं । डा० साहब ने अगला प्रश्न किया है कि समझौता वार्ता हुई थी । तत्कालीन मुख्य मंत्री और राज्य कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं के मध्य वार्ता तो हुई थी मगर कोई समझौता नहीं हुआ था न ही सरकार की तरफ से कोई शर्त स्वीकार की गयी है । राज्य कर्मचारियों ने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली थी ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने बताया सूची लम्बी है तो यह सूची हमको उपलब्ध करा दें जब संगठन की हड़ताल होती है तो समझौता होता है जहां तक मेरी जानकारी है इसमे राज्य कर्मचारियों के और सरकार के मध्य अन्डर स्टैन्डिंग हुई है और इसके लिये मैं कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गुडविल के नाते हड़ताल समाप्त की लेकिन इस समय की सरकार ने और पिछली सरकार ने जितने दिनों तक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी उतने दिनों का वेतन कर्मचारियों को नहीं मिला है तो क्या माननीय मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन दिनों का वेतन देने की नीति स्पष्ट करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमान, हड़ताल समाप्त हुई । 27-1-95 को एक शासनादेश जारी हुआ कि हिंसात्मक गतिविधियों तोड़फोड़ में गिरफ्तार कर्मचारियों को छोड़कर शेष जितने कर्मचारी थे वह छोड़ दिये गये थे । जो अस्थाई और स्थाई कर्मचारी निलम्बित किये गये थे जिनकी सेवाएं समाप्त किये जाने के आदेश दिये गये थे, उन आदेशों को वापस ले लिया गया था । जहां तक उस समय के वेतन देने का सवाल है इस संबंध में यह निश्चय किया गया कि काम नहीं तो वेतन नहीं । इस तरह से जो उस समय की नीति थी कि काम नहीं तो वेतन नहीं वही इस सरकार की नीति है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि बिना शर्त हड़ताल समाप्त हुई थी । कोई हड़ताल जब समाप्त होती है तो एक शर्त अपने आप लग जाती है कि किसी भी तरह का उत्पीड़न कर्मचारियों का नहीं होगा तो क्या किसी भी तरह के उत्पीड़न न किये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी थी ? (1) जितने दिनों कर्मचारी हड़ताल पर रहे उन दिनों के वेतन को न दिये जाने का औचित्य क्या है ? क्या यह शासन बदला हुआ शासन है ? पुराने शासन के पापों को ढोने का यह शासन काम न करे । मैं यह अपेक्षा करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों में क्या यह शासन उनको वेतन देने पर भी विचार करेगा ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, श्री वर्मा जी के उत्तर के संदर्भ में निवेदन है । मा० उच्चतम न्यायालय का दिनांक 4-5-1990 का एक निर्णय है । बैंकों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गयी थी और हाईकोर्ट में एक वाद किया गया था कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की अवधि का वेतन देने के संबंध में । उस समय हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि कर्मचारियों को वेतन दिया जाय । उसमें बैंक भी एक पार्टी थी बैंक ने उच्चतम न्यायालय में अपील की जिसके संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4-5-1990 को यह फैसला दिया कि जितने दिन कर्मचारी हड़ताल पर रहे उन दिनों का वेतन नहीं दिया जायेगा । और फैसले में यह भी कहा गया कि उस समय भी जब कि कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें और काम न करें अगर ऐसा भी कभी होता है तो उनको वेतन न दिया जाये । काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धान्त उस समय देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है । यह सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत का निर्णय स्वीकार करती है और अपने इस सिद्धान्त पर अटल और अडिग है । जितने दिन कर्मचारी काम पर नहीं गये उतने दिनों का वेतन देने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० संसदीय कार्य मंत्री भिज्ञ हैं । उन्हें यह तो मालूम ही होगा कि हर मुकदमें का फैसला उसके तथ्यों के अनुसार होता है । उस प्रकरण में क्या तथ्य थे और इस प्रकरण में क्या तथ्य थे ? मैं मा० संसदीय कार्य मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं । (1) समझौता हुआ कि नहीं हुआ ? समझौता वार्ता तो हुई है और जब समझौता वार्ता हुई है तो उसमें मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और मेरी निश्चित जानकारी है कि समझौता वार्ता के दौरान कुछ बिन्दुओं पर दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख दिखाया था कुछ स्वीकार्य योग्य बिन्दु थे उन पर सहमति हो गयी थी । क्या मौजूदा सरकार जो अपने आपको दलितों और पिछड़ों के मसीहा बनने का दावा कर रही है वह कर्मचारी नेताओं की जो जायज मांगें हैं, मैं उनकी नाजायज मांगों का समर्थन नहीं कर रहा हूं उनके संबंध में पुनः उनको वार्ता के लिये बुलायेगी । दूसरे इस हड़ताल के दौरान जिनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है । चाहे वह क्रिमिनल एक्ट में हो चाहे वह सर्विस एक्ट में हो इन दोनों का सरकार गुडविल बनाये रखने के लिये क्या तत्काल वापस लेने के लिये घोषणा आज सदन में करेगी ? जिनके खिलाफ फौजदारी के मुकदमें कायम किये गये हैं या जिनके खिलाफ सेवा नियमावली, सर्विस एक्ट के तहत मुकदमें कायम किये गये हैं आज सरकार इस सदन में घोषणा करेगी, क्योंकि कर्मचारियों ने प्रदेश की जनता के हित में हड़ताल को वापस लिया था, इसलिये कर्मचारियों के खिलाफ जो मुकदमें चल रहे हैं उनको वापस लेकर एक नया अध्याय कायम करेगी और उनको बुलाकर वार्ता करेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने कहा कि उनकी निश्चित जानकारी है कि क्या-क्या उस समय हुआ था । वह अपनी निश्चित जानकारी को सदन के संज्ञान में ला नहीं पाये । लेकिन श्रीमन्, उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सरकार सदन में मुकदमों को वापस लेने की घोषणा करेगी तो मैं पहले ही सूचना सदन में दे चुका हूं कि हड़ताल की समाप्ति के उपरान्त 27-1-95 को शासनादेश जारी किया जा चुका है कि हिंसात्मक गतिविधियों, तोड़फोड़ की कार्यवाहियों में गिरफ्तार कर्मचारियों को छोड़कर शेष

गिरफ्तार कर्मचारियों को छोड़ दिया जाय और जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति या निलम्बन की कार्यवाही की गयी थी वह सारी कार्यवाही श्रीमन्, वापस कर ली गयी थी । जहां तक कर्मचारियों से वार्ता करने का संबंध है कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त परामर्श संगठन के गठन से संबंधित शासनादेश 2-5-95 को जारी किया जा चुका है और अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं पर विस्तार से वार्ता हो रही है इसलिये अन्य बातें जो तिवारी जी ने उठायी हैं उनका प्रश्न श्रीमन् नहीं उठता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस शासनादेश का उल्लेख किया है 27-1-95 का उसमें तीन बातें कही गयी हैं । एक तो जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं या जिनके आवास खाली कराने की बात की गयी थी या जिन्हें निलम्बित किया गया था इन तीनों तरह की उत्पीड़न की कार्यवाही उस समय हुई थी उसको समाप्त करने के लिये शासनादेश जारी किया गया था इसके लिये मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं । लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि कदाचित उन्हें स्मरण होगा कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान 6 कर्मचारी नेताओं की मृत्यु हो गयी थी उसका माननीय मंत्री ने कोई उल्लेख नहीं किया है । तत्कालीन सरकार के समय कर्मचारियों के उत्पीड़न की पराकाष्ठा हुई थी । जिन 6 राजकीय कर्मचारियों की मृत्यु उस समय हुई थी उनके पाल्य लोगों को या आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया है या उनके आश्रितों को सेवायोजन का अवसर दिया गया है इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा जिस दृष्टांत का संदर्भ माननीय मंत्री जी ने दिया वह बैंक से संबंधित कर्मचारियों के बारे में न्यायालय ने फैसला दिया था । उस समय पर राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल हुई है, चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकार हो या उसके पूर्व की सरकार हो, समय-समय पर कर्मचारियों के आन्दोलन होते रहे हैं और उस समय तत्कालीन सरकारों ने यही कहा कि "काम नहीं तो वेतन नहीं" लेकिन जब बाद में वार्ता हुई और आन्दोलन वापस हुआ तो हड़ताल की अवधि का वेतन अग्रिम के रूप में दिया गया है । माननीय मंत्री जी ने जो कहा उससे बड़ी उत्पीड़न की कार्यवाही और कोई नहीं हो सकती है कि काम नहीं तो वेतन नहीं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन के रूप में वेतन दिया है क्या यह सरकार भी विचार करेगी और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन दिया जायेगा । माननीय गुप्त जी और अन्य लोग बैठे हैं मैं समझता हूं कि उनको महाभारत वाली भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, सरकार ने 8 वर्ष के बाद प्रथम अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकार की है और 14 वर्ष के बाद प्रथम प्रोन्नति वेतनमान तथा 20 वर्ष के बाद द्वितीय अतिरिक्त वेतनवृद्धि और 26 वर्ष पर तृतीय प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया है। जहां तक मृत्यु का प्रश्न है तो किसी राज्य कर्मचारी की उत्पीड़न के कारण या किसी सरकारी कार्रवाई के कारण मृत्यु नहीं हुई है। जहां तक उनके आश्रितों को सेवायोजित करने का प्रश्न है उस पर अलग से शासनादेश है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह बड़ी स्पष्ट बात है कि 6 कर्मचारियों का निधन हुआ है और आज भी बहुत से कर्मचारियों के खिलाफ फौजदारी के मामले चल रहे हैं और उनको साधारण मुल्जिम की तरह रखा जा रहा है माननीय मंत्री जी, चूंकि कर्मचारियों के खिलाफ न तो फौजदारी के मुकदमों को वापस लेने को तैयार हैं और न ही उनकी सेवाकाल में हुई मृत्यु तथा उनकी जायज मांगों को मानने को तैयार हैं। यह सरकार पिछली सरकार की तरह ही अमानवीय और क्रूर हो गयी है और कर्मचारियों के हित की बात नहीं कर रही है इसलिये कांग्रेस दल सदन से बहिष्कार करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर के खड़े होने पर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब इस पर 20 मिनट हो रहा है, आप बैठें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मुझे अन्तिम प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए। यह सदन की परम्परा रही है कि मूल प्रश्नकर्ता को अन्तिम प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। अन्तिम प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, प्रश्नकर्ता को अन्तिम प्रश्न पूछने का अधिकार है लेकिन जब भी कोई आता है तो उसकी दृष्टि या तो श्री प्रमोद तिवारी पर पड़ती है या श्री जगदम्बिका पाल पर पड़ती है। अभी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी भी खड़े हो रहे थे और मैं भी खड़ा हो रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला तो कृपा दृष्टि मुझ पर भी पड़े, यही मेरा अनुरोध है।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपके ऊपर निगाह दिन में नहीं पड़ेगी, आपके ऊपर निगाह रात में पड़ेगी।

बाल वेश्यावृत्ति एवं महिलाओं का उत्पीड़न रोकने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाल वेश्यावृत्ति तथा महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न को रोकने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

जी हां ।

सरकार द्वारा बाल वेश्यावृत्ति के उन्मूलन उनकी सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिये प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में दिनांक 29 मई, 1994 को सलाहकार समिति गठित की गयी है तथा महिला उत्पीड़न को रोकने के लिये समुचित कदम उठाने हेतु गृह विभाग द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 1994 को आदेश जारी किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 126–129 पर)

(डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जिन कर्मचारियों की डैथ हो गयी थी उनके परिवार वालों को कम्पनसेशन दिया गया या उनके आश्रितों को नौकरी दी गयी । × × × ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मेरा सरकार से सीधा प्रश्न है कि अगर यह सरकार कर्मचारियों के हितों के बारे में सोचती है तो उनके आश्रितों को नौकरी देगी या नहीं देगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया कि 8 वर्ष के बाद प्रथम वेतनवृद्धि, 14 वर्ष के बाद प्रथम प्रोन्नति वेतनमान तथा 20 वर्ष के बाद द्वितीय वेतनवृद्धि और 26 वर्ष पर द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया है । आश्रितों के संबंध में अलग से शासनादेश है ही ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है और श्री श्यामदेव राय चौधरी जी को पुकार लिया है, मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है ।

(व्यवधान)

नोट :–। × × × । यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाये–''कर्मचारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी'')

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

वेश्यावृत्ति तथा महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न को रोकने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है और अगर है तो उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न चल रहा था, उसी में एक निवेदन सुन लें । हम यह अपेक्षा करते हैं कि जब प्रश्न किया जाता है और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देते हैं.....

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

बाल वेश्यावृत्ति वाले जो स्थान हैं, वहां से उसे रोकने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं । यह बताने की कृपा करें ।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल श्री राम विशुन आजाद एवं श्री हरि शंकर तिवारी आदि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर आ गये । और नारे लगाने लगे–किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, कर्मचारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें ।

(सभी लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

आप सदन को व्यवस्थित करायें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । अगला सवाल होने दें । बहुत आवश्यक सवाल है । आप ही लोगों का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x]

नोटः–[x x x] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न बुला लिया गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब अगला सवाल होने दें । पाल जी बैठ जायें । पाल जी जो कह रहे हैं नहीं लिखा जायेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित कराने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया दूसरे प्रश्न पर मंत्री जी को आपने बुला लिया था ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग वाकआउट करके चले गये, मैंने उसके बाद किसी को बोलने के लिये नहीं बुलाया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी जी जो कह रहे हैं नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

कर्मचारियों पर अगर हमला हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, वेतन नहीं दिया गया है तो उन पर कृपापूर्वक विचार कर वेतन दिलाने की कृपा करें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी कृपया बैठ जायें ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाये हैं, आप लोगों को 20 मिनट से ज्यादा समय पहले सवाल के ऊपर दिया है उसके महत्व को देखते हुए, अब दूसरा सवाल है, आगे और महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा सवालों के उत्तर आयें इसलिए समय सीमा के निर्धारण को ध्यान में रखना होगा।

बहुत महत्वपूर्ण समस्या है तो और नियमों के अन्तर्गत दे सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

नियम 49 के अन्तर्गत मैं आपको दे रहा हूं, हमारा अनुरोध है कि इसे आप स्वीकार कर लें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

यह दूसरे नियमों के अन्तर्गत दे दें मैं विचार करूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं अभी दे रहा हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप दे दीजियेगा, उस पर विचार कर लूंगा।

सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसमें जो उल्लेख किया गया है कि बाल वेश्यावृत्ति रोकने एवं उनकी सुरक्षा, पुनर्स्थापना के उद्देश्य से प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की गई है, इस समिति के गठन के पीछे टर्म आफ रिफरेन्स क्या हैं ? इसी के साथ जो एक पत्र संलग्न है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में बाल वेश्यावृत्ति कुछ स्थानों पर होती है, बाल वेश्याओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जैसे जौनसार बावर, देहरादून, तो यह इस तरह की सप्लाई को रोकने के लिये एवं उनकी पुनर्स्थापना के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है और उस जनहित याचिका के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह महसूस किया कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न और बाल वेश्यावृत्ति हो रही है, इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित करने के निर्देश दिये गये, यह समिति 29 मई, 1994 को गठित की गई और इसी आधार पर प्रत्येक जनपद में एक महिला सामाजिक सुरक्षा सलाहकार समिति गठित की गई। जिन जनपदों का माननीय चौधरी साहब ने उल्लेख किया है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि 6 ऐसे जिले हैं, अल्मोड़ा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, इनमें एक-एक संरक्षण गृह की स्थापना की गई है और ....

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, आवाज ठीक नहीं आ रही है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मंत्री जी, कृपया माइक बदल लें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, माइक ठीक न होने के कारण जो लगभग आधार उत्तर मैंने सुना है, उसके संबंध में ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी सम्भवतः मेरे प्रश्न को ठीक ढंग से समझ नहीं पाये । मैं अपने प्रश्न को पुनः स्पष्ट किये दे रहा हूं कि प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति के गठन के पीछे टर्म आफ रिफरेंस क्या हैं और बाल वेश्यावृत्ति तथा महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित व्यक्तियों/महिलाओं की पुनर्स्थापना के लिये अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जो बिन्दु माननीय चौधरी साहब द्वारा उठाये गये हैं, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि बाल वेश्यावृत्ति और महिला उत्पीड़न की प्रवृत्ति पूरे देश में व्याप्त हो रही थी, उसी को नियंत्रित करने के लिये सलाहकार समिति गठित की गई है, उसकी जो रिपोर्ट आई है ....

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मंत्री जी, विचारार्थ बिन्दु क्या-क्या हैं, यह बता दें ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, इस तरह के जो अपराध होते हैं, जैसे जबरन विवाह, जबरन वेश्यावृत्ति कराना, वेश्यावृत्ति या जबरन विवाह के लिये अपहरण करना अथवा प्रेरित करना, वेश्यावृत्ति हेतु अवयस्कों को बेचना, खरीदना, बलात्कार, अप्राकृतिक अनाचार, इन सारे अपराधों की रोकथाम के लिये राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति और इसके बाद जनपद स्तर पर एक कमेटी गठित करने की बात कही गई ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि उत्तर के साथ जो पत्र संलग्न है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रदेश के कतिपय स्थानों पर बाल वेश्याओं को तैयार कर दूसरे स्थानों को भेजा जाता है, उदाहरणार्थ, जौनसार बावर, देहरादून, उसके संबंध में जानना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम के लिये तथा इनकी पुनर्स्थापना के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी, मंत्री जी के तरफ से उत्तर आ गया है, एक समिति गठित कर दी गयी है, जो विचार कर रही है और जो भी उसकी रिपोर्ट आयेगी उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, समिति ने कुछ ऐसे क्षेत्र और जिले चिन्हित किये हैं, उनमें इस तरह की प्रवृत्ति चल रही थी । ऐसे प्रदेश के 6 जिले हैं–अल्मोड़ा, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और मेरठ । इसमें एक-

एक संरक्षण गृह की स्थापना कर दी गयी है और जो बाल वेश्यायें, महिलायें निकाल कर लायी गयी हैं उनकी सुरक्षा और पुनर्वास के लिये उद्धारगृहों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जो पत्र प्रमुख सचिव (गृह) का नत्थी किया गया है, उसको एक वर्ष हो गया है। 16 जुलाई, 1994 का पत्र है और इसमें दो तीन स्थानों का जिक्र है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि पूरे प्रदेश में यह समस्या है और यह प्रपत्र भी पूरे प्रदेश को भेजा गया। मैं जानना चाहता हूं कि एक वर्ष में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये या इसमें शामिल लोगों के अभी तक कितने मामले पकड़े गये, कितनी लड़कियों का उद्धार किया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, कृपया आंकड़े बताने का कष्ट करें ?

श्री श्रीराम पाल--

इस मान्यवर, इस प्रवृत्ति के अपराधों को रोकने के लिये प्रदेश के 44 जिलों में जिला महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं और इस तरह की अपराध के लिये भारतीय दण्ड संहिता या और जो भी कानून अपने देश में लागू हैं, उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, जो इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जा रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जो प्रदेश में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं, क्या एक वर्ष में कोई केस पकड़ा गया या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इसमें संलग्न थे, जो बाल वेश्यायें बना रहे थे ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बताने की कृपा करें कि क्या प्रदेश में एक वर्ष के अन्दर ऐसा कोई मामला पकड़ा गया, कितने लोगों को इस मामले में जेल भेजा गया तथा कितने बाल वेश्याओं का उद्धार का उनका पुनर्वासन किया गया ?

श्री श्रीराम पाल--

मान्यवर, ऐसे मामलों को पकड़ने के लिये मंडल स्तर पर उद्धार अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और 8 महिला उद्धार अधिकारी हैं। ये पुलिस के सहयोग से रेड डालते हैं और ऐसे वेश्यालयों या स्थानों पर छापे डाले जाते हैं जहां बाल वेश्यावृत्ति या वेश्यावृत्ति की शिकायत मिलती है। छापे के दौरान जो पकड़े जाते हैं उनको जेल भेजा जाता है।

डा० सरजीत सिंह डंग--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह ठीक है कि सरकार की सदाशयता होगी, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है, समिति को बने एक वर्ष हो गया। प्रपत्र भी एक वर्ष पहले भेजा गया लेकिन परिणाम क्या निकला ? इस प्रश्न का उत्तर जनता इस सदन के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के उत्तर के माध्यम से जानना चाहती है कि कितनी महिलाओं या बालिकाओं को वेश्या बनने से रोका जा सका है ? इस प्रकार की बालिकाओं या महिलाओं को वेश्या बनाया जाता है तो समाज उनको वापस लेने से इंकार करता है, यदि उनका पुनर्वास नहीं होता है। पिछली सरकार ने इसमें लापरवाही बरती, अकर्मण्यता दिखायी। यह सरकार इस

मामले में ठोस कदम उठाने जा रही है और बाल वेश्या प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी और जो दुर्भाग्य से, परिस्थितियों के कारण, समाज के दुष्ट लोगों के कारण इस रास्ते पर बराबर बढ़ रही है, उनके पुनर्वास, के लिये क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे, समितियां बनाना इसका हल नहीं है ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, महिला उत्पीड़न और बाल वेश्या प्रवृत्ति से संबंधित जितने मामले प्रकाश में आये हैं, उनका विवरण, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जनवरी, 1995 में दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामले 100 थे फरवरी में 103 थे, बलात्कार से संबंधित मामले जनवरी में 118 थे फरवरी में 131 थे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि अभी तक इस प्रकार के मामलों में क्या किया गया है और सरकार आगे क्या करने जा रही है ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं बता तो रहा हूं। शीलभंग के जनवरी, 95 में 184 मामले थे, फरवरी में 220 मामले प्रकाश में आये।

श्री प्रसाद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अकेले प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं ? वह पत्रावली देखते रहते और मंत्री जी मदद करते रहते। माननीय राज्य मंत्री जी अलग बैठे हुए हुए हैं और मंत्री जी अलग बैठे हुए हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय श्री तिवारी जी इसके आदी रहे हैं। वह बिना राज्य मंत्री के उत्तर नहीं दे सकते थे।

[सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 1995 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पुकार पान मसाला फैक्ट्री के मालिक द्वारा व्यापार कर चोरी की जांच कराकर दण्डित करने की मांग

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुकार पान मसाला फैक्ट्री खुर्शेद बाग, लखनऊ द्वारा गत दो वर्षों से बड़ी मात्रा में व्यापार-कर की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी पाये जाने पर उक्त फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

"पुकार ब्रांड" पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री सर्वश्री दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी खुर्शेद बाग, लखनऊ के नाम से रजिस्टर्ड है। विगत वर्ष व्यापार-कर विभाग के सचल दल की लखनऊ इकाई द्वारा "पुकार ब्रांड" का पान मसाला बिना बिल बीजक अथवा संदिग्ध बिलों के आधार पर परिवहन करने पर पकड़ा

गया था । अतः इस आधार पर उक्त फर्म द्वारा करापवंचन किये जाने का संदेह था । उपरोक्त अभिग्रहीत माल पर करापवंचन के संदेह के आधार पर उक्त फर्म की जांच के लिये सहायक आयुक्त व्यापार कर स्तर के अधिकारी को जांच के लिये निर्देश दिये जा चुके हैं । उनके द्वारा उक्त मामले में जांच की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह पुकार ब्रांड पान मसाला एक तरफ तो जिन्दगी में जहर घोलने का काम करता है तो दूसरी तरफ व्यापार-कर की चोरी करता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो माल बिना बिल-बीजक अथवा संदिग्ध बिलों के आधार पर पकड़ा गया था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरा फर्म की जांच के लिये और व्यापार-कर की चोरी की जांच के लिये, जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया, उसे कब नियुक्त किया गया और अब तक जांच की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, वर्मा जी ने बताया कि पुकार पान मसाला जिन्दगी में जहर घोलता है और खुद ज्यादा खाते हैं, इसलिये वह इसे न खायें । श्रीमन्, माननीय वर्मा जी की चिन्ता सही है श्री आर० डी० चौहान, सहायक आयुक्त, व्यापार कर, लखनऊ को जांच करने के निर्देश दिये गये थे । लेकिन आयकर विभाग ने अक्तूबर, 94 में उक्त फर्म पर छापा डाला था और उक्त फर्म के सभी कागजात जब्त कर लिये थे ताकि विस्तार से जांच हो सके । इसलिये जब तक आय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच पूरी नहीं हो जाती सभी अभिलेख उनसे नहीं मिल जाते तब तक जांच आगे करना सम्भव नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को माना है कि दुर्गा ट्रेडिंग कपनी, खुर्शेदबाग, लखनऊ नाम से रजिस्टर्ड है विगत वर्ष व्यापार कर विभाग के सचल दल की लखनऊ इकाई द्वारा पुकार पान मसाला बिना बिल, बीजक अथवा संदिग्ध बिलों के आधार पर परिवहन करने पर पकड़ा गया । तो जब वह पकड़ा गया तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? दूसरा यह कि उस पर जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तो उसमे अभी तक क्या जांच की, जांच अधिकारी की जांच की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? बाकी कागज जो आयकर विभाग ने सील कर रखे हैं उसे मंत्री जी पेश नहीं कर सकेंगे और न ही सील खोल सकेंगे । तो जो भी जांच अभी तक जांच अधिकारी ने की वह क्या है उसमें कोई प्रगति हुई है या नहीं, अभी तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जैसा श्रीमन्, मैंने पहले निवेदन किया कि दि० 5-5-95 को जांच के आदेश दिये गये । व्यापार कर विभाग के सचल दल द्वारा जो माल पकड़ा गया उसके आधार पर 5,200 रु० का अर्थदण्ड वसूला गया, और जमानत भी ली गयी, इसी तरह से दि० 27-8-94 को पकड़ा गया जो सूचना माननीय वर्मा जी की है वह सही है उक्त फर्म से अर्थदण्ड वसूला गया है । लेकिन जांच रिपोर्ट क्या है वह अभी तक अपेक्षित

है क्योंकि आयकर विभाग वालों के पास अभिलेख है उनसे सम्पर्क किया गया है जैसे ही वह जांच पूरी कर लेंगे आगे की कार्यवाही की जायेगी । इस बीच में जो समय-समय पर सामान पकड़ा गया है उस पर जुर्माना किया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जांच अधिकारी को नियुक्त किये काफी समय हो गया है क्या अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि जांच पूरी करने के लिये कोई निश्चित अवधि की घोषणा करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, शासन ने पहले ही इस मामले में निर्देश दिये हैं और गम्भीरता से लिया है और जल्दी पूरा करने के लिये कहा है । लेकिन कठिनाई यह है कि उक्त फर्म के अभिलेख आयकर विभाग के पास हैं जब तक वह अपनी कार्यवाही पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक किसी प्रकार की समय सीमा बांधना उचित नहीं होगा ।

विद्युत अनुरक्षण खण्ड, 39 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को विनियमित किये जाने की मांग

*2–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विद्युत अनुरक्षण खण्ड, 39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के तहत विगत 6 से 10 वर्षों से दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण अब तक नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम किशोर बिन्द)–

जी हां ।

जी नहीं । वर्तमान सेवा नियमावलियों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 39 वां वृत्त के दैनिक वेदन भोगी कर्मचारी जो वी० आई० पी० ड्यूटी में काम करते हैं, माननीय सदस्य और माननीय मंत्री यहां बैठे हैं जिनकी वह ड्यूटी करते हैं उनको 6 से 10 वर्ष तक दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हो गये हैं :–

दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो 39 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में कार्य कर रहे हैं जो इस त्रासदी के शिकार हैं और जो वी० आई० पीज० के वहा कार्य कर रहे हैं उनके लिये क्या सरकार सेवा नियमावली के प्राविधानों मैं जैसा बताया गया है कि इनके नियमितीकरण का कोई प्राविधान नहीं है, क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए उनका नियमितीकरण करना चाहेगी ?

श्री राम किशोर बिन्द--

मान्यवर, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, 39 वा वृत्त, लखनऊ में इस समय 608 कर्मचारी वर्कचार्ज में कार्य कर रहे हैं जिनका विनियमितीकरण होना है। इसी प्रकार 936 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें नियमित अधिष्ठान में लेना है इसलिये नियमितीकरण की कार्यवाही वर्कचार्ज इम्पलाईज नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यह सांसिफिक मामला नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में टेक्नीकल डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके संबंध में पूर्व सरकार द्वारा भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन इस मामले को हमारी सरकार देख रही है और शीघ्र ही इस संबंध में कोई निर्णय लेगी।

श्री नरेश अग्रवाल--

श्रीमन् मैं, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन का जो जी० ओ० है, उसके अन्तर्गत लगातार कितने दिनों तक कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यदि काम कर लेगा तो उसका विनियमितीकरण हो जायेगा ? इस संबंध में न्यायालय के भी अनेक निर्णय हैं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो वर्कचार्ज में कर्मचारी छः से दस साल तक काम कर रहे हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है उसके क्या कारण हैं ? क्या उसकी विनियमितीकरण की औपचारिकताएं पूरी किया है ? यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?

श्री राम किशोर बिन्द--

मान्यवर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के विषय में स्थिति यह है कि वर्तमान सेवा नियमावली में उनके विनियमितीकरण का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, मंत्री जी अनुपूरक प्रश्नों का जवाब पत्रावली से पढ़कर देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष--

वह पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि पत्रावली का सहारा ले रहे हैं।

श्री नरेश अग्रवाल--

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश हैं लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कितने दिन सेवा कर लेगा तो उसे नियमित कर दिया जायेगा ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष--

आपका उत्तर अभी बाद में मंत्री जी देंगे।

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इस संबंध में शासनादेश है कि 180 दिनों तक यदि कोई कर्मचारी काम कर लेगा तो उसका विनियमितीकरण कर दिया जाय, ऐसा प्राविधान है। इस संबंध में हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट, ट्रिबुनल्स की रूलिंग्स हैं। इसलिये मैं

जानना चाहता हूं कि यदि इस संबंध मे ऐसे शासनादेश हैं, इसकी यदि आपको जानकारी न हो तो वह कर लें और यदि ऐसे आदेश हैं तो क्या मंत्री जी इस पर तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब नरेश अग्रवाल और शुक्ला जी का जो सवाल है, मिलता-जुलता सवाल है, तो आप दोनों का एक साथ उत्तर दे दें।

श्री राम किशोर बिन्द–

दैनिक वेतनभोगी को पहले वर्कचार्ज में लिया जाता है, पुनः वेतनभोगी में नियमित किया जाता है, तो 240 दिन कार्य करने के बाद यह होता है, तो यह अभी बहुत दिनों से लम्बित चला आ रहा है और अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

पहले मंत्री जी ने कहा प्राविधान नहीं है, लेकिन इसमें प्राविधान बहुत साफ है और इस पर हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट और ट्रब्यूनल की रूलिंग्स हैं (व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मैं जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के कूड़ा-करकट को यह सरकार कब तक साफ करेगी ? (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जब इस संबंध में 240 दिन का शासनादेश है तो उसका अनुपालन क्यों नही हो रहा है ?

श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या इस पर सरकार विचार करेगी कि बहुत दिनों के कूड़ा करकट का जो आपके पास ढेर है, उसे कब तक साफ करा देंगे ?

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, सदस्यगण की जिज्ञासा है कि क्या सरकार नियमितीकरण करने के लिये आगे विचार करेगी, या उस पर कोई कार्यवाही करना चाहती है अथवा वित्तीय संसाधनों को देखते हुए वह ऐसा करने में असमर्थ है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

वित्तीय ससाधनों की कमी के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी आखिरी सवाल कर लें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मंत्री जी ने कहा है कि उनका विनियमतीकरण सरकार नहीं कर सकती है, तो जो आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कई कई वर्षों 6-8 और 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनको वेतन मिल ही रहा है, सवाल इसमें केवल उनके विनियमतीकरण का है, तो इसमें वित्तीय संसाधन कहां से आड़े आ रहा है ? केवल सुरक्षा मात्र के लिये उनका आप विनियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैंने जानना चाहा था, दैनकि वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या अभी आपने दी, दूसरा मेरा सवाल है कि ऐसे दैनिक वेतनभोगी जो 39 वें वृत्त में हैं, उनके विनियमितीकरण पर क्या सरकार विचार करेगी ? मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 240 दिन जिन्होंने कार्य कर लिया हो, तो उनका होता है, तो ऐसे दैनिक वेतननभोगी कर्मचारियों को जो 8-8, 10-10 साल से कार्यरत हैं ...

जो कर्मचारी इस बात से त्रस्त हैं, उनके बारे में जो प्रश्न किया है, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार विचार करेगी ? करेगी तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

लोक निर्माण विभाग के 16 खण्डों को फालतू घोषित करके 31-3-94 को समाप्त किया गया है । इस आयोग द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के 15,329 पदों में से 5 हजार पदों को नियमित कर दिया गया है ।

3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत लैब असिस्टेंटगण के वेतनमान विसंगति को दूर किये जाने की मांग

*4–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में कार्यरत लैब असिस्टेंटगण के वेतनमान अलग-अलग हैं ? यदि हां,तो युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन में इस संदर्भ में क्या निर्देश है ? क्या शासन इन निर्देशों का पालन करते हुए वेतनमान की विसंगति समाप्त करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री–(श्री सुखदेव राजभर)–

जी हां ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार के इस संबंध मे निर्देश राज्य सरकार को नहीं प्राप्त हैं ।

संस्तुति/निर्देश प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने यह बात स्वीकार की है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में कार्यरत लैब असिस्टेंटगण के वेतनमान अलग-अलग हैं। यह न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि समान कार्य के लिये समान वेतन मिले। इसी के साथ मेरा यह प्रश्न भी था कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की इसमें क्या संस्तुति है ? इसके बारे में भी उत्तर दिया गया है कि कोई संस्तुति प्राप्त नहीं है। मान्यवर, यह सरकार न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त का पालन नहीं कर रही है। महाविद्यालयों के लैब असिस्टेंट जो कार्य करते हैं विश्वविद्यालयों के लैब असिस्टेंट्स को भी वही कार्य करना होता है, इस कारण इन्हें समान वेतन मिलना चाहिये। प्रश्न के दूसरे भाग में वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ? जबकि विश्वविद्यालयों में काम करने वाले लैब असिस्टेंट्स ने पहले से ही वेतन विसंगति के बारे में आवेदन-पत्र दे रखे हैं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह सही है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कार्य करने वाले लैब असिस्टेंट्स का कार्य एक सा है लेकिन इनके वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं। विश्वविद्यालय के जो लैब असिस्टेंट्स हैं वह यू० जी० सी० द्वारा गवर्न होते हैं। उनका चयन, वेतनमान आदि का संचालन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा होता है। इस बारे में पहले एक समिति बनी थी लेकिन उसकी संस्तुतियों को अमान्य कर दिया गया था। हमने फिर से उसका रिफरेंस लिया है। जो वेतन विसंगतियां हैं उनको शीघ्र दूर किया जाय, इसका हम प्रयास करेंगे। इन लैब असिस्टेंट्स ने पहले जरूर आवेदन पत्र दिया था वेतन विसंगतियों के बारे में। लेकिन अब जो इनका मांग पत्र है उसमें नई मांग रखी है कि इनका वेतनमान केन्द्रीय विद्यालयों के बराबर किया जाय।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया है उसमें किसी मांग की चर्चा नहीं की है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले लैब असिस्टेंट्स हैं उनके वेतनमान में भिन्नता क्यों है, जबकि दोनों का कार्य समान है ? जो विश्वविद्यालय के लोगों को मिलता है क्या वह महाविद्यालय के लैब असिस्टेंटों को नहीं मिलना चाहिये ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

डंग जी का सवाल है कि दोनों के कामों में क्या कोई फर्क है जिसके कारण उनके वेतनमान अलग-अलग हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

यह विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लैब-असिस्टेंटों का मसला है। यह नान टीचिंग स्टाफ है। यू० जी० सी० ने नान टीचिंग स्टाफ के बारे में कोई नियमावली नहीं बनाई है। टीचिंग स्टाफ की नियमावली बनती है और वेतन विसंगतियों को दूर करने के बारे में भी नियमावली बनी है। नान टीचिंग स्टाफ के बारे में कोई नियमावली नहीं बनी है डंग साहब तस्लीम करेंगे कि वरिष्ठता के आधार पर वेतनमान दिया जायेगा। यू० जी० सी० ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय और

महाविद्यालय दोनों को 1200 से 4000 वरिष्ठता के आधार पर वेतन दिया है लेकिन नान टीचिंग स्टाफ के लिए यू० जी० सी० में कोई नियमावली नहीं बनी है उसके बाद भी राज्य चयन आयोग की सिफारिश पर इनको वेतन दिया जा रहा है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दोनों काम समान हैं या नहीं ? 'हां' या न में उत्तर दे दें ?

श्री सुखदेव राजभर–

काम बराबर भी मान लिया जाय तो भी विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मामला यू० जी० सी० का होता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इन दोनों का समान कार्य है या नहीं ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री सुखदेव राजभर–

और उसको रेफर किया गया है उसका निर्णय आ जायगा तब हम उसको कर देंगे ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

श्रीमन्, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं । जो लैव असिस्टेंट हैं उनकी मांगें केन्द्रीय विश्वविद्यालय के समकक्ष हैं । महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कर्मचारी काम करते हैं उनमें विसंगितयां हैं जहां तक मेरी जानकारी है यू० जी० सी० शिक्षक, कर्मचारी जो हैं उसके लिए संस्तुति करती है नियमावली नहीं बनाती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि जो यू० जी० सी० संस्तुति करेगी पूरी तौर से उसको लागू करेंगे । प्रदेश में विश्वविद्यालय में जो लैब असिस्टेंट हैं उनको समान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है । यू० जी० सी० को कोई संदर्भ निर्देशित नहीं हुआ है मेरी जानकारी है यू० जी० सी० ने संस्तुति की है यू० जी० सी० को उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश नहीं प्राप्त हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, गलत बयानी की गयी है । प्रदेश सरकार का यू० जी० सी० को निर्देश गया है । मेरे पास कापी है यह अपने अधिकारियों से पूछें ।

श्री सुखदेव राजभर–

यह हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं इन्होंने कहा यू० जी० सी० को रेफर किया गया है । यह मामला 1 जनवरी, 1994 को समता समिति को रिफर किया गया । अब इसको दुबारा हमने रिकमण्ड किया है इसको आज ही रेफर किया गया है इस पर निर्णय आ जायगा तो हम इसको कर देंगे ।

जनपद इलाहाबाद में स्थानीय निकाय के अधीस्थ बेसिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद् की भांति सुविधायें प्रदान किये जाने की मांग

5–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में स्थानीय निकाय के अधीन बेसिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापक, अधिकारी तथा कर्मचारियों को कब बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत

स्थानान्तरित किया गया था ? स्थानान्तरण के फलस्वरूप क्या पूर्व में प्राप्त सभी सुविधायें शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदत्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्ष 1986 से अब तक देय महंगाई भत्ते देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

उ० प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रभावी होने के उपरान्त दिनांक 25-7-1972 को स्थानीय निकाय के अधीन बेसिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापक, अधिकारी तथा कर्मचारी बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित किये गये हैं । नगर महापालिका द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधा को छोड़कर अन्य सभी सुविधायें प्रदत्त हैं ।

जी हां, वर्ष 1986 से अब तक देय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय के अधीन बेसिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों अधिकारियों/कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया है उनको जो सुविधायें वेतन व अन्य पूर्व में मिलती थीं वह वर्तमान में मिल रही हैं ? उनके ऊपर नियम कानून बेसिक शिक्षा परिषद् के लागू हैं या नगर महापालिका द्वारा जो कानून हैं वह लागू हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

जब जवाब में स्पष्ट है कि जब उनको स्थानान्तरित किया गया है तो जो कानून बेसिक शिक्षा परिषद् के हैं वह उनके ऊपर लागू हैं ? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतनवृद्धि व पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी जाती है । शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जाता है ।

राजाजीपुरम् कालोनी लखनऊ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

6–श्री लाल मणि प्रसाद तथा श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि एशिया की सबसे बड़ी कालोनी राजाजीपुरम्, लखनऊ में लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई भी राजकीय कन्या इन्टर कालेज की व्यवस्था नहीं है, जिससे हजारों की संख्या में शिक्षा ग्रहण करने हेतु लड़कियों को 8-10 कि० मी० दूर विद्यालयों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या लड़कियों को साक्षर बनाने की शासन की नीति के संदर्भ में उक्त कालोनी में शीघ्र ही एक राजकीय कन्या इन्टर कालेज की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

वर्तमान में शहर की कालोनियों में सीधे राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित नहीं है ।

श्री लालमणि प्रसाद–

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राजाजीपुरम् कालोनी में राजकीय कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है यदि हां, तो कब और सर्वेक्षण से क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं कि राजाजीपुरम् कालोनी की बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में पुनः विभागीय अधिकारियों द्वारा एक सर्वेक्षण करा कर वहां पर कन्या विद्यालय की स्थापना करायी जाएगी, यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

मान्यवर, शासन की नीति है कि प्रत्येक बालक-बालिका को शिक्षा प्रदान की जाय । शासन की नीति के विपरीत माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि शहर की कालोनियों में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी अपने इस उत्तर पर पुनर्विचार कर इसको संशोधित करेंगे ताकि शहर की राजकीय कालोनियों में कन्या विद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके ?

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि राजाजीपुरम् एशिया की सबसे बड़ी कालोनी है और समीपवर्ती सैकड़ों गांवों की एवं कालोनी की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण उनको 10-10 कि० मी० चलकर स्कूलों को आना पड़ता है यदि हां, तो राजाजीपुरम् में राजकीय कन्या इण्टर कालेजों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इस तरह का सर्वे कराने की कोई योजना नहीं है । राजाजीपुरम् में 3-8-1992 सेक्टर नं० 1 के 13,134 वर्ग मीटर की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था उसकी लागत 43 लाख रुपये असिस्ट की गयी थी । इसके संबंध में प्लानिंग विभाग ने कुछ बातें जाननी चाही हैं कि उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है ? कौन से आदमी बेच रहे हैं और किस वर्ष के रेट पर बैनामा होगा ? जहां तक राजाजीपुरम् कालोनी में विद्यालय खोलने की बात है ऐसी कोई योजना नहीं है ।

जनपद बिजनौर में घाटे में चल रही गन्ना समितियों की समीक्षा कर सुधार की मांग

*7–श्री महाबीर सिंह (बिजनौर) (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि बिजनौर जनपद की गन्ना समितियां घाटे में जा रही हैं? घाटे में जाने का कारण क्या है ? क्या कर्मचारियों की संख्या नियमानुसार अधिक है ? क्या कुछ समितियों में दो-दो सचिव नियुक्त हैं ? यदि हां, तो इस व्यवस्था में सुधार कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जनपद बिजनौर में कुल सात सहकारी गन्ना विकास समितियां कार्यरत हैं जिनमें से चार घाटे में चल रही है ।

घाटा होने का मुख्य कारण समितियों द्वारा गन्ना आपूर्ति में कमी तथा समितियों के प्रशासनिक एवं प्रबन्ध व्यय में वृद्धि है ।

जी नहीं ।

केवल सहकारी गन्ना विकास समिति धामपुर में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 12-4-94 के फलस्वरूप दो सचिव नियुक्त हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन आदेश को संशोधित कर दिया गया है ।

अतः गन्ना आयुक्त को एक सचिव को अन्यत्र स्थानान्तरण करने के निर्देश दिये जा चुके हैं शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री मुक्तिनाथ–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।

जनपद गोण्डा की शुगर फैक्ट्री नवाबगंज को शीघ्र चालू कराये जाने की मांग

*9–श्री रमापति शास्त्री–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेगे कि क्या प्रदेश की शुगर कारपोरेशन से संबंधित सभी चीनी मिलें वर्तमान सत्र, 1994-95 में कार्य कर रही हैं ? क्या जनपद गोण्डा की शुगर फैक्ट्री नवाबगंज वर्तमान सत्र में बन्द होने के कारण किसान एवं श्रमिक भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं तथा दो श्रमिकों की मृत्यु भी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इसे शीघ्र चालू किये जाने के आदेश देंगे ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)–

जी हां ।

नवाबगंज चीनी मिल के पेराई सत्र 1994-95 का शुभारम्भ दिनांक 24-11-94 को हुआ था । दिनांक 6-12-94 तक गन्ने की उपलब्धता की प्रतीक्षा कर तथा एकत्रित गन्ने की पेराई के लिये मिल को चलाकर गन्ने की अनुपलब्धता के कारण दिनांक 8/9-12-94 की रात्रि में बन्द करने का निर्णय लिया गया । दो श्रमिकों के मृत्यु की कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस संबंध में एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूं।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह मेरा प्रश्न है। मुझे प्रश्न करने दीजिये।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शुगर फैक्टरी नवाबगंज को पुरानी सरकार ने कैप्चर करके बन्द कर दिया था और वही पुरानी सूचना यहां पर दे दी गयी है। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह तथ्य से परे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शुगर फैक्टरी नवाबगंज निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में चलाने की व्यवस्था की जायेगी और उसका उच्चीकरण करके किसानों को और श्रमिकों को राहत दिलाने का कोई प्रयास सरकार करेगी। यदि हां तो कब तक यह योजना लागू की जायेगी ?

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, यह मिल 1986, 1988, 1989 तक प्राइवेट रही है।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है और मंत्री जी दूसरा उत्तर दे रहे हैं।

श्री श्याम लाल यादव–

मान्यवर, गन्ने की अनुपलब्धता के कारण यह मिल बन्द की गयी है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने गन्ने की अनुपलब्धता की बात कही। वहां का गन्ना रौजा गांव, बलरामपुर, बभनान मिल को डाइवर्ट किया गया है। मैं विशेषाधिकार की सूचना लिखकर दे दूंगा।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इस सवाल को स्थगित कर दीजिये।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय पाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। माननीय राज्य मंत्री जी ने उत्तर देते हुये सदन में गलत तथ्य बताये हैं और सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। इसलिये मैं श्याम लाल जी द्वारा सदन को गुमराह करने के लिये विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं, लिखित सूचना मैं आपको भेज दूंगा।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये। मान्यवर, इसको स्थगित कर इस पर चर्चा करायी जाय।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ ।

कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ को लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीनीकरण के पश्चात कार्यरत इन्सटेक्टरों के पदनाम परिवर्तन की मांग

10–श्री हरदेव सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में इन्स्ट्रक्टर के कुल कितने पद हैं ? क्या यह सही है कि लखनऊ विश्वविद्यालयों के किसी भी संकाय में इन्स्ट्रक्टर का पद नहीं है ? क्या यह भी सही है कि उक्त कला एवं शिल्प महाविद्यालय का लखनऊ विश्वविद्यालय में विलीनीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के इन्स्ट्रक्टर का पद नाम परिवर्तित न किये जाने का क्या कारण है ? जबकि आर्टिस्ट डिजाइनर एवं फिजीकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर को प्रवक्ता का पद दिया गया है ? क्या शासनादेश के अनुसार 16 वर्ष या इसके ऊपर के कार्यरत इन्स्ट्रक्टर को प्रोन्नति वेतनमान दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में इन्स्ट्रक्टर के कुल 12 पद हैं ।

जी हां । (उक्त को छोड़कर)

जी हां ।

पद की अर्हता के आधार पर शासन द्वारा विचारोपरान्त पदनाम परिवर्तन का औचित्य नहीं पाया गया ।

जी हां, विश्वावद्यालय द्वारा प्रोन्नत वेतनमान के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

11–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

17 वें शुक्रवर में ता० प्र० सं 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

आर० बी० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कछिजरी जनपद कानपुर देहात के प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट की जानकारी

12–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–134 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात की जांच

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या–9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

के उपरान्त क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मंत्री जी ने दि० 23-8-94 को प्रमुख सचिव, शिक्षा को अविलम्ब कार्यवाही का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन किया गया है ? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट व कृत कार्यवाही को सदन के पटल रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 डी (2) एवं 16 डी (3) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-8-94 शासन में प्राप्त हुआ था और उस पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे ।

शिक्षा निदेशक को जांच कराने तथा नियमानुसार कार्यवाही एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया ।

जांच रिपोर्ट व कृत कार्यवाही के पत्रादि मा० शिक्षा मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध हैं ।

प्रदेश में योजनान्तर्गत चलने वाले माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन दिलाए जाने की मांग

*13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में योजनान्तर्गत चलने वाले माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विगत कई माहों से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन कब तक वितरित कर दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रदेश में मैदानी क्षेत्र के आयोजनागत विद्यालयों को मई, 1995 तक तथा पर्वतीय क्षेत्र के आयोजनागत विद्यालयों को फरवरी, 1995 तक के वेतन हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी है ।

प्राविधानित धनराशि से अधिक व्यय निहित होने के कारण आगे के माहों के वेतन हेतु स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी ।

शेष माहों के वेतन भुगतान हेतु धनराशि शीघ्र आवंटित की जा रही है ।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में हुई कतिपय नियुक्तियों के सम्बन्ध में दिए गए शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*14–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में दिनांक 16-9-94 को गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान प्रवक्ता के पदों पर हुई नियुक्ति के संबंध में डा० आर० ए० यादव, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर का शिकायती-पत्र

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में दशाये गये आरक्षण एवं योग्यता संबंधी अनियमितताओं पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता परन्तु इसी प्रकरण में अन्य शिकायती-पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई एवं विभागीय जांच चल रही है ।

कतिपय ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना

*15–श्री राजाराम त्यागी–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बौरेश्वर महादेव सुदौली गंगाघाट, डलमऊ, सीतारामन जनई (महराजगंज) जनमेजय यज्ञ स्थली पर तथा अहोखा भवानी तथा बालेश्वर मंदिर को पर्यटन केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इनका सुन्दरीकरण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

गन्ना विभाग के अन्तर्गत अनु० जाति एवं पिछड़े वर्ग का कोटा पूर्ण न करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने की मांग

1–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कुल कितने पद सृजित हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न पूरा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में चीनी अधिष्ठान के अन्तर्गत 627 तथा गन्ना अधिष्ठान के अन्तर्गत 6583 पद सृजित हैं ।

सृजित पदों के विपरीत भरे गये चीनी अधिष्ठान के 543 तथा गन्ना अधिष्ठान के 5672 पदों में से क्रमशः सामान्य वर्ग के 281 तथा 2251, पिछड़े वर्ग के 113 तथा 1430 एवं अनुसूचित जाति के 149 तथा 985 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

कार्यरत पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु लागू पूर्व कोटा क्रमशः 15 प्रतिशत व 18 प्रतिशत के अनुसार आरक्षण कोटा पूर्ण है ।

आरक्षण हेतु नवीन आदेशों (अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत) के अनुसार रिक्तियों को भरकर कोटा की पूर्णता सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के ग्राम कैलगुवां में प्राथमिक पाठशाला भवन के निर्माण में हो रही देरी के दोषी अधिकारियों को दण्डित किए जाने की मांग

2–देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ग्राम कैलगुवां में प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु वर्ष 89-90 में धन का आवंटन किया गया था ? उक्त भवन का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया है ? क्या यह सच है कि उक्त भवन निर्माण हेतु प्रथम किस्त ही अभी तक संबंधित प्रधानाचार्य एवं प्रधान को दी गयी है व बाकी किस्तें नहीं दी गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त भवन के निर्माण हेतु बाकी किस्तें कब तक दी जायेंगी ? उक्त भवन कब तक बनकर तैयार होगा ? क्या उक्त भवन के निर्माण में होनी वाली देरी के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

वर्ष 1992 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था।

रुपये 30,000–30,000 की तीन किस्तों में कुल 90,000/- रुपये अवमुक्त किए जा चुके हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

शीघ्र पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता। आर०ई०एस० निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य से मना करने पर विलम्ब हुआ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में श्री केदार नाथ जूनियर हाई स्कूल, सोनगांव को मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में दिए गए परस्पर विरोधी उत्तरों के कारणों की जानकारी

3–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 व विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या 55 के उत्तर में कौन सा उत्तर सत्य की परिधि में है ? क्या दोनों उत्तरों को सदन के पटल पर पुनः रखते हुए यह भी बतायेंगे कि सत्य से परे सदन के पटल पर दिये गये उत्तर के संबंध में कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 का दिया गया उत्तर राजस्व अभिलेखों पर आधारित होने के कारण सत्य की परिधि में है।

उक्त दोनों उत्तरों की प्रतियां संलग्न हैं। शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों द्वारा दी गई भ्रामक सूचना के आधार पर विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–34 का उत्तर दिया गया था, उनके विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी और साथ ही साथ विद्यालय को दी गई मान्यता को समाप्त किये जाने के संबंध में भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(देखिए नत्थी 'क–1' आगे पृष्ठ 128–129 पर)

नवज्योति विद्या मन्दिर हजपुरा, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती-पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

4–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भवानी भीख मिश्र, ग्राम–हजपुरा, तहसील–जलालपुर, जिला–फैजाबाद द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को माह फरवरी/मार्च, 1994 में "नवज्योति विद्या मन्दिर, हजपुरा, फैजाबाद" में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र व्यक्तिगत रूप से दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या आरोप हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पूर्व सचिव, श्री करनैल सिंह को भ्रष्टाचार के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था, जिसकी जांच उप निदेशक, उर्दू, शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो उस पर कौन से आरोप प्रमाणित हुये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

श्री भवानी भीख मिश्र का प्रार्थना-पत्र दि० 21-1-94 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में नवज्योति जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्धतंत्र, प्रधान अध्यापक व विभाग से मिली भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं जालसाजी की शिकायत करते हुए वर्ष 1992 में की गई शिकायत की जांच के संबंध में कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। दोषी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जांच में विभिन्न अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं जिनके संबंध में दोषी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी० डी० इण्टर कालेज खेड़ा मंगलपुर, जनपद सहारनपुर में सेवा समाप्ति के उपरान्त भी वेतन दिए जाने की शिकायत

5–श्री बालचन्द्र मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० डी० इण्टर कालेज, खेड़ा मुगल (सहारनपुर) में ऐसे कितने अध्यापक एवं कर्मचारी हैं जिनको सेवा समाप्ति के उपरान्त भी वेतन का भुगतान हो रहा है। इन अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के उपरान्त वेतन के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान अब तक हो चुका है ? इस भुगतान राशि को लौटाने का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है।

हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कानपुर में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति की मांग

6–श्री ओंकार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हलीम मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, कानपुर में विगत 7 वर्षों से अधिक समय से कोई स्थायी प्राचार्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थायी प्राचार्य शीघ्र नियुक्ति किये जाने हेतु आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्नगत महाविद्यालय में 3 वर्ष 10 माह से स्थायी प्राचार्य नहीं है। शासन को उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार महाविद्यालय को आयोग द्वारा अल्प संख्यक संस्था के रूप में मान्य किया गया है, ऐसी स्थिति में प्राचार्य की नियुक्ति की कार्यवाही महाविद्यालय स्तर से ही अपेक्षित।

सम्बन्धित नहीं।

सम्बन्धित नहीं।

व्यापार कर जांच चौकी फतेहपुर सीकरी, आगरा के विरुद्ध कतिपय शिकायतें

7–श्री बदन सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को जानकारी है कि व्यापार कर जांच चौकी फतेहपुर सीकरी, आगरा पर विभाग के आदेशों के विपरीत कर्मचारियों ने अपनी निजी स्टोर रूम बना रखा है और व्यापारियों से अनुचित धन कमाने के लिए उनमें माल जमा कर बाद में गायब कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इन निजी स्टोर भण्डारों को चलाने का क्या औचित्य है और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या यह भी सही है कि व्यापार कर जांच चौकी, फतेहपुर सीकरी पर अनुचित धन वसूलने की नीयत से घण्टों-घण्टों बड़ी संख्या में ट्रकों की लम्बी लाइनों से राष्ट्रीय मार्ग नं०–11 के व्यस्त महत्वपूर्ण यातायात व्यवस्था को अवरुद्ध किया जाता है ? यदि हां, तो इस यातायात

व्यवस्था को बिगाड़ने वाले मौजूदा चौकी इंचार्ज के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

व्यापार-कर जांच चौकी फतेहपुर सीकरी, आगरा पर कर्मचारियों ने अपना कोई निजी स्टोर रूम नहीं बना रखा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निबन्धन कार्यालय मेरठ के सहायक महानिरीक्षक (रजिस्ट्रेशन) एवं एक लिपिक के विरुद्ध जालसाजी की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8–श्री समर पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक महानिरीक्षक (रजि०), मेरठ एवं एक लिपिक, निबन्धन कार्यालय, मेरठ के विरुद्ध जालसाजी करने विषयक श्री सत्य प्रकाश जैन, एडवोकेट के शिकायती-पत्र पर वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग के अर्ध० शा० पत्र सं०–एस० आर०–3877/11-92-312/225/92, दिनांक 28 जुलाई, 1992 द्वारा महानिरीक्षक, निबन्धन, उ० प्र०, इलाहाबाद से संस्तुतियों सहित जांच आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शासन के अ० शा० पत्र सं०–एस० आर०–3877/11-92-312/225/92, दिनांक 28-7-92 द्वारा महानिरीक्षक, निबन्धन को निर्देशित किया गया था कि श्री सत्य प्रकाश जैन, एडवोकेट के शिकायती-पत्र दिनांक 6-7-92 की जांच अपर महानिरीक्षक, निबन्धन से कराकर अपनी संस्तुति सहित आख्या शासन को भेजें ।

जांच में दोषी पाये गये दो लिपिकों श्री हरिश्चन्द्र मौर्य तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद को निन्दात्मक प्रविष्टि दी जा चुकी है । शिकायती-पत्र में उल्लिखित स्टाम्प पत्रावलियों में विभाग की ओर से दाखिल निगरानी में मुख्य नियंत्रण राजस्व अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त (स्टाम्प) श्री आर० एस० वर्मा के विरुद्ध संस्तुति की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप श्री वर्मा को आरोप-पत्र तैयार करके आरोपित किये जाने की कार्यावाही की जा रही है ।

प्रवक्ता एवं एल० टी० वेतनक्रम से पदोन्नति प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन कर लाभ दिये जाने की मांग

9–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में प्रवक्ता एवं एल० टी० वेतनक्रम से पदोन्नत प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं का विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है ?

क्या सरकार की नीति के अनुसार तीन वर्ष बाद में वर्ष 1991 में इनका विभागीय चयन समिति द्वारा चयन हो जाना चाहिए था ? यदि हां, तो चयन न किये जाने के पीछे कौन दोषी है ? क्या यह भी सही है कि इसी वेतनक्रम के वर्ष 1988 के बाद एस० डी० आई० जो डी० आई० के पद पर वर्ष 1991 में प्रोन्नत हुए थे, का विभागीय चयन, चयन-समिति द्वारा हो गया है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को वर्ष 1991 में चयन समिति द्वारा चयन मानकर उसका लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में फकोट से शिवपुरी तक सड़क मार्ग का निर्माण शीघ्र कराए जाने की मांग

10–श्री हरक सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में "फकोट सेमलीकाटल होते हुए शिवपुरी तक" स्वीकृत हल्का वाहन मार्ग पर आज तक "फकोट" से लो० नि० वि०, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा न ही फकोट के आस-पास की सड़क मार्ग से पड़ने वाली भूमि को अधिग्रहीत किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

संबधित मार्ग के लिए भूमि का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग को होना बाकी है ।

श्री माता प्रसाद सिंह, सेवानिवृत सहायक अध्यापक, श्री बजरंग विद्यापीठ इण्टर कालेज देवलपुर, सहिनवां, सुल्तानपुर के पेंशन एरियर का भुगतान

11–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री माता प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक, श्री बजरंग विद्यापीठ इण्टर कालेज, देवलपुर, सहिनवां, सुल्तानपर की पूर्ण सेवाओं को पेंशन लाभ हेतु जोड़ने के संबंध में शासनादेश संख्या–रा० का० 632/15-16-93-1600 (139)/92, दिनांक 02 सितम्बर, 1994 निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अनुपालन में उन्हें दिनांक 1-7-87 से 30-6-94 तक के पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त बकाये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? इसमें विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राथमिक पाठशाला गलगली, जनपद प्रतापगढ़ के भवन को बनवाए जाने की मांग

12–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के प्राथमिक पाठशाला गलगली, विकास खण्ड बिहार का भवन, जिसका निर्माण कार्य विगत 9 वर्ष पहले प्रारम्भ किया गया है, बिना पूर्ण हुए ही दो वर्ष पहले धराशायी हो गया है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि छात्र भवनहीन विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

बच्चों की शिक्षा के लिए ग्राम सभा द्वारा एक कमरा निर्मित करवाया गया है ।

वर्ष 1995-96 में भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव है ।

जनपद गोण्डा के उतरौला तहसील मुख्यालय पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की योजना की जानकारी

13–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के उतरौला तहसील मुख्यालय पर राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में सीधे राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना संचालित नहीं है ।

श्री प्रेमशंकर शुक्ला, सेवानिवृत्त अध्यापक, शाहजहांपुर की पेंशन एवं वेतन के भुगतान के संबंध में दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का दिनांक 2-2-95 का पत्र जो कि प्रेमशंकर शुक्ला, सेवानिवृत्त अध्यापक सी० टी० सम्बर्ग, शाहजहांपुर के वेतन तथा पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विष्णु दत्त द्विवेदी, प्रधानाध्यापक, जू० हा० स्कूल, जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णु दत्त द्विवेदी, प्रधानाध्यापक, जू० हा० स्कूल, जलालाबाद, शाहजहांपुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-1-95 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 3-1-95 के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को दिनांक 11-1-95 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर के आदेश सं० प्र० लि०/8326-29/94-95, दिनांक 27-1-95 द्वारा श्री विष्णु दत्त द्विवेदी प्रधान अध्यापक का पदस्थापन जूनियर हाई स्कूल जलालाबाद, क्षेत्र जलालाबाद, शाहजहांपुर में किया गया है ।

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों को वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर पदोन्नत करने की मांग

16–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा के लेखा संगठन के शिक्षा विभाग–5 के शासनादेश संख्या 6180, दिनांक 7-8-86 एवं इसी क्रम में शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र संख्या स्थापना/2/86/मेमो/41124-407, दि० इलाहाबाद 15-12-86 द्वारा घोषित नियुक्ति अधिकारी द्वारा विधिवत् चयनित/नियुक्त स्थायी तथा अपने पदों पर 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके लेखा परीक्षकों को रिक्त वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के पदों पर पदोन्नतियां कब तक की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रकरण विचाराधीन है । निर्णय हो जाने के बाद तद्नुसार पदोन्नतियों पर विचार किया जायगा ।

के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक स्व० कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव के आश्रित पुत्र श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को सेवा में लिए जाने की मांग

17–श्री मोहर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज, इलाहाबाद में कार्यरत सहायक अध्यापक स्वर्गीय कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 22 जुलाई, 1993 को हो गयी थी तथा इनके आश्रित पुत्र श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा का संस्तुति पत्र दिनांक 28 जुलाई, 1994 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो के० पी० जायसवाल इण्टर कालेज, इलाहाबाद में अधिसंख्य पद सृजित कर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धतंत्र को उनके पत्रांक अनु–7/20644–48-94-95, दिनांक 25-1-95 द्वारा निर्दिष्ट किया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धतंत्र ने मृतक के आश्रित पुत्र को नियुक्ति प्रदान कर

दी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संदर्भ में प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद में पत्र द्वारा मृतक आश्रित पुत्र श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधतंत्र को निर्देशित किया गया था परन्तु जब विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा मृतक के आश्रित पुत्र श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त पत्र जारी नहीं किया गया तो पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धतंत्र को दिनांक 21-4-95 को स्मरण कराया गया कि मृतक के आश्रित को नियुक्ति पत्र देकर कार्यभार ग्रहण करायें । इसके बावजूद प्रबन्धतंत्र द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई अतः विद्यालय के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध शिक्षा संशोधित अधिनियम की धारा 16–डी (2) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद कार्यालय के पत्रांक अनु० 7/2064/95-96, दिनांक 9-6-95 द्वारा शिक्षा संशोधित अधिनियम 1921 की धारा 16 डी (2) के अन्तर्गत निर्देश का प्रारूप उप शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद को उपलब्ध करा दिया गया है ।

विकास खण्ड बदलापुर, जनपद जौनपुर में रामनगर-कृष्णापुर मार्ग को जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त पूर्ण कराये जाने की मांग

18–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री इन्द्र भद्र सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुल लंबाई का मात्र .8 कि० मी० का कार्य छोड़कर अन्य नये कार्यों को कराया जाना कहां तक उचित था ? क्या यह सही है कि यदि कोई कार्य अधूरा रह जाता है तो इसे अगले वित्तीय वर्ष में कराये जाने की प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो मात्र .8 कि० मी० का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार अगले वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य को पूरा कराने हेतु शासन स्तर से कोई निर्देश देने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जिला योजना के अन्तर्गत मार्गों का चयन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है । शासन का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है । अतः जो भी प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कर शासन को प्रेषित किये जाते हैं, उनकी स्वीकृति यथावत् जारी कर दी जाती है ।

यह जिला स्तरीय समिति के निर्णय पर निर्भर करता है ।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के निर्णय पर निर्भर करता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोण्डा की तहसील उतरौला में अतिरिक्त न्यायालय जुडीशियल मजिस्ट्रेट की स्थापना की मांग

19-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकेन्द्रीकरण नियोजन प्रणाली पालिसी के अन्तर्गत जनहित में गोण्डा जिले की तहसील उतरौला के मुख्यालय पर अतिरिक्त न्यायालय जुडीशियल मजिस्ट्रेट की स्थापना हेतु कोई कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय ने तहसील भवन के निर्माण एवं परगनाधिकारी का न्यायालय उपलब्ध होने तक प्रस्ताव स्थगित रखने का निर्णय लिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद–इलाहाबाद रेल मार्ग को क्रास करने वाले मार्गों पर फाटक बनवाए जाने की मांग

20-श्री परशुराम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर क्षेत्र से होकर जाने वाले फैजाबाद--इलाहाबाद रेल मार्ग को क्रास करते हुए लोक निर्माण विभाग (तत्कालीन सा० नि० वि०) के अस्थायी खण्ड–2 द्वारा बनवाये गये मार्ग पर समवार फाटक बनवाये जाने और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा रेल विभाग को निश्चित धनराशि हस्तान्तरित किये जाने का ब्यौरा देते हुए प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-3-94 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के बिन्दुओं के अनुसार अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना समिति हाटा, जनपद देवरिया में हो रही अनियमितताओं की जांच

21-श्री अम्बिका सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति हाटा, जनपद देवरिया में हो रही अनियमितताओं के विरुद्ध क्षेत्रीय विधायक श्री रमापति उर्फ रमाकान्त की मांग पर उप गन्ना आयुक्त, देवरिया द्वारा जनपद पडरौना के जिला गन्ना अधिकारी को जांच अधिकारी जनवरी, 1995 में नियुक्त किया था ? क्या जांच में अनियमिततायें पायी गयीं ? यदि हां, तो अनियमितता पाई जाने पर विशेष सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जांच अधिकारी जो दूसरे जनपद के अधिकारी थे, उन्हें जांच के समय कर्मचारियों को स्थानान्तरण आदेश देने का अधिकार था ? यदि नहीं,

तो क्या जांच अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

श्री राम अवध सिंह संबंधित विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति, हाटा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रख्यापित है ।

जी नहीं ।

जांच अधिकारी द्वारा कोई स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया गया, बल्कि सक्षम अधिकारी उप गन्ना आयुक्त, देवरिया के अनुमोदन से जांच में अन्तर्ग्रस्त एक गन्ना पर्यवेक्षक श्री अलाउद्दीन को जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया से आबद्ध किये जाने के आदेश पारित किए गये ।

नवसृजित जनपद पड़रौना में बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति की मांग

22–श्री अम्बिका सिंह (पड़रौना)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद पड़रौना में जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है । उप विद्यालय निरीक्षक के पद सृजन के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी ।

23–श्री लालमणि प्रसाद–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जूनियर हाई स्कूल बरही नेवादा, जनपद वाराणसी में निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की मांग

24–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के पाचवें सोम के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरही नेवादा जूनियर हाई स्कूल, बरही नेवादा, वाराणसी को छात्र/छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु धन वर्ष 86-87, 87-88, 88-89, 89-90 में नहीं दिया गया ? यदि हां, तो अब तक क्षतिपूर्ति अनुदान न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी क्षतिपूर्ति अनुदान दिये जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

क्षतिपूर्ति मांग-पत्रों पर संस्तुति के आधार पर क्षतिपूर्ति की स्वीकृति के आदेश दे दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उप प्रबन्धक, ग्रामान्चल विकास समिति बरही नेवादा, जिला वाराणसी द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामान्चल विकास समिति, बरही नेवादा, वाराणसी द्वारा संचालित बरही नेवादा जू० हा० स्कूल एवं बरही नेवादा प्राथमिक विद्यालय में जुलाई, 94 से अनुमोदित पाठ्यक्रम के साथ–साथ प्रत्येक कक्षा के एक-एक अनुभाग में एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें पढ़ाये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में समिति के उप प्रबन्धक का आवेदन-पत्र दिनांक 7-3-94 के साथ शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव, शिक्षा को दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

सन्दर्भगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्रों को सत्यापित कराये जाने की मांग

26–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के अन्तर्गत कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षति के प्रतिपूर्ति हेतु जूनियर हाई स्कूलों के आवेदन-पत्रों की जांच करके सत्यापित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति संबंधित आवेदन-पत्रों की जांच किसके द्वारा की जायेगी ? क्या मंत्री महोदय आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा से हुई क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकार द्वारा बनायी गयी नई नीति की जानकारी

27–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार ने कोई नई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या बालिकाओं की शिक्षा जो

केवल 26 प्रतिशत है, शत-प्रतिशत शिक्षित करने के लिए भी कोई योजना तैयार की गयी है ? उन योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं इसके संशोधित प्रारूप 1992 के आधार पर जो नीतियां बनी हैं उनके अनुरूप शैक्षिक कार्यकलाप चलाये जा रहे हैं ।

6 से 11 वर्ष के वय की बालिकाओं को नामांकन अभियान के जरिये स्कूल में भर्ती किया जाता है । इसके अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा प्रदत्त की जाती है । 15 से 35 वर्ष की महिलाओं को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत शिक्षित किया जा रहा है । नामांकन अभियान, अनौपचारिक शिक्षा सम्पूर्ण साक्षरता के कार्यक्रमों में महिलाओं को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

जनपद गाजियाबाद में राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग टिन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी पर बकाया बिक्रीकर की वसूली हेतु की गयी कार्यवाही की जानकारी

28–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग टिन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (टी० एम० सी०) व उसकी सिस्टम कन्सर्न का कुल कितना बकाया है तथा उसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सुश्री मायावती–

गाजियाबाद में राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टिन मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (टी० एम० सी०) व उसकी सिस्टम कन्सर्न फर्म पर बिक्रीकर (व्यापार-कर) की बकाया धनराशि (रु० 19,810.00+1,61,840.37) =रु० 1,81,650.37 है, जिसमें से सर्वश्री टिन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी आफ इण्डिया पर बकाया रु० 19,810 तथा भारत टिन उद्योग पर रु० 1,54,259.00 की बकाया की वसूली व्यापार-कर अधिकरण द्वारा स्थगित है । इस कारण उक्त धनराशि की वसूली के संबंध में कार्यवाही संभव नहीं है । शेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 22-9-1993 को डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) व्यापार-कर को भेजा गया है ।

जिला गन्ना अधिकारी, कानपुर द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को उत्पीड़ित किए जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग

29–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना पर्यवेक्षकों का न्यूनतम वेतनमान पर गांव एवं तहसील स्तर पर मुख्यालय होने पर मकान किराया भत्ता कितना दिया जा रहा है ? क्या जिला गन्ना अधिकारी, कानपुर के अधीन तैनात बिन्दकी एवं घाटमपुर व उन्नाव के अनुसूचित जाति के पर्यवेक्षकों को माह सितम्बर, 1993 से मार्च, 1995 तक केवल 25 रुपये की दर से किराया भत्ता दिया गया है ? क्या उनके माह फरवरी, 1993 में तैनात होने के बावजूद वार्षिक वेतन वृद्धि माह अगस्त व

सितम्बर, 1994 में लगायी गयी है ? क्या महंगाई भत्ते की देय धनराशि (जनवरी, 1993 से जुलाई, 1993) जी० पी० एफ० खाता न होने के कारण राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को उत्पीड़न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासनादेश संख्या–वे० आ०–1-2246/दस-59 (एम)/1988, दिनांक 14-8-88 एवं शासनादेश संख्या–जी–1-100/दस–263/88, दिनांक 24 जुलाई, 1992 के अनुसार न्यूनतम वेतनमान रु० 975 पर गांव एवं तहसील स्तर पर मुख्यालय होने पर क्रमशः रु० 25 ग्रामीण आवास भत्ता तथा रु० 75 मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ।

जिला गन्ना अधिकारी, कानपुर के अधीन तैनात बिन्दकी एवं घाटमपुर व उन्नाव के अनुसूचित जाति के गन्ना पर्यवेक्षकों को माह सितम्बर, 1993 से माह 1995 तक उपरोक्त शासनादेश सं०–वे० ओ०–1-2246/दस–59 (एम)/88, दिनांक 14-8-88 व शासनादेश संख्या–जी–1-900/दस–263-88 दिनांक 24-7-92 के अनुसार गांव व तहसील स्तर पर मुख्यालय होने एवं वेतन सीमा के आधार पर रु० 25, 40, एवं 75 की दर से ग्रामीण आवास भत्ता/मकान किराया भत्ता दिया गया है ।

माह फरवरी, 1993 में तैनात गन्ना पर्यवेक्षकों की वेतन वृद्धि फरवरी, 1994 में देय हुई, जिसे सेवा अभिलेख पूर्ण होने तथा अन्य स्थापन सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण होने पर अगस्त, 1994 में निर्धारित तिथि से ही स्वीकृत किया गया ।

प्रश्नगत मामले में कुल 8 कर्मचारी ऐसे थे जिनका जी० पी० एफ० खाता नहीं था । उक्त 8 कर्मचारियों को इस निर्देश के साथ बकाया धनराशि का भुगतान किया गया कि वे राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद कर कार्यालय को नोट करा दें । तीन कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद कर उसका नम्बर नोट करा दिया परन्तु शेष पांच कर्मचारियों ने नम्बर नोट नहीं कराया है । जिन तीन कर्मचारियों ने नम्बर नोट कराये हैं उनमें दो अनुसूचित जाति के एवं एक अन्य जाति का कर्मचारी है ।

इस प्रकरण में किसी अनुसूचित जाति के कर्मचारी का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पड़रौना के ग्राम मरचहवां में उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु अवमुक्त की गई धनराशि को व्यक्तिगत खाते में जमा करने की शिकायत

30–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में ग्राम मरचहवां, विकास खण्ड खड्डा, जनपद पड़रौना में उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु आवंटित धनराशि किसी के व्यक्तिगत खाते में जमा की गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया गया ? क्या उस दण्ड के पश्चात् उन्हें पुनः बहाल किया गया जबकि न तो विद्यालय भवन का निर्माण हुआ और न ही संदर्भित धनराशि की वसूली हो पायी है ? बहाली का आधार क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय भवन के बरामदे की छत झुक जाने के कारण प्रधानाध्यापक को निलम्बित किया गया था तथा कालान्तर में प्रधानाध्यापक द्वारा अपने पैसे से निर्माण कराये जाने के लिए शपथ-पत्र देने पर उन्हें बहाल कर दिया गया ।

प्रदेश में बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए चल रहे उद्योगों की संख्या की जानकारी

31–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने उद्योग जिनको चलाने के लिये पर्यावरण विभाग/बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र वांछित है, बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के चल रहे हैं ? इनमें से कितने को जल तथा वायु के संदर्भ में सहमति प्रदान की गयी है ? अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न करने के कारण क्या हैं ?

सुश्री मायावती–

(क) बोर्ड द्वारा उद्योगों को चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाते हैं इसलिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वांछित होने अथवा उद्योगों के बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के चलने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रदेश के 224 प्रमुख प्रदूषणकारी वृहद तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों में से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत 64 उद्योगों को सशर्त जल सहमति व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत 61 उद्योगों को वायु सहमति प्रदान की गयी है ।

(ग) "क" पर इंगित स्थिति के अनुसार प्रश्न नहीं उठता ।

32–श्री मुक्तिनाथ–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद महोबा में तहसील महोबा/चरखारी की सीमा में स्थित कतिपय गांवों के मार्गों के निर्माण के संबंध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

33–श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महोबा के तहसील महोबा/चरखारी की सीमा में स्थित 25 गांवों के लिये मार्गों एवं सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 20 फरवरी, 1995 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें इंगित मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में मुख्य सड़क से ग्राम ननहेड़ा टीपरान तक निर्मित खड़न्जे पर लेपन कार्य कराने की मांग

34–डा० मामचन्द लाम्बा–

क्या गन्ना विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक नागल में बीरपुर भाटौल सड़क से ग्राम ननहेड़ा टीपरान का खड़न्जा वर्तमान विधायक कोटे के पैसे से गन्ना विभाग द्वारा लगाया था ? क्या विभागीय शासनादेश द्वारा भी अभी तक उस पर लेपन कार्य नहीं हुआ ? क्या सरकार उस खड़न्जा का लेपन करायेगी एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्नगत खड़न्जा वर्ष 1991-92 में गन्ना विकास परिषद्, देवबन्द, जनपद सहारनपुर द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत लगाया गया था ।

धनाभाव के कारण लेपन कार्य कराया जाना फिलहाल संभव नहीं है ।

अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर के ग्राम ननहेड़ा टीपरान के बेसिक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

35–डा० मामचन्द लाम्बा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक नागल के ग्राम ननहेड़ा टीपरान में बेसिक विद्यालय में बच्चों की संख्या एक सौ पचास के लगभग है जबकि अध्यापक एक है ? क्या सरकार वहां पर समुचित अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

सितम्बर, 1994 में छात्र संख्या 104 थी और उस समय एक ही अध्यापक कार्यरत था । एक और शिक्षक की व्यवस्था कर दी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1994-95 में प्रदेश में समस्त जनपदों की जिला योजना परिव्यय की जानकारी

36–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 को प्रदेश की समस्त जनपदों की जिला योजना परिव्यय जिलेवार क्या है ? क्या मुख्य मंत्री जी उसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

जनपदों की वर्ष 1994-95 की जिला योजना हेतु निर्धारित परिव्यय का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 130–132 पर)

राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ के प्रोफेसर श्री एम० एम० नागिया के विरुद्ध हुई शिकायत के परिणाम की जानकारी

37–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ में श्री एम० एम० नागिया, प्रोफेसर के पद पर कब से नियुक्त हैं ? क्या उनकी नियुक्ति के दौरान छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं तथा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

श्री एम० एम० नागिया, राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर दिनांक 3-11-90 से नियुक्त हैं ।

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दु प्रारम्भिक जांचोपरान्त प्रथमदृष्टया सही पाये जाने पर श्री नागिया को दिनांक 29-2-92 को निलम्बित करते हुए, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी । विभागीय जांचोपरान्त श्री नागिया संस्था की छात्राओं के प्रति अवांछनीय एवं आपत्तिजनक व्यवहार करने के लिये दोषी पाये गये । इस हेतु श्री नागिया को एक भर्त्सनात्मक प्रविष्टि एवं अगले दो वर्ष तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य नहीं देखने संबंधी दण्ड देते हुए, भविष्य में पद की गरिमा के अनुसार व्यवहार करने हेतु सचेत करने के साथ सेवा में दिनांक 4-1-93 को पुनः बहाल कर दिया गया ।

जनपद पड़रौना में सलेमपुर, मठिया मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण न कराने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

38–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पड़रौना के विकास खण्ड सेवरही में पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 1992 की स्वीकृत धनराशि विभाग को दे दिया गया था ? सलेमगढ़ मठिया श्रीराम मार्ग का निर्माण 30 मार्च, 1993 तक पूर्ण कर लिया जाना था तो क्या निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस कार्य में लगे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

3 कि० मी० मार्ग ग्राम्य विकास अभिकरण के पत्र दिनांक 25-1-93 द्वारा 9.53 लाख रु० की लागत पर स्वीकृत किया गया । इस कार्य पर 2/93 एवं 6/93 में दो किस्तों में धन प्राप्त हुआ तथा तृतीय किश्त के रूप में 0.96 लाख रु० विभाग को प्राप्त होना अभी भी शेष है ।

जी नहीं । इस कार्य को पूर्ण करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी तथापि कार्य का पूर्ण किया जाना शेष धन प्राप्त होने पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पड़रौना स्थित सलेमपुर मठिया श्री राम मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता से संबंधित प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

39–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-3-94 को कोई पत्र जनपद पड़रौना स्थित सलेमगढ़ मठिया श्री राम मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में जांच हेतु प्राप्त हुआ है ? क्या जांच कार्यवाही पूरी हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासन स्तर पर पत्र दिनांक 1-3-94 प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नैनीताल सेक्टर–1 के आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध दिए गए शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड नागरिक परिषद् के सचिव श्री नेगी का मुख्य मंत्री जी को लिखा दिनांक 28-3-91 का पत्र जो नैनीताल सेक्टर–1 के आबकारी निरीक्षक के भ्रष्टाचार एवं 1991-92 के लिए शराब की नीलामी में की गयी व्यापक गड़बड़ी से संबंधित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित पूरा विवरण क्या है तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री आर० पी० वर्मा, आबकारी निरीक्षक, सेक्टर–1, नैनीताल के विरुद्ध नीलाम में गड़बड़ी करने एवं अन्य कदाचरण की शिकायत है, जिसकी जांच उप आबकारी आयुक्त, नैनीताल से कराई गयी । जांचोपरान्त शिकायतें तथ्यहीन एवं निराधार पाते हुए मामले को समाप्त कर दिया गया है ।

जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी में स्थित विद्यालयों की दुर्दशा से सम्बन्धित दिए गए शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41–श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी में प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों में दयनीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में श्री अरिमर्दन सिंह, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1995 उनहें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें इंगित मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

परिषद्‌ीय विद्यालयों में अध्यापकों की अनुपस्थिति, कन्या प्राइमरी पाठशाला का फर्जी संचालन, स्थानीय अध्यापकों को दूरस्थ स्कूलों में स्थानान्तरण करना आदि शिक्षा निदेशक (बे०) को जांच कर प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राइमरी पाठशाला पूरे प्रेम शाह, जनपद सुल्तानपुर के प्रधान अध्यापक द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर सहमति के आधार पर स्थानान्तरण, की शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

42–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 11-11-94 का पत्र जिसमें मुसाफिर खाना के प्रा० पा० पूरे प्रेम शाह के प्रधान अध्यापक का फर्जी हस्ताक्षर कर सहमति के आधार पर स्थानान्तरण करने की शिकायत पर कोई कार्यवाही न करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किसने की है तथा जांच के बाद क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, मुसाफिर खाना द्वारा जांच की गयी ।

संबंधित शिक्षक का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया है । तथा क्षेत्रीय निरीक्षक को चेतावनी भी दे दी गई है ।

जनपद गोण्डा की तहसील उतरौला में भवनहीन बेसिक विद्यालयों को बनवाए जाने की मांग

43–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील उतरौला में कितने बेसिक पाठशाला भवन विहीन हैं ? क्या सरकार इन भवन विहीन बेसिक पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

एक प्राथमिक विद्यालय । भवन विहीन एक मात्र प्राथमिक पाठशाला महादेवा के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है किन्तु मा० न्यायालय के स्थगन आदेश के फलस्वरूप निर्माण कार्य अवरुद्ध है । स्थगनादेश रिक्त होने के पश्चात् भवन निर्माण कराया जायेगा ।

बी० एड० के छात्रा एवं अध्यापक द्वारा कुलपति, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद को दिए गए पत्र के अनुसार की गई जांच में पाए गए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

44–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पांचवें सोमवार के अता० प्रश्न संख्या–126 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संबंधित प्रकरण में प्रतीक्षित जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

स्व० बद्री प्रसाद दुबे, भू० पू० सहायक अध्यापक, ग्राम टिपरी, जनपद सुल्तानपुर के पुत्र श्री अशोक कुमार दुबे का मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की जानकारी

45–श्री तेजभान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बद्री प्रसाद दुबे, सहायक अध्यापक, ग्राम टिपरी, पो० वल्दीराय की मृत्यु कार्यावस्था में वर्ष 1974 में हुई थी ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित श्री अशोक कुमार दुबे (पुत्र) ने सन् 1993 में मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाने हेतु कोई आवेदन-पत्र बेसिक शिक्षाधिकारी, सुल्तानपुर को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं । मृत्यु 1973 में हुई थी ।

जी हां ।

श्री अशोक कुमार दुबे की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ग्राम चौपई बनी मार्ग स्वीकृति की जानकारी

46–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम चौपई मार्ग की रोड स्वीकृत थी ? यदि हां, तो क्या उसका निर्माण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

47–श्री ऊदल–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक आयुक्त के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबकारी निरीक्षकों के संबंध में उनके संगठन का एक ज्ञापन प्रश्नकर्ता ने सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश को दिनांक 21-12-93 को अपने पत्र के साथ दिया था ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि सामान्य से सहायक आयुक्त के

पद पर प्रमोशन् माह अगस्त, 1992 में इन पदों पर कर दिया गया था ? क्या अब और प्रमोशन करना है ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

आबकारी विभाग द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त सेवा नियमावली–92 के नियम–5–7 व 8 में संशोधन करते हुये, प्रोन्नति हेतु निर्धारित "श्रेष्ठता" के मापदण्ड के स्थान पर "अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता" के मापदण्ड के निर्धारण की कार्यवाही की जा रही थी । इसी बीच कार्मिक विभाग द्वारा इस विषय पर उ० प्र० सरकारी सेवा (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मापदण्ड) नियमावली–1994 दिनांक 10-10-94 जारी की जा चुकी है जिसका सहायक आबकारी आयुक्त सेवा नियमावाली–92 पर अध्यारोही प्रभाव है ।

जी नहीं, 1 सितम्बर, 1992 को विभागीय चयन समिति के माध्यम से सहायक आबकारी आयुक्त के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु चयन सम्पन्न हुआ था । इस चयन हेतु उ० प्र० (लोक सेवा आयोग क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार की गई एकल पात्रता सूची में अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण, चयन समिति द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियों को अग्रेनीत किया गया था ।

जी हां । इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच द्वारा, रिट याचिका सं०–1113/94–अमरजीत सिंह बनाम राज्य व अन्य में, पारित उनके निर्णय दिनांक 1-2-95 के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निर्णय के उपरान्त ही सहायक आबकारी आयुक्त के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु चयन किया जाना सम्भव है ।

उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा विभाग में अभियांत्रिक व्याख्याताओं का विनियमितीकरण

48–डा० पृथ्वी सिंह विकसित–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–136 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 2-6-76 द्वारा नियुक्त ऐसे उक्त 6 व्याख्याताओं को नियमावली, 1979 के तहत विनियमित करने का आधार सीधी भर्ती है तो उक्त पद की अभ्यर्थना हेतु उनके आवेदन-पत्र पटल पर रखना चाहेंगे ? क्या सरकार बतायेगी हौसला सिंह बनाम उ० प्र० शासन व अन्य में अधिकरण का निर्णय दिनांक 15-10-88 मात्र हौसला सिंह के पक्ष में है अथवा उन सभी 6 नियमित व्याख्याताओं के पक्ष में है ? यदि अधिकरण के परिपेक्ष्य शब्द का प्रयोग कर श्री हौसला सिंह के साथ अन्य 5 को भी नियमित किया गया है, तो शेष 11 को क्यों छोड़ा गया है उन्हें तद्नुरूप क्यों नहीं किया गया है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के सहायक अध्यापक श्री अब्दुल बरकत अली व श्री सैफुल इस्लाम के विदेश जाने की अवधि का वेतन अनियमित रूप से भुगतान करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

49–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में विकास खण्ड उस्का बाजार के प्राइमरी पाठशाला भिटपरा में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री अब्दुल बरकत अली तथा विकास खण्ड नौगढ़ के जूनियर हाई स्कूल गनेरा में कार्यरत श्री सैफुल इस्लाम वर्ष 1993-94 में बिना विभाग की अनुमति लिये विदेश चले गये थे और विदेश में रहने की अवधि का वेतन भी ले लिये हैं ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता प्रमाणित होने के बाद अनियमितता करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

श्री सैफुल इस्लाम, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, गनेरा तथा श्री अब्दुल बरकत, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, भिटवारी क्रमशः दिनांक 19-2-93 से दिनांक 18-3-93 तक तथा दिनांक 16-2-94 से दिनांक 23-3-94 तक चिकित्सा अवकाश का प्रार्थना देकर उसे बिना स्वीकृत कराये विदेश यात्रा पर हज करने गये थे और उन्हें उक्त अवधि के वेतन का भुगतान भी किया गया था ।

जी हां ।

श्री अब्दुल बरकत अली तथा श्री सैफुल इस्लाम को कड़ी चेतावनी निर्गत कर विदेश यात्रा अवधि के भुगतान किये गये वेतन की धनराशि की वसूली कर ली गयी है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को भी कड़ी चेतावनी दे दी गयी है ।

50–श्री हरक सिंह रावत–

[2सरे बुधवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, सीतापुर की कतिपय शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान रोके जाने के कारणों की जानकारी

51–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, षष्टम् मण्डल, लखनऊ ने रा० क० दी० वि०, सीतापुर की प्रधानाचार्या को सम्बोधित अपने पत्रांक नि० (2) 6474-75/91/92, दिनांक 30-1-92 द्वारा निर्देश दिये हैं कि इस विद्यालय के बी० टी० सी० वेतनक्रम में कार्यरत उन शिक्षिकाओं, जिनको पुनरीक्षित वेतनमान 1200–2040 दिया जा रहा है, का भुगतान तात्कालिक प्रभाव से रोक दें ? यदि हां, तो क्या संबंधित प्रधानाचार्य ने उक्त आदेश के अनुपालनार्थ उपरोक्त शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान रोक दिया है ? यदि हां, तो संबंधित शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण का अवसर दिये बिना वेतन की इस कटौती के क्या कारण हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

52–53–श्री चैनसुख भारती–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाये गये]

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में चलने वाले प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के क्षतिग्रस्त एवं पुराने भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु शासन के नीति की जानकारी

54–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में चलने वाले प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के क्षतिग्रस्त एवं पुराने भवनों के निर्माण अथवा मरम्मत हेतु शासन की क्या नीति है ? मिर्जापुर नगर स्थित उक्त विद्यालयों हेतु क्या कोई धनराशि इस वित्तीय वर्ष में सरकार निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सम्प्रति कोई नीति स्थिर नहीं की गयी है ।

नगर क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त एवं पुराने विद्यालयों का सर्वेक्षण कराकर उनकी मरम्मत तथा निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

खुर्रम नगर, लखनऊ में हंस भक्ति धाम से शिवानी विहार कालोनी तक सड़क बनवाये जाने की मांग

55–श्री ओम प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री लखनऊ स्थित कल्याणपुर, खुर्रम नगर में हंस भक्ति धाम से शिवानी विहार कालोनी तक वाया कृष्णा होमियो क्लीनिक लगभग 1 कि०मी० की सड़क को लेपन स्तर तक करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है ।

जनपद देवरिया में बनकटा रेलवे स्टेशन से अहिरौली बघेल तक सड़क बनवाये जाने की मांग

56–श्री ओम प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री जनपद देवरिया स्थित बनकटा ब्लाक में बनकटा रेलवे स्टेशन से अहिरौली बघेल (दक्षिण) तक वाया भैंसही प्राइमरी पाठशाला की लगभग 1.5 कि०मी० की सड़क को लेपन स्तर तक बनाये जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

कार्य जिला योजना की प्रकृति का है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वर्ष 1994-95 में गन्ना विकास परिषद्, ननौता, जनपद सहारनपुर में विकास के लिये मदवार आवंटित धन का विवरण

57–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास परिषद् ननौता (सहारनपुर) में विकास के लिये आवंटित धन कितना-कितना विकास परिषद् में विभागीय क्षेत्रवार वर्ष 1994-95 में आवंटित हुआ है ? इसके क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि सारा धन एक ही क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिये प्रयोग किया गया है ? क्या सरकार अनियमितता बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

गन्ना विकास परिषद्, ननौता में वर्ष 94-95 मेंकुल 55.17 लाख रु० की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार स्वीकृत की गयी––

	लाख रूपये में
1–स्थापन व्यय	3.70
2–प्रचार प्रसार	0.35
3–विकास कार्य	8.15
4–निर्माण कार्य	34.98
5–अदृश्य मद, सुरक्षित निधि ग्रेच्युटी कोष तथा भवन निर्माण कोष में	7.99
योग–	55.17

गन्ना विकास परिषद् में धनराशि का चिन्हांकन क्षेत्रवार न कर मदवार किया जाता है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल बरही नेवादा, जनपद वाराणसी के उप प्रबन्धक द्वारा अनुदान के संबंध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

58–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-3-94 को अपने पत्र के साथ बरही नेवादा जूनियर हाई स्कूल, बरही नेवादा, वाराणसी में उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6. 7. 8) में बेसिक क्राफ्ट के अन्तर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम की मान्यता एवं अनुदान के संबंध में विद्यालय के उप प्रबन्धक का प्रार्थना-पत्र शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव, शिक्षा को दिया गया था ? क्या इस प्रार्थना-पत्र को मंत्री जी ने पत्र संख्या–2904, दिनांक 19-3-94 तथा प्रमुख शिक्षा सचिव ने अपने पत्र सं०–219वी० आई०पी०/पी०एस०ई०/94, दिनांक 16-3-94 द्वारा सूचित किया था कि सचिव, बेसिक शिक्षा को

आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध मे अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्न में उल्लिखित पत्रों की प्रति पुनः शिक्षा निदेशक (बे०) को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयी है ।

शिक्षा निदेशक द्वारा शीघ्र कार्यवाही कर शासन को सूचित किया जायेगा ।

प्रदेश में असेवित कन्या हाई स्कूलों/इण्टर कालेज की स्थापना हेतु लागू भूमि अर्जन नियम अन्य विद्यालयों में भी लागू किये जाने की मांग

59–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा कन्या हाई स्कूलों/इंटर कालेजों की स्थापना संबंधित राजाज्ञा सं०–1201(1)15-8-94/3009(5)/94, दिनांक 21 सितम्बर, 1994 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं ? क्या विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराये जाने संबंधी निर्देश निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा अन्य विकास खण्डों में स्थापित प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल/हाई स्कूल/इण्टर कालेजों के लिये भी लागू होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उपरोक्त योजनान्तर्गत केवल असेवित विकास खण्ड में कन्या हाई स्कूल/इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में भूमि की उपलब्धता हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये जायेंगे ।

60–श्री हरक सिंह रावत–

[2सरे बुधवार में अता० प्र० सं०–178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अहमद अली निवर्तमान पुस्तकालयाध्यक्ष सी० एस० एन० कालेज हरदोई के वेतन निर्धारण की कार्यवाही

61–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अहमद अली निवर्तमान पुस्तकालयाध्यक्ष, सी० एस० एन० कालेज, हरदोई का शासनादेश संख्या के०आ०–2191/10-39(एम) 1981, लखनऊ दिनांक 20-11-1981 के अनुसार प्रथम प्रक्रिया अपना कर शासनादेश में उल्लिखित प्राविधान के विपरीत वेतन निर्धारण किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उनका वेतन निर्धारण उक्त शासनादेश के पृष्ठ सं० 2 के बिन्दु–3 (एक) "क" के अनुरूप दिवसीय प्रक्रिया के अनुसार रु० 1000–1900 के वेतनमान में दिनांक 1-7-79 को 1200.00 निर्धारित किया जाना चाहिए था ? नियमानुसार कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

निदेशालय द्वारा वेतन निर्धारण कर दिया गया है ।

जनपद लखनऊ में विजय नगर मुख्य मार्ग से बजरंग नगर चौराहा तक मार्ग को पक्का कराने के आगणन को स्वीकृति दिये जाने की मांग

62–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जनपद में विजय नगर मुख्य मार्ग (कानपुर) रोड से बजरंग नगर चौराहा तक लगभग 400 मीटर मार्ग को पक्का कराने का आगणन दिनांक 26-6-92 को मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या–2373, सी० जे० इकाम/716/जेइ/91, दिनांक 26-6-1992 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन वर्ग, लो० नि० वि० लखनऊ को राज्य सेक्टर एस० एन० डी० 92/93 में स्वीकृति हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो स्वीकृति जारी न किये जाने के क्या कारण हैं ? स्वीकृति कब तक जारी की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रस्ताव के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

63–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गांव सभा देवराई व सरांय, जनपद वाराणसी में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की जानकारी

64–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई व गांव सभा सरायं, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी अलग-अलग गांव सभायें हैं ? क्या यह सही है कि जब पंचायतों एवं गांव सभाओं का गठन हुआ उस वक्त दो-दो अथवा तीन-तीन गांवों को मिलाकर एक गांव सभा आज से 35/40 वर्ष पूर्व बनाया गया गया ? क्या यह सही है कि उसी वक्त एक प्रा० पा० गांव देवराई, सराय ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में गांव सराय की आबादी से सट कर नियोजन विभाग वाराणसी की स्वीकृति से खोला गया ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

यह सही है कि ग्राम सराय देवराई की अब अलग-अलग ग्राम सभायें हैं, में एक प्राइमरी पाठशाला खोली गयी है ।

जनपद वाराणसी की गांव सभा देवराई में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

65–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की वर्ष 1995 की सही आबादी पुल व रेलवे लाइन वाराणसी–सुल्तानपुर व वाराणसी–फैजाबाद के पश्चिम दो

किलोमीटर तक फैली है ? क्या इसमे अनुसूचित जाति की भी आबादी है ? क्या सरकार इस प्रश्न पर जांच कराकर गांव सभा देवराई में एक प्रा० पाठशाला खोलेगी ? क्या सरकार की नीति प्रत्येक गांव सभाओं में प्राइमरी पाठशाला खोलने की है ?

श्री सुखदेव राजभर–

ग्राम सभा की सीमा की जानकारी नहीं है ।

जी हां ।

सरकार की नीति प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी पाठशाला खोलने की है । जनपद में प्राथमिक पाठशाला की स्थापना का निर्णय संबंधित जनपद की जिला शिक्षा समिति द्वारा लिया जाता है ।

जनपद वाराणसी की गांव सभा देवराई सराय में खोली गई प्राइमरी पाठशाला का नाम सराय के नाम करके तथा देवराई में दूसरी पाठशाला खोले जाने की मांग

66–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई व गांव सभा सरांय, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी की आबादी अलग-अलग तीन-तीन हजार के ऊपर है ? यदि हां, तो क्या जिला बेसिक शिक्षा विभाग गांव देवराई को सेवित अपने यहां लिखा है तो गांव सभा सराय को क्या लिखा है ? क्या सरकार उक्त देवराई–सराय प्रा० पा० को गांव सभा सराय के नाम करने, गांव सभा देवराई जो रेलवे लाइनों के पश्चिम है, एक अलग से प्रा० पाठशाला स्वीकृत करके वर्ष 1994-95 अथवा 1995-96 के वित्तीय वर्ष में बना दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

जी हां ।

नये मानक के अनुसार चूंकि ग्राम सभा देवराई की भूमि में एक विद्यालय है अतः ग्राम सभा सराय में प्राइमरी पाठशाला खोला जा सकता है । इस संबंध में जनपदीय शिक्षा समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सचिव, बेसिक शिक्षा, उ० प्र० शासन को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

67–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायती पत्र दिनांकित 26-1-1995 पत्रांक 235/95 सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नकर्ता का उक्त शिकायती पत्र दिनांक 26-1-1995 शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम बनाये जाने की योजना की जानकारी

68–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पुस्तकालय, पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार चलते हैं ? क्या उत्तर प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम है ? यदि नहीं, तो क्या अधिनियम बनाने की कोई योजना है ?

श्री सुखदेव राजभर–

कोई नहीं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

69–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[3सरे सोमवार के लिये स्थगित].

पौड़ी नगर में रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नैनीताल नगर के समान आवास भत्ता दिये जाने की मांग

70–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी नगर में रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को नैनीताल के समान आवास भत्ता निर्गत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

पौड़ी नगर की विशिष्टता नैनीताल की भांति न होने के कारण, वहां के अधिकारियों/कर्मचारियों को नैनीताल नगर के समान आवास भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

71–श्री रंगनाथ मिश्र–

[3सरे बुधवार में अता० प्र० सं०–180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रबन्धक श्री आसलदे उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपरपुर के पत्र के संबंध में की गयी जांच के परिणाम की जानकारी

72–श्री तेजभान सिंह–

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–124 के उत्तर के संदर्भ में शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या संदर्भित प्रश्नोत्तर के अनुरूप जांच परिणाम से प्रश्नकर्ता को अवगत करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच परिणाम एवं कृत कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत मामले में जांच आख्या प्राप्त हुई है, जिसके परीक्षणोपरान्त मा० सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा ।

जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

73–श्री बालेश्वर त्यागी–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं०–114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में स्थित हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में अध्यापकों की कमी को पूरा किये जाने की मांग

74–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हाई स्कूल, इण्टर कालेजों में अध्यापकों की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या इन सभी विद्यालयों में शीघ्रातिशीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सहारनपुर में शासकीय तथा अर्द्धशासकीय कालेजों में अनु० जाति एवं जनजाति के अध्यापकों का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

75–डा० माम चन्द्र लाम्बा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय इण्टरमीडिएट शिक्षण संस्थाओं में अनु० जाति की अध्यापिका/अध्यापकों का 21 प्रतिशत आरक्षित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो सरकार इसे कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

76–श्री ऊदल–

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समूह "क" एवं "ख" श्रेणी के पदों की पर्वतीय/उत्तरांचल में तैनाती की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने की मांग

77–डा० पृथ्वी सिंह "विकसित"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में समूह "क" "ख" सेवा के राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की पर्वतीय/उत्तरांचल में तैनाती की अनिवार्यता का नीति निर्धारण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ऐसा करते समय उ० प्र० पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली, 1992 का ध्यान रखा गया है जिसके अन्तर्गत एक पृथक संवर्ग गठन करने की व्यवस्था है ? क्या उक्त नियमावली के परिशिष्ट अनुसार प्राविधिक शिक्षा भी आच्छादित है ? क्या कथित उप संवर्ग नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार विकल्प देने की अपेक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों से की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार तैनाती की अनिवार्यता समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां । समूह "ख" का पृथक संवर्ग गठन करने की व्यवस्था है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । पर्वतीय क्षेत्र की संस्थाओं में समूह "क" एवं "ख" संवर्ग के लगभग 50% पद रिक्त होने के कारण छात्रों के प्रशिक्षण हित में पर्वतीय क्षेत्र में तैनाती की अनिवार्यता समाप्त करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है ।

जनपद फैजाबाद मे चलाये जा रहे साक्षरता अभियान एवं उसकी प्रगति की जानकारी

78–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद मे जिला प्रशासन की देखरेख मे चलाये जा रहे साक्षरता अभियान में जिले की किन-किन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जिले की किन-किन तहसीलों की किन-किन न्याय पंचायतों को चयनित करके साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? इन स्वयं सेवी संस्थाओं को इस कार्य के लिये कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? क्या सरकार जिले में चल रहे साक्षरता अभियान में वर्ष 1994 के जनवरी माह से अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा उपलब्ध कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जिला साक्षरता समिति द्वारा संचालित साक्षरता अभियान के अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा जनपद फैजाबाद में साक्षरता कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है । साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन जिला साक्षरता समिति द्वारा ही किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद का सम्पूर्ण सर्वेक्षण, विभिन्न समितियो का गठन, 9 विकास खण्ड में सघन वातावरण सृजन, पठन-पाठन सामग्री की व्यवस्था, संदर्भ व्यक्तियों एवं मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण और 2977 साक्षर सैनिकों का प्रशिक्षण पूर्ण करने की कार्यवाही की गयी । अब तक 18 न्याय पंचायतों में साक्षरता कक्षायें संचालित हैं जिसके अन्तर्गत प्रवेशिका भाग–1 पूर्ण हो चुकी है ।

जनपद वाराणसी , विद्यालयों हेतु भूमि के अन्तरण पर अकृषक मानकर स्टाम्प शुल्क माफ करने की मांग

79–श्री ऊदल–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, वाराणसी ने स्टाम्प नियमावली के नियम 340 तथा 341 के अन्तर्गत वाराणसी के उप निबन्धक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के क्षेत्राधिकार हेतु दिनांक 5-1-94 को जारी सूची के खण्ड "छ" में निर्धारित सीमा के ऊपर भूमि का अन्तरण अकृषक होने पर उप निबन्धक को स्वविवेक से आवासीय दर पर मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया है ? यदि हां, तो क्या विद्यालयों के भवन, क्रीड़ास्थल आदि हेतु जमीन का अन्तरण अकृषक मानकर आवासीय दर पर स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा ? क्या सरकार विद्यालयों को भूमि के अन्तरण पर स्टाम्प

आवासीय दर पर स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा ? क्या सरकार विद्यालयों को भूमि के अन्तरण पर स्टाम्प शुल्क माफ करने पर विचार करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकार के जमीन के अन्तरण विलेख पर स्टाम्प शुल्क प्रतिफल या बाजार मूल्य जो अधिक, हो, के आधार पर देय होगा ।

जी नहीं ।

जनपद गोण्डा में वर्ष 1992-93 से 94-95 तक मरम्मत किए गए मार्गों एवं उन पर व्यय धनराशि की जानकारी

80–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 94-95 में किन मार्गों में मरम्मत के नाम पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार जनपद के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद में मार्गों की मरम्मत हेतु निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई :–

वर्ष	व्यय की गई धनराशि
1992-93	रु० 234.89 लाख
1993-94	रु० 279.38 लाख
1994-95	रु० 307.82 लाख

यह वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल में शिक्षक के पद पर चयनित श्री राजेश कुमार शर्मा की नियुक्ति की मांग

81–डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल में रिक्त शिक्षकों के पद उ० प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा दिनांक 19-8-94 को साक्षात्कार हुआ था ? क्या उन सभी (चयनित) सहायक अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त रिक्त सहायक अध्यापक जीव विज्ञान (पुरुष वर्ग) में श्री राजेश कुमार शर्मा कन्ट्रोल नं० 10230374 का चयन हुआ था ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति अब तक न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार विलम्ब के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनको नियुक्ति पत्र जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

82–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

।राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय लखनऊ में प्राचार्य की नियमित नियुक्ति की मांग

83–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय, लखनऊ की स्थापना से अब तक नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो नियमित नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ? नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जुलाई, 1990 को सेवानिवृत्त हुये थे । तब से प्रधानाचार्य की नियमित नियुक्ति नहीं हुई । नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को फरवरी, 1990 में भेज दिया गया था । आयोग द्वारा चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 01-4-95 को लिया गया था, परन्तु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सका । आयोग द्वारा पुनः चयन की कार्यवाही की जा रही है । आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर नियमित नियुक्ति कर दी जायेगी ।

श्री अशोक वर्मा निजी वास्तुविद की निर्माण कार्यों में की गई सेवाओं के बदले में प्रदत्त शुल्क के निर्धारण की जानकारी

84–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 दिसम्बर, 1994 से अब तक लखनऊ के एक निजी वास्तुविद श्री अशोक वर्मा (ए०डी०ए०) क्लार्क अवध की सेवायें निर्माण कार्यों में ली गयी हैं ? यदि हां, तो कितने मामलों में सेवा के बदले प्रदत्त शुल्क के निर्धारण का आधार क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सुचना एकत्रित की जा रही है ।

शाहजहांपुर में सीतापुर मार्ग पर ग्राम निवाजपुर में बाई पास के अविलम्ब निर्माण कार्य करने की मांग

85–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में सीतापुर मार्ग पर ग्राम निवाजपुर में बाईपास हेतु धन स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी जनहित में इसका निर्माण अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अपेक्षित कार्य प्रारम्भ करने हेतु औपचारिकतायें पूर्ण होनी अवशेष हैं ।

वाराणसी में ककरहा--झंझौर मार्ग को पक्का बनवाये जाने की मांग

86-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत 56 मार्ग वाराणसी से जौनपुर से पूरा रघुनाथपुर से ककरहा-झंझौर मार्ग त० व जिला वाराणसी को अब तक पक्का न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या ककरहा रेलवे क्रासिंग से झंझौर तक की सड़क बहतु ही खराब व कच्ची है ? क्या उसके पश्चिम ईंट का खड़ंजा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसको मंजूर कर पक्का बनवायेगी ?

सुश्री मायावती-

कार्य स्वीकृत नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

कार्य की स्वीकृति व कराया जाना वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

शासन की नीति की अनुसार स्वराजी देवी बालिका विद्यालय, पिण्डरा, जिला वाराणसी को भूमि तथा आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

87-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि कोई व्यक्ति यदि हाई स्कूल व इण्टर कालेज खोलेगा तो सरकार उसको 10 लाख रु० तथा एक एकड़ जमीन देगी ? यदि हां, तो अब तक कितने स्कूलों को ऐसी सुविधा दी गयी है ? क्या सरकार स्वराजी देवी बालिका विद्यालय (मान्यता प्राप्त हाई स्कूल), पिण्डरा, पो० पिण्डरा, वाराणसी जो ब्लाक पिंडरा, वाराणसी में है, को भी 10 लाख रु० व डेढ़ एकड़ जमीन देगी ?

श्री सुखदेव राजभर-

जी हां ।

असेवित विकास खण्डों में कन्या हाईस्कूल खोले जाने योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्रदेश में 100 विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त योजनान्तर्गत केवल असेवित विकास खण्ड में ही स्वीकृति दी जानी है ।

झुनझुनवाला वनस्पति फैक्ट्री नाऊपुर, जिला जौनपुर द्वारा छोड़े गये गन्दे पानी को शुद्ध करने हेतु शुद्धीकरण यंत्र लगाये जाने की मांग

88-श्री ऊदल-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि झुनझुन वाला वनस्पति फैक्ट्री (झूला) स्थान नाऊपुर, त० केराकत, जिला जौनपुर द्वारा कई वर्षों से केमिकल युक्त गंदा पानी गांव सभा गड़खड़ा, दशरथपुर, प० कोलअसला, त० व जिला वाराणसी में छोड़ता जा रहा है जिससे रामसूरत यादव गड़खड़ा की 10 मवेशियां मर गयी और गांव गड़खड़ा एवं दशरथपुर में बहुत से जानवर मर गये और आज भी एक

तालाब गांव सभा गड़खड़ा में गंदे पानी से भरा है जिससे मछलियां मर गयीं और महामारी पैदा हो गयी है ? क्या यह सही है कि सन् 93 व सन् 94 के अक्टूबर तक प्रार्थना पत्र स्थानीय लोगों ने जिलाधीश, वाराणसी एवं प्रदूषण कार्यालय, वाराणसी को दिया है ? उस पर अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही न करने के कारण क्या हैं ? प्रदूषण नियंत्रण यंत्र उक्त फैक्ट्री ने अब तक क्यों नहीं लगाया है ?

सुश्री मायावती–

मै० झुनझुनवाला वनस्पति, ग्राम नाऊपुर, जिला जौनपुर मार्च, 1990 से प्रदूषित उत्प्रवाह ग्राम–नाऊपुर गड़खड़ा एवं दशरथपुर स्थित ड्रेन से होकर नाले के द्वारा स्थानीय नदी में निस्तारित किया जा रहा था ।

2–पशुधन अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा कुछ जानवरों के मरने का उल्लेख किया गया है किन्तु श्री रामसूरत यादव के जानवर मरने की स्पष्ट सूचना नहीं है ।

3–ग्राम गड़खड़ा में एक तालाब है जिसमें मछली पाली जाती है, जो कि गन्दे पानी से युक्त नहीं पाया गया । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाराणसी के अनुसार मछली मरने की कोई सूचना उनके कार्यालय में नहीं है । उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग के निरीक्षण के समय उद्योग का उत्प्रवाह ड्रेन से होकर नाले द्वारा अन्ततः स्थानीय नदी में निस्तारित किया जा रहा था । नदी में पानी बहता रहता है । स्थानीय राजकीय चिकित्सालय द्वारा किसी महामारी की जानकारी नहीं दी गयी है ।

4–स्थानीय लोगों द्वारा एक शिकायत बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 19-3-94 को दी गयी है । जिलाधिकारी कार्यालय के अभिलेखों में किसी स्थानीय लोगों की शिकायत होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

5–"बोर्ड" द्वारा उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र लगाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुपालन में उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित कर लिया गया है ।

6–प्रश्न नहीं उठता है ।

89–श्री ऊदल–

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

पसियाही से परमल पट्टी, पसियाही खुर्द होते हुए नेवादा ब्लाक जलालपुर, जिला जौनपुर के मार्ग को शीघ्र पूर्ण किये जाने की मांग

90–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पसियाही से परमल पट्टी, पसियाही खुर्द होते हुए, नेवादा ब्लाक जलालपुर, जिला जौनपुर में एक मार्ग मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है ? क्या यह मार्ग राजकीय मार्ग जलालपुर से मड़ियाहूं से निकल कर स्थान कठियांव, जिला वाराणसी में राजकीय मार्ग पिंडरा मड़ियाहूं को जोड़ता है ? क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर इस मार्ग को धन देकर पक्का कराने पर विचार करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां, परन्तु मिट्टी का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया गया है ।

जी हां ।

यह जिला योजना का कार्य है। अतः जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना है।

प्रदेश में मृतक आश्रित अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

91–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदो में परिषदीय विद्यालयों में दस वर्षों से भी अधिक समय से मृतक आश्रित शिक्षकों को अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन दिया जा रहा है ? क्या सरकार बेसिक परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों की तरह मृतक आश्रित अध्यापकों को भी पत्राचार से प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

दिनांक 1-9-94 को 10 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण कर लेने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण से मुक्त किये जाने के आदेश शासन द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 को जारी कर दिये गये हैं।

जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाएं दिनांक 1-9-94 तक 10 वर्ष से कम अवधि की रही हैं उन्हें दो वर्षीय प्रशिक्षण दिये जाने के आदेश शासन द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 1994 को जारी कर दिये गये हैं।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के प्रबन्ध तंत्र को सुचारु रूप से कार्य करने तथा मिल को घाटे से बचाये रखने हेतु व्यवस्था करने की मांग

92–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल्स, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के अंशधारकों को 1978 से अब तक कितना लाभांश दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह मिल बनने के बाद किस-किस वर्ष मुनाफे में रही तथा किस-किस वर्ष घाटे में रही ? इसमें कितना-कितना घाटा हुआ ? क्या मंत्री जी मिल के प्रबन्धतंत्र को सुचारु रूप से कार्य करने तथा मिल में घाटा न हो, इसके लिये व्यवस्था करेंगे ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1978 से अब तक इस मिल समिति में अंशधारकों को कोई लाभांश नहीं दिया गया क्योंकि मिल समिति घाटे में रही है।

मिल समिति को वर्ष 1993-94 में ही 39.60 लाख रु० का लाभ हुआ तथा अन्य वर्षों में हानि हुई है। वर्षवार घाटे का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	घाटा (लाख रु० में)
1981-82	305.09
1982-83	178.47
1983-84	141.63
1984-85	150.70
1985-86	137.11
1986-87	209.56

वर्ष	घाटा (लाख रु० में)
1987-88	192.86
1988-89	127.46
1989-90	120.02
1990-91	371.65
1991-92	319.31
1992-93	177.50

मिल को सुचारु रूप से चलाने हेतु समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मिल का निरीक्षण किया जाता है । मिल में घाटा न हो इस हेतु प्रबन्धतंत्र को समुचित कार्यवाही करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है ।

93–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[2सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पूर्णकालिक कर्मचारियों की भांति दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता दिये जाने की मांग

94–श्री महेश चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्णकालिक कर्मचारियों की भांति राजकीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जो निरन्तर 3 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं तथा बोनस की भी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, को भी अन्य पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों की भांति वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेश पारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की प्रास्थिति पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों से सर्वथा भिन्न है ।

प्रदेश में क्रमोत्तर विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय तथा परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों की एक रूप में हानि की योजना की जानकारी

95–श्री मातवर सिह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्रमोत्तर विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय तथा परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों को अलग-अलग रूप से चलाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सभी विद्यालयों को एक रूप में लाने की सरकार क्या कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिये जिस क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिये अलग से उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं थे, वहां पर स्थित प्राइमरी पाठशाला में एक महिला शिक्षिका देकर कक्षा 6, 7 व 8 की अतिरिक्त कक्षा खोलकर शिक्षण व्यवस्था की गयी थी । नवीन बालिका जूनियर हाई स्कूलों की स्वीकृति प्राप्त होने पर इन्हीं विद्यालयों में से कुछ को शनैः-शनैः नियमित जूनियर हाई स्कूल में

परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार क्रमोत्तर विद्यालय धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। राजकीय आदर्श विद्यालय, राजकीय दीक्षा विद्यालय (डाइट) के साथ प्रैक्टिसिंग स्कूल के रूप में चलाये जा रहे हैं।

11 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य एवं प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये परिषदीय जूनियर हाई स्कूल चलाये जा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्नगत विद्यालयों को खोलने के उद्देश्य, प्रक्रियायें एवं आवश्यकतायें अलग-अलग हैं।

96–97–श्री हरक सिंह रावत–

[2सरे बुधवार में अता० प्र० सं०–179–180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्या धर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला बभनान, बस्ती के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री शिरोमणि पाठक की पेंशन का निर्धारण

98–श्री बाबू राम वर्मा तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विद्या धर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला बभनान, जनपद बस्ती के भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री शिरोमणि पाठक की पेंशन आदि का मामला वर्ष 1990 से शासन के आदेश के बाद भी उपनिदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर के यहां से निस्तारित न हो पाने तथा श्री पाठक के समक्ष हो रही आर्थिक परेशानी के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार तत्काल पेंशन का निर्धारण एवं पेंशन अवशेषों को भुगतान कराने का आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत प्रधानाध्यापक श्री शिरोमणि पाठक की सेवा पुस्तिका में उनकी सेवायें दि० 1-4-76 से दि० 30-6-85 तक अंकित थी, जो 10 वर्ष से कम की सेवा थी, अतः पूर्व में पेंशन स्वीकृत अनुमन्य नहीं पाई गयी। बाद में जांच पड़ताल के पश्चात् ज्ञात हुआ कि श्री पाठक की सेवायें दिनांक 1-4-61 से दि० 30-6-85 तक थीं, फलस्वरूप उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा पेंशन स्वीकृति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

99–श्री मुक्तिनाथ–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद महराजगंज में लोक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय मार्गों की ठोकरों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन का फर्जी भुगतान करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग

100–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सेन्दुरियां, निचलौल होते हुए ठूठीबारी, निचलौल होते हुए बहुआर, निचलौल, सिसवा घुघुली तथा आनन्दनगर, निचलौल देउरवां चिउदहां, गोपाला लेपन रोड के रख-रखाव, मरम्मत एवं सिरौली पोखरे के पानी के कटान से सड़क के रख-रखाव के लिये ठोकर का निर्माण कराने के नाम पर 4.00 लाख रुपये का माह मार्च, 1995 में बिना मरम्मत कार्य कराये ही लोक निर्माण विभाग, जनपद महराजगंज द्वारा फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा मंत्री को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगर्ता का पत्र दिनांकित 24-3-1994 श्री हरीराम यादव, स० अ० के संलग्न प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण पर जांच कराकर कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में बागे नदी पर पुल निर्माण के संबंध में दिये गये प्रश्नगर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

102–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-11-1994 जो मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन, लखनऊ को सम्बोधित था और जो जनपद बांदा के बागे नदी पर पुल निर्माण के संबंध में आ रही बाधाओं के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच कराकर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–355/पीएसएमएस/एमएलसी/94, दिनांक 22-11-94 के साथ मा० विधायक का पत्र दिनांक 15-11-94 प्राप्त हुआ था जिस पर आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी ने आख्या प्राप्त हुई जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि बागे नदी पर पुल निर्माण की योजना के स्थान पर लागत अधिक होने के कारण एक रिपटा बनाने की योजना प्रस्तावित की गयी । जिसके लिये वर्ष 1994-95 में रु० 41.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 22-3-95 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पत्र प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा चांदगंज गार्डन, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को सेवा समाप्ति के पश्चात् पुनः सेवायोजित किये जाने की मांग

105–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् प्राविधिक शिक्षा, 369, चांदगंज गार्डेन, अलीगंज, लखनऊ में दैनिक वेतन पर कार्यरत कतिपय लिपिकों की सेवाएं दिनांक 3 जून, 1994 को समाप्त कर दी गयी थीं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वरिष्ठ लोगों को सेवा से हटा दिया गया और कनिष्ठ व्यक्ति अभी भी वहीं पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? सेवा से पृथक किये जाने वालों में से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या उक्त कार्यालय में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सेवा से पृथक किये जाने का क्या कारण है ? इन्हें कब तक सेवायोजित कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । दिनांक 3 जून, 1994 को किसी भी लिपिक की सेवायें समाप्त नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । संयुक्त प्रवेश परीक्षा में मस्टर रोल एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का कोटा रोस्टर के अनुसार पूरा है ।

प्रश्न नहीं उटता ।

श्री अक्रूर जी कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, चन्दौसी जनपद मुरादाबाद में कार्यरत श्रीमती मीना कुमारी सेविका के वेतन भुगतान की मांग

106–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अक्रूर जी कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, चन्दौसी (मुरादाबाद) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान पर श्रीमती मीना कुमारी बेवा श्री राजाराम की नियुक्ति दिनांक 13-1-92 से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी उपस्थिति दिनांक 13-1-92 से नियमित हो रही है ? यदि हां, तो दिनांक 13-1-92 से 3-5-93 तक का वेतन उन्हें क्यों नहीं दिया गया है ? क्या सरकार 16 माह की सेवा का रोका गया वेतन दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी हां ।

श्रीमती मीना कुमारी सेविका को दिनांक 13-1-92 से 3-5-93 तक का वेतन दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

गन्ना आयुक्त, उ० प्र० द्वारा यू० पी० शुगर फैक्ट्री सेवरही को जमुआनघाट में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने का आदेश

107–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० शुगर फैक्ट्री सेवरही को गन्ना आयुक्त, उ० प्र० ने जमुआनघाट में क्रय केन्द्र स्थापित करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या आदेश क्रियान्वित हुआ ? यदि नहीं, तो संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक खुदागंज की कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापन कार्य न होने के लिए दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही

108–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक खुदागंज के अन्तर्गत आने वाले ग्राम सैदपुर, ग्राम दतेली ग्राम नगरा मतहा व मवैआ आदि ग्रामों की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापन (पढ़ाई) का कार्य क्यों नहीं हो रहा है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कर दोषी अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

109–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 23-09-1994 ई० पत्रांक अ 209159 मुख्य अभियन्ता । मुख्यालय–11, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पत्र प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लोक निर्माण विभाग के श्री राम सरन बर्कमेट के सम्बन्ध में दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

110–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 14-04-1994 का पत्र जो रामसरन बर्कमेट के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण पर जांच करा कर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रकरण में मुख्य अभियन्ता बुन्देलखण्ड क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी को जांच कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

लोक निर्माण विभाग के श्री प्रभात किशोर खण्डूरी सेनावृत हेड लिपिक के पेंशन के निस्तारण की मांग

111–श्री हरक सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री प्रभात किशोर खण्डूरी हेड लिपिक माह जून, 1993 में अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड उत्तरकाशी से सेवानिवृत हुए थे और उनकी पेंशन के समस्त कागजात दिनांक 20-5-93 को पत्रांक 953/3 ई के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तरकाशी द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को भेज दिया गया है लेकिन अभी तक इनकी पेंशन नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–189पे०से०/सा०नि०वि०, 6409 दिनांक 29-1-94 द्वारा पेंशन स्वीकृत कर प्राधिकार पत्र कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को जारी किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

112–श्री हरक सिंह रावत–

[2 सरे बुधवार में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

कार्यालय मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक (बेसिक) वाराणसी द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के चयन में कतिपय अभ्यर्थियों को छूट देने के कारणों की जानकारी

113–श्री तीरथ राज–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दैनिक जागरण, वाराणसी, संस्करण दिनांक 4 दिसम्बर, 1994 के पृष्ठ सं०–8 पर कार्यालय मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी पत्रांक परिषद्/3142/94-95 दिनांक 30-11-94/1-12-94 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बी० टी० सी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कियेजाने हेतु

विज्ञप्ति जारी की गयी है ? यदि हां, तो विज्ञप्ति के क्रम 4 अन्य में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर की तरह सोनभद्र के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सोनभद्र व जनपद के अतिरिक्त जनपदों के अभ्यर्थियों को छूट देने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद के लिये की जाने वाली नियुक्ति में चयनित शिक्षक क्या दूसरे जनपदों में स्थानान्तरित किये जायेंगे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जनपद सोनभद्र में बी० टी० सी० प्रशिक्षित बेराजगारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम होने के कारण ।

निर्धारित शर्त/प्रतिबन्ध की पूर्ति करने के उपरान्त संबंधित शिक्षक द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर परिषदीय अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय अन्तर्निकाय स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान है । स्थानान्तरण का प्राविधान परिषदीय नियमों में होने के कारण ।

शहर वाराणसी में श्री राम टिम्बर स्टोर की फर्म को व्यापार कर विभाग द्वारा पहलवान टिम्बर मर्चेन्ट के नाम से नम्बर एवं प्लाट जारी करने संबंधित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेलियाना जी० टी० रोड शहर वाराणसी में प्लाट एवं मकान नं० 34/100 में व्यापार कर विभाग में श्री छोटे लाल विश्वकर्मा की फर्म श्री राम टिम्बर मर्चेन्ट के नाम से फुटकर एवं थोक व गोदाम का लाइसेन्स वर्ष 1990 से दिया है और तब से बराबर व्यापार कर का पैसा जमा होता है ? यदि हां, तो व्यापार कर विभाग वाराणसी खण्ड (1) के अधिकारी श्री रामजी पाण्डेय ने माह जून, 1994 में उस नम्बर एवं प्लाट पर पहलवान टिम्बर मर्चेन्ट के नाम से किस आधार पर जारी कर दिया है ? क्या इस संबंध में माह सितम्बर, 1994 में एक प्रार्थना पत्र मय कागजात के मा० मुख्य मंत्री को रमाशंकर लाल, नगर मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाराणसी ने भेजा है और सभी कागजात के साथ रमाशंकर लाल के प्रार्थना पत्र को प्रश्नकर्ता ने भी दिनांक 10-3-95 को मा० मुख्य मंत्री को भेजा है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

भूखण्ड संख्या–34/100, जी० टी० रोड, तेलियाना, वाराणसी के एक भाग पर सर्वश्री राम टिम्बर मर्चेन्ट के नाम से फर्म कार्यरत है । यह फर्म दिनांक 1-4-90 से पंजीकृत है । पंजीयन संख्या–0402091 है । फर्म के मालिक श्री छोटे लाल विश्वकर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ विश्वकर्मा है । फर्म टिम्बर की खरीद विक्री का व्यापार करती है । फर्म ने वर्ष 1990-91 से अब तक कोई कर देयता स्वीकार नहीं की है और न ही कोई कर जमा किया है । उक्त फर्म के अतिरिक्त भूखण्ड संख्या–34/100 में कई वर्षों से दूसरी फर्म सर्वश्री यादव टिम्बर मर्चेन्ट एवं कमीशन एजेन्ट भी चल रही है जिसमें एक साझीदार श्री इन्द्र देव यादव है । सर्वश्री पहलवान टिम्बर मर्चेन्ट के नाम से एक पंजीयन प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-4-94 को दिया गया है जिसके एक मात्र स्वामी श्री इन्द्रदेव यादव, ग्राम हरिहरपुर, थाना चन्दतक, जिला जौनपुर के निवासी है । यह पूर्ण भूखण्ड राम जानकी एवं हनुमान जी के नाम के ट्रस्ट का है और इसके एक भागीदार श्री अवधेश वर्मा ने सर्वश्री पहलवान टिम्बर मर्चेन्ट को व्यापार करने के लिये किराये पर जमीन देने की बात स्वीकार की थी, जिसके किराये की रसीद की फोटो प्रति दाखिल की है । पंजीयन प्रार्थना पत्र की जांच दिनांक 23-5-94 को व्यापार-कर अधिकारी श्रेणी–2 द्वारा की गयी, जिसमें व्यापार चलता हुआ पाया गया । जांच के समय व्यापार स्थल पर डेढ़ लाख रुपये का टिम्बर भी पाया गया ।

व्यापारी से 15000/-की जमानत भी प्राप्त की गयी और उसे पंजीयन दे दिया गया ।

जी हां । उक्त शिकायती पत्र पर आयुक्त, व्यापार-कर, उत्तर प्रदेश से जांच कराई गई है । आयुक्त, व्यापार-कर, उत्तर प्रदेश द्वारा शिकायत को गलत पाया गया है तथा शिकायती-पत्र को निक्षेप करने की संस्तुति की गयी है ।

जनपद खीरी की नगर पालिका मोहम्मदी में कृषि योग्य भूमि की बैनामा रजिस्ट्री दर एक लाख रुपया प्रति एकड़ करने की मांग

115–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदी नगरपालिका सीमा (जिला खीरी) में कृषि योग्य की बैनामा रजिस्ट्री दर 3.50 लाख रुपया प्रति एकड़ कर दी गयी है जबकि वहां पर बिक्री दर लगभग एक लाख रुपया प्रति एकड़ है ? क्या जनहित में मंत्री जी इसको वापस लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यू० पी० स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 340 क के अन्तर्गत दिनांक 27-11-1993 को कलेक्टर ने द्विवार्षिक मूल्य सूची में नगर पालिका परिषद मोहम्मदी (जिला खीरी) की सीमा के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि का मूल्य साढ़े तीन लाख रुपये प्रति एकड़ उल्लिखित किया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

मोहम्मदी नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में कृषि भूमि का औसत बाजार मूल्य साढ़े तीन लाख रुपया प्रति एकड़ है ।

जनपद शाहजहांपुर व खीरी में अनियमित रूप से बढ़ाई गई बैनामा रजिस्ट्री दर को वापस लेने की मांग

116–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बैनामा रजिस्ट्री दर बढ़ाने का मानक क्या है ? क्या शाहजहांपुर व खीरी जिले में इसको मनमाने तरीके से बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद खीरी व जनपद शाहजहांपुर में बैनामा रजिस्ट्री दर जमीन की बाजारू कीमत से बहुत अधिक है ? क्या मंत्री जी जनहित में इसको वापस लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बैनामा रजिस्ट्री दर बढ़ाने का कोई मानक नहीं है वरन् यू०पी० स्टाम्प नियमावली 1942 के नियम 340–क के अन्तर्गत कलेक्टर अपने जनपद में अवस्थित भूमि का द्विवार्षिक मूल्य सूची निर्धारित करता है जो भूमि का औसत बाजार मूल्य इंगित करना है ।

जी नहीं ।

जनपद खीरी एवं शाहजहांपुर के भूमि का द्विवार्षिय मूल्य सूची उक्त जनपदों में अवस्थित भूमि के औसत बाजार मूल्य के अनुरूप है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत द्विवार्षिय मूल्य सूची ठीक है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

117–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कितने पद प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के कब से खाली पड़े हैं ? इन पदों पर नियुक्ति न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार इन पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां । जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में निम्नांकित पद कई वर्षों से रिक्त चल रहे हैं :–

प्रधानाचार्य	69
प्रधानाध्यापक	30
प्रवक्ता	205
अध्यापक	246

लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त न होने तथा विभागीय चयन की कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा रोक के कारण प्रधानाचार्यों तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की चयनित सूची उपलब्ध न होने के कारण प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पायी है । विभागीय प्रोन्नति द्वारा प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही गतिमान है ।

जी हां ।

आयोगों से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने, मा० उच्च न्यायालय की रोक समाप्त होने, विभागीय चयन की कार्यवाही की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इन पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

118–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[दिनांक 7-3-94 को अता० प्र० सं० 72 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में भवन विहीन सीनियर बेसिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण की मांग

119–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र में, सीनियर बेसिक विद्यालय अहीरंगा व हसनपुर, चौबीसी, परीवा दुन्दीपुर आदि विद्यालय 15 वर्षों से भवनहीन चल रहे

हैं ? उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य कब तक सरकार पूरा करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां, दुन्दीपुर को छोड़कर ।

उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

120–श्री हरक सिंह रावत–

[2सरे बुधवार में अता० प्र० सं० 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पडरौना की कतिपय प्राथमिक विद्यालय विहीन ग्राम सभाओं में विद्यालय खोलने तथा भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण कराये जाने की मांग

121–श्री अम्बिका सिंह (पडरौना)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना के क्षेत्र पंचायत रामकोला, कप्तानगंज, हाटा, मोतीचक के किन-किन ग्रामों में अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं खुले हैं तथा किन-किन ग्रामों में विद्यालय भवनहीन हैं ? जिन ग्रामों में विद्यालय नहीं हैं कब तक खुल जायेंगे ? भवनहीन विद्यालयों के भवन कब तक निर्मित करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

68 ग्रामों में विद्यालय नहीं खुले हैं जिसकी सूची संलग्न है ।

बेसिक शिक्षा परिषदीय कोई विद्यालय भवनहीन नहीं है ।

प्रत्येक ग्राम सभा में प्राथमिक पाठशाला खोलने का लक्ष्य रखा गया है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के प्रकाश में जिला बेसिक शिक्षा समिति के निर्णयानुसार विद्यालय खोले जायेंगे । प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 133 पर)

देवरिया मुख्यालय स्थित राजकीय शैक्षिक संग्रहालय की व्यवस्था एवं रख-रखाव हेतु अनुदान की मांग

122–श्री अम्बिका सिंह (पडरौना)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के मुख्यालय पर शिक्षा विभाग का राजकीय शैक्षिक संग्रहालय है ? यदि हां, तो उक्त संग्रहालय के रख-रखाव की व्यवस्था हेतु विगत पांच वर्षों में वर्षवार कितना अनुदान दिया गया है ? क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान देकर संग्रहालय के रख-रखाव की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद देवरिया के मुख्यालय पर शिक्षा विभाग का राजकीय शैक्षिक संग्रहालय वर्ष 1990-91 से समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्नगत राजकीय शैक्षिक संग्रहालय के रख-रखाव की व्यवस्था के लिये वर्ष 1990 से अब तक कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 1990-91 से ही उक्त संग्रहालय के समाप्त हो जाने के कारण अनुदान दिये जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कनौरिया शुगर मिल कप्तानगंज जनपद पडरौना में मजदूरों के साथ किये गये त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने की मांग

123–श्री अम्बिका सिंह (पडरौना)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनौरिया शुगर मिल कप्तानगंज जनपद पडरौना में मिल मजदूरों की हड़ताल के कारण प्रशासन के हस्तक्षेप से मिल मजदूरों एवं प्रबन्धतंत्र तथा प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय समझौता 4-3-94 को हुआ था ? क्या समझौते के बिन्दुओं का प्रबन्धतंत्र द्वारा पालन किया गया है ? कुल कितने बिन्दुओं पर समझौता हुआ था उसमें कितने बिन्दुओं का पालन हुआ तथा शेष का पालन कब तक हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आसलदेव उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय पीपरपुर सुल्तानपुर की स्थानीय विधि लेखा सम्परीक्षा कार्यालय सुल्तानपुर द्वारा की गई आडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही

124–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रबन्धतंत्र ने अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रबन्धतंत्र द्वारा आडिट आपत्तियों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक/उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद के स्तर पर की जा रही है।

परीक्षाओं में नकल रोकने हेतु सुझाव देने के लिये गठित समिति की रिपोर्ट की जानकारी

125–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षाओं में नकल तथा अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक लगाये जाने संबंधी सुझाव देने हेतु गठित समिति द्वारा कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार उक्त को लागू कर रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

समिति के प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इण्टरमीडियेट की वर्ष 1994 तथा 1995 की परीक्षाओं में संबंधित संस्तुतियों को लागू किया गया है ।

माध्यमिक स्तर तक शुल्क मुक्ति एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन की नीति

126–श्री मित्रसेन यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा में शुल्क मुक्ति एवं वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भुगतान, विद्यालयों के संचालन एवं विस्तार के संबंध में शासन की नीति क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रदेश में कक्षा–12 तक बालक/बालिकाओं की शिक्षा हेतु निःशुल्क शिक्षा की नीति है । दिनांक 14-10-86 के बाद मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशक की नियुक्ति का प्राविधान है जिसके वेतन संबंधी तथा विद्यालयों के संचालन हेतु व्यय प्रबन्धतंत्र को अपने निजी स्रोतों से वहन किया जाता है ।

जी० टी० रोड की पटरी पर अनाधिकृत निर्माण के विरोध में दिये गये श्री शिव कुमार बेरिया विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

127–श्री महेश चन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जी० टी० रोड, की पटरी पर अनाधिकृत निर्माण व अवैध कब्जों के विरोध में श्री कैलाश चन्द्र कटियार निवासी ग्राम गांगूपुर, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित एवं श्री शिवकुमार बेरिया, विधायक द्वारा पृष्ठांकित पंजीकृत पत्र दिनांक 22-2-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अतिक्रमणों के संबंध में पांच व्यक्तियों के विरुद्ध विधिवत नोटिसें मई, 93 में जारी की गयी थी जिनमें से चार ने तथा कथित अतिक्रमण हटा लिया था तथा एक मुख्य अतिक्रमणकर्ता श्री रामलखन व श्री राम खिलावन पुत्र श्री राम औतार के खिलाफ परगनाधिकारी बिल्हौर के न्यायालय में दिनांक 25-7-94 को पी० पी० ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

निरीक्षण के फलस्वरूप पायेग ये 12 अन्य अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध भी पी० पी० एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 3-4-95 को विहित प्राधिकारी अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड, कानपुर के कार्यालय में वाद दायर कर दिये गये हैं।

मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद के मृतक चौकीदार स्व० रामदास के देयकों एवं मृतक आश्रित की नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही

128–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदास चौकीदार मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज तेलियरगंज, इलाहाबाद जिनकी मृत्यु सेवा अवधि में दिनांक 11-8-91 को हो गई थी, के पावनों के भुगतान तथा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जनवरी, 94 के द्वितीय सप्ताह तथा दिनांक 17-1-94 को प्राविधिक शिक्षा सचिव को भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन दोषी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रधानाचार्य, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद जो इस प्रकरण में निस्तारण हेतु सक्षम अधिकारी हैं, के समक्ष एक से अधिक व्यक्तियों ने दावेदारी प्रस्तुत की है। सभी दावेदारों से सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 5-8-94 को ही प्रधानाचार्य द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

किसी भी दावेदार द्वारा सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

बाला प्रसाद कुशवाहा इण्टर कालेज बलरामपुर बरेठी जनपद इलाहाबाद के सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्री ओंकार नाथ पाण्डेय की पेंशन का आगणन

129–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के बाला प्रसाद कुशवाहा इण्टर कालेज, बलरामपुर बरेठी के सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्री ओंकार नाथ पाण्डेय की पेंशन के सम्यक् आगणन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या शासन श्री ओंकार नाथ पाण्डेय को पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल मोतिहां उतरांव, इलाहाबाद की सम्पूर्ण सेवा अवधि को जोड़कर उनकी पूर्ण अपेक्षित पेंशन का भुगतान करने का आदेश पारितकरेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

जी नहीं। विद्यालय अनुदानित न होने के कारण प्रश्नगत अवधि में की गयी सेवा पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में मृतक आश्रितों को विभागीय प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित अध्यापक का वेतनमान दिये जाने की मांग

130-श्री अनिल कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में सीतापुर जनपद में मृतक आश्रितों की नियुक्ति अप्रशिक्षित अध्यापक पद पर प्राइमरी पाठशाला जूनियर बेसिक विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी थी ? क्या उन सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों को विभागीय प्रशिक्षण देकर अथवा बी० टी० सी० ट्रेनिंग कराकर प्रशिक्षित अध्यापक का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने लोगों को ? यदि नहीं, तो शेष लोगों को कब तक प्रशिक्षित कर प्रशिक्षित वेतनमान दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों ने दिनांक 1-9-1994 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी उनको प्रशिक्षण से मुक्त करने तथा जिन्होंने 1-9-94 को 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी उन्हें दो वर्षीय पत्राचार प्रशिक्षण दिये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं । प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान दिया जायेगा ।

श्री राजकुमार सहायक अभियन्ता गन्ना विभाग लखीमपुर खीरी के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

131–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जोकि राजकुमार अवस्थी सहायक अभियन्ता (ए–ई) गन्ना विभाग लखीमपुर खीरी जनपद के विरुद्ध था तथा पत्रांक सं० एम–3/133-74/सीतापुर/94 दिनांक 21-10-94 जो कि प्रमुख सचिव चीनी उद्योग को कार्यवाही के लिये भेजा गया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो किस राजपत्रित अधिकारी/सक्षम अधिकारी से जांच करायी गयी ? उक्त जांच अधिकारी का क्या नाम है और किस पद पर तैनात है ? क्या जांच के दौरान शिकायत कर्ता से भी पूंछताछ की गयी थी ? यदि हां, तो कब ? क्या जांच से पूर्व में ही शिकायतकर्ता को सूचित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच में सभी शिकायती बिन्दु सही पाये गये ? यदि हां, तो क्या राजकुमार अवस्थी सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

76

गन्ना आयुक्त के माध्यम से तथ्यों का परीक्षण कराया गया । शिकायत के मुख्य तथ्य श्री अवस्थी के विगत 27 वर्षों से अपने गृह जनपद सीतापुर में तैनात रहने विषयक थे । जिसकी पुष्टि अभिलेखों से सम्भव थी । अतः इस तथ्य पर शिकायतकर्ता से पूछताछ की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि श्री अवस्थी वर्ष 92 से जनपद लखीमपुर खीरी में तैनात हैं ।

शेष बिन्दुओं पर गन्ना आयुक्त को जांच के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवीर प्रसाद तबला संगतकार आर्य कन्या महाविद्यालय हरदोई के वेतन निर्धारण का प्रकरण

132–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुवीर प्रसाद तबला संगतकार आर्य कन्या महा विद्यालय जनपद हरदोई का वर्ष 1986 का वेतन निर्धारण अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसमें कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए श्री रघुवीर प्रसाद का 1986 का वेतन निर्धारण कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

श्री रघुवीर प्रसाद का वर्ष 1986 का वेतन निर्धारण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रसाद का वेतन निर्धारण दिनांक 21-10-94 को किया जा चुका है ।

राजकीय इण्टर कालेज बहराइच के प्राचार्य श्री रघुराज मिश्र द्वारा हड़पे गये सरकारी धन की वसूली का मामला

133–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज बहराइच के प्राचार्य श्री रघुराज मिश्र को आज तक किन-किन आरोपों में दोषी पाया गया ? क्या उनके द्वारा सरकारी धन हड़पने के आरोपों की भी पुष्टि हुई है ? यदि हां, तो सरकारी धन की वसूली उनसे करते हुए प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुखदेव राजभर–

श्री रघुराज मिश्र, प्रधानाचार्य को राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के बाउन्ड्रीवाल के निर्माण, विद्यालय प्रांगण में स्थित आम व जंगल जलेबी के पेड़ों की बोली में धनराशि का अपहरण करने, आकस्मिक व्यय की मद से अनाधिकृत से धन आहरित करने, अध्यापकों की अनियमित नियुक्ति एवं वेतन भुगतान करने, छात्र कोष/क्रीड़ा कोष से धन आहरित कर दुरुपयोग करने, विज्ञान कोष से धन आहरित करके दुरुपयोग.गवन करने, बालचर कोष/श्रब्य कोष से टेलीफोन बिलों का भुगतान दिखाकर धन का अपहरण करने, संचायिका कोष का दुरुपयोग करने, अध्यापकों को वित्तीय नियमों की

अवहेलना करके वेतन आदि का अनियमित भुगतान करने, फर्जी यात्रा भत्ता का भुगतान करने, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये बिना कोचिंग चलाये फर्जी अभिलेख तैयार कर धन का अपहरण करने, अपने स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने आदि के आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

जी हां। प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है।

श्री मिश्र को आरोप पत्र देकर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही स्थगित है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा बलिया में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

134–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बलिया में स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा बलिया ने रिक्त पदों पर आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 86-87 से दैनिक वेतन पर सीजनल कर्मचारियों को 900 रुपये प्रतिमाह तथा 1200 रुपये प्रतिमाह लिपिक पद पर कार्यरत कर्मियों को दैनिक वेतन पर रखकर काम ले रही है ? यदि हां, तो क्या दैनिक वेतन कर्मचारियों को वर्ष 92-93, 93-94 में नियमितीकरण करने के लिये फेडरेशन द्वारा सूची की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो किन कारणों से आज तक दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया गया ?

सुश्री मायावती–

जी हां। दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, रसड़ा (बलिया) में 400 सूचीबद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मकारों में से मिल में रिक्त पदों के विरुद्ध समय-समय पर आवश्यकतानुसार अकुशल कार्य करने वाले कर्मियों को रु० 30 प्रतिदिन तथा कुशल एवं लिपिकीय कार्य करने वाले कर्मियों को रु० 40 प्रतिदिन की मजदूरी पर रखकर कार्य लिया जाता है।

जी हां।

शासन द्वारा वर्ष 95 में नियुक्तियों पर रोक हटाये जाने के आदेश जारी होने के उपरान्त सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मिल स्तर पर प्रबन्ध कमेटी की बैठक का गठन किया गया। प्रबन्ध कमेटी की बैठक में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण किये जाने के निर्णय लिए जाने के पूर्व आरक्षण कोटा स्टाफिंग पैटर्न में स्वीकृत पद, आयु शिथिलता, व्यय भार की गणना आदि विषयों पर विचार किया गया तथा इस संबंध में अगली बैठक में पुनः विचार करने के उपरान्त नियमितीकरण प्रकरण को तय किये जाने का निर्णय लिया गया।

नव सृजित जनपद महराजगंज में जनपद गोरखपुर की स्थानान्तरित तहसीलों के बाद जजी न्यायालय महाराजगंज में स्थानान्तरण किये जाने की मांग

135–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि पूर्व जनपद गोरखपुर से तहसील महराजगंज, फरेन्दा आदि को गोरखपुर से अलग करके 2 अक्टूबर, 89 में नव सृजित जिला महराजगंज स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी नव सृजित जनपद महराजगंज के समस्त वाद याचिका जो पूर्व जिला गोरखपुर में लम्बित/विचाराधीन है, को अन्य विभागों की भांति नवसृजित जनपद महराजगंज में निस्तारण हेतु जनपदीय जजी न्यायालय महराजगंज को स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । 21 अक्टूबर, 89 को नवसृजित जिला महराजगंज स्थापित किया गया है । नवसृजित जनपद महराजगंज के समस्त वाद जो पूर्व जिला गोरखपुर में लम्बित/विचाराधीन है को नवसृजित जनपद महराजगंज में स्थानान्तरित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । महराजगंज में अभी विभागीय न्यायालय/कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं है जिससे कि सभी पत्रावलियों का रख-रखाव ठीक ढंग से किया जा सके ।

6 माल एवेन्यू लखनऊ स्थित डा० हुक्कू की कोठी को शिक्षा विभाग से खाली कराये जाने के दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग

136–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6 माल एवेन्यू लखनऊ स्थित डा० हुक्कू की कोठी जिसमें गत 34 वर्षों से रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के तहत आवंटित है एवं पाठ्य पुस्तक अधिकारी शिक्षा कार्यालय लगातार कार्यरत था तथा वर्ष 2015 तक के लिए अनुबन्धित भी था, को फरवरी, 95 में क्यों खाली करा लिया गया ? अल्प किरायेवाला बड़ा भवन खाली कराने से शिक्षा विभाग को हुए भारी नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां, वर्ष 1954 से संचालित पाठ्य पुस्तक कार्यालय हेतु वर्ष 2016 को समाप्त होने वाली लीज की भूमि पर निर्मित, प्रश्नगत भवन अधिकृत रूप से आवंटित है, को भवन स्वामिनी की प्रार्थना पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार 12 फरवरी, 1995 को खाली कराया गया ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बभनान गन्ना मिल बभनान जनपद गोण्डा में नियुक्त फैक्ट्री मैनेजर के विरुद्ध जांच की मांग

137–श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री महराज सिंह यादव तथा श्री दरोगा प्रसाद सरोज–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि बभनान गन्ना मिल बभनान जनपद गोण्डा में वर्तमान फैक्ट्री मैनेजर के पद पर एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है जिसे फैक्ट्री के मामलों का कोई अनुभव नहीं है तथा किसानों का गन्ना खरीदने तथा उनकी गुणवत्ता निर्धारित करने में संलग्न सभी व्यक्ति उक्त फैक्ट्री मैनेजर के परिचित हैं जो किसानों की हर सम्भव हानि करके मिल मालिक के लाभ में लगे हुए हैं ? क्या सरकार, इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

चीनी मिल से प्राप्त सूचना अनुसार मिल में फैक्ट्री मैनेजर पर कोई नई नियुक्ति नहीं की गयी है । चीनी मिल में फैक्ट्री मैनेजर का पद टेक्निकल नहीं बल्कि प्रशासकीय है टेक्निकल कार्य की देख-रेख अनुभवी टेक्निकल व्यक्ति ही करते हैं । इस मिल में फैक्ट्री मैनेजर पर कार्यरत व्यक्ति विगत 38 वर्षों से कार्यरत है जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक है । जहां तक गन्ना खरीदने एवं उसकी गुणवत्ता निर्धारण करने का प्रश्न है फैक्ट्री मैनेजर से संबंधित नहीं है । यह कार्य मुख्य गन्ना प्रबन्धक देखते हैं जो लगभग 15 वर्ष का अनुभव रखते हैं और उसकी योग्यता एम० एस० सी० (ए० जी०) है । गन्ना से संबंधित सभी कार्य मुख्य गन्ना प्रबन्धक ही देखते हैं ।

ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय, सिसवा बाजार जनपद महराजगंज के प्रधानाचार्य द्वारा भवन विकास योजना हेतु अवमुक्त धनराशि के दुरुपयोग की जांच की मांग

138–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भवन विकास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु जो 12,000 रुपये के अनुदान धनराशि 89-90 में अवमुक्त की गयी थी क्या भवन निर्माण पर धन न खर्च करने की शिकायत पर प्रबन्धतन्त्र द्वारा लेखा जोखा प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गयी थी ? क्या लेखा जोखा न प्रस्तुत करने पर उन्हें प्रशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत निलम्बित किया गया था और उससे संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के सम्पूर्ण प्रकरण पर जांच करानें के लिए । सितम्बर, 91 से शासन उप कुलपति सचिव उप कुलपति तथा निदेशक सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय वाराणसी संस्कृत निरीक्षक गोरखपुर को निरन्तर पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो आज तक विभाग द्वारा लम्बित प्रकरण की जांच न कराये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार तत्काल जांच कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां .

जी हां ।

नियुक्त अधिकारी प्रबन्धक हैं । प्रबन्धक द्वारा निलम्बन की कार्यवाही की गयी जिसे सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा अमान्य किया गया है । प्रकरण की जानकारी होने पर उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को जांच करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

जूनियर हाई स्कूल घेराघार दोगी जनपद टिहरी गढ़वाल को टूटे भवन को पुनः बनाये जाने की मांग

139–श्री मानवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जू० हा० स्कूल घेराघार दोगी टि० ग० का भवन बनते ही टूट गया था यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है ? विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार विद्यालय का भवन पुनः बनवा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कराया गया था । भवन का अधिग्रहण दिनांक 27-9-88 को किया गया, भवन अधिग्रहण के बाद अतिवृष्टि के कारण भवन का पृष्ठ भाग तथा प्रांगण की ओर से भवन टूटने तथा धस जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया । इस संबंध में जांच करायी जा रही है । जांच आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय सीतापुर में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को लागू किया जाना

140–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिक्षक संघ उ० प्र० द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दायर याचिका 7784/89 पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 व 27 सितम्बर, 91 को दिये गये निर्णय की सूचना प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उस आदेश में अनुपालनात्मक क्या निर्देश दिये गये ? क्या यह सही है कि रा० कन्या दीक्षा विद्यालय सीतापुर में उक्त आदेश होते हुए भी वेतनमान रु० 1350–2070 वेतनमान 10 वर्ष पर 1450–2190 देने के बजाय वहां की कार्यरत बी० टी० सी० वेतनक्रम की शिक्षिकाओं को वर्तमान में दिये 1200–2040 में भी कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय सीतापुर में पुनरीक्षित वेतनमान लागू कर अवशेष के भुगतान की मांग

141–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा अनु० (2) द्वारा निर्गत द्वितीय उ० प्र० वेतन आयोग (79-80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार निदेशक शिक्षा उ० प्र० तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय/शिक्षा संस्था में विभिन्न पदों पर नये वेतनमानों की स्वीकृति विषयक आदेश संख्या 3542-15-2-92-34 (158/89) दि० 9-7-92 के अनुपालन के अनुसार राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय सीतापुर में कितनी शिक्षिकायें हैं जिन्हें यह पुनरीक्षित वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है ? पुनरीक्षित वेतनमान

प्राप्त न होने का क्या कारण है ? संशोधित वेतनमान कब से लागू हो जायेगा तथा संशोधित वेतन के अनुसार अवशेष का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जवाहर लाल विधायक द्वारा उ० प्र० राज्य सेतु निगम से संबंधित दिए गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जवाहर लाल विधायक द्वारा दिया गया उ० प्र० राज्य सेतु निगम की बम्बई इकाई के 125 मजदूरों को सेवा से निकालने एवं महाप्रबन्धक, सेतु निगम के अनियमित कार्यों की जांच विषयक, मा० मुख्य मंत्री को संबोधित पत्र पर उनके (मुख्य मंत्री) द्वारा दिनांक 23-4-94 को प्रेषित पत्र संख्या एम–1 इला०/7-84/94 जोकि प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को संबोधित है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

मजूदरों को सेवा से निकाले जाने संबंधी प्रकरण में सेतु निगम के प्रबंध तंत्र द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संबंधित श्रमिकों को, निगम हित में, कार्य पर वापस लेने का औचित्य नहीं पाया गया ।

श्री आसिम बिहारी कन्या जूनियर हाई स्कूल मुरादाबाद के लिपिक श्री शफी अहमद के बकाया वेतन भुगतान की मांग

143–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आसिम बिहारी कन्या जू० हा० स्कूल मुरादाबाद के लिपिक श्री शफी अहमद का बकाया वेतन भुगतान मा० उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी आज तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या वेतन वितरण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अभी तक भुगतान न किये जाने के लिये कोई दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अभी विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी० एस० एन० पी० जी० कालेज हरदोई के प्राचार्य डा० तेजवीर सिंह चौहान के विरुद्ध की गई जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

144–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० एस० एन० पी० जी० कालेज हरदोई के प्राचार्य डा० तेजवीर सिंह चौहान के विरुद्ध गंभीर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनियमितताओं के संबंध में शासन द्वारा माह अगस्त, 93 में राजकीय महाविद्यालय महमूदाबाद (सीतापुर) के प्राचार्य डा० आर० डी० उपाध्याय से जो जांच करायी गयी थी उस पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासन स्तर से प्राचार्य डा० तेजवीर सिंह चौहान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी, हरदोई को निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में डा० चौहान को जिलाधिकारी के आदेश ए० एस० टी०–सी० एस० एन का/94 दिनांक 28-7-94 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है एवं जांच की जा रही है ।

प्रश्न नही उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज बहराइच के प्राचार्य श्री रघुराज मिश्र आदि को वित्तीय अनियमितताओं एवं पद के दुरुपयोग के दोषी होने के कारण दण्डित करने की मांग

145–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज के प्राचार्य श्री रघुराज मिश्र एवं सहायक श्री आर० के० सिंह के विरुद्ध अनुसूचित जाति कोचिंग के नाम फर्जी अभिलेख बनाने, राजकीय धन हड़पने के प्रयास किये जाने आदि की जांच रिपोर्ट के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक बहराइच द्वारा संबंधित थाने दरगाह शरीफ में एक मुकदमा धारा 42, 464, 468 के अन्तर्गत दर्ज कराया गया ? क्या यह भी सही है कि शिक्षा निदेशक, उ० प्र० के पत्रांक शिविर 2312/37/93-94 दिनांक 27-7-93 द्वारा उक्त प्राचार्य को कर्तव्यों के निर्वहन में असफल, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं तथा पद दुरुपयोग का दोषी माना गया है ? यदि हां, तो दोषी प्रधानाचार्य एवं अन्य के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी हां ।

शिक्षा निदेशक, उ० प्र० के पत्रांक शिविर/23121-30/93-94 दिनांक 29-7-93 द्वारा श्री रघुराज मिश्र को दोषी माना है ।

प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष श्री रघुराज मिश्र प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31-8-94 द्वारा स्थगित कर

दिया गया है । मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु दिनांक 21-10-94 को प्रति उत्तर/शपथ पत्र मा० उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है ।

श्री आर० के० सिंह प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) के विरुद्ध प्रभावी अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

डी० पी० डिग्री कालेज जालौन के लिपिक श्री रामधीन द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि के दुरुपयोग करने की जांच कर दण्डित करने की मांग

146–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के डी० पी० डिग्री कालेज के छात्रवृत्ति लिपिक श्री रामधीन विगत 10 वर्षों से प्रतिवर्ष अभिलेखों में फर्जी हस्ताक्षर एवं प्रविष्टि अंकित करते हुए अपने ही साथियों के माध्यम से छात्रवृत्ति धनराशि स्वयं आहरित की जाती रही है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या इसकी विस्तृत जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग/हेराफेरी करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों में पिछड़ी जाति के कोटे को पूर्ण करने की मांग

147–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उ० मा० विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी भर्ती का कोटा समाप्त किये जाने के फलस्वरूप पिछड़े वर्ग को पदोन्नति में 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूर्व की भांति सीधी भर्ती का कोटा बनाये रखने अथवा पिछड़े वर्ग की पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तों क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

शासन की ऐसी नीति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सालिक राम शम्भू दयाल कृषक कन्या विद्यालय लौती जनपद सीतापुर की सहायक अध्यापिका श्रीमती गायत्री देवी के अवशेष वेतन के भुगतान की मांग

148–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित श्रीमती गायत्री देवी स० अ० के अवशेष भुगतान के संबंध में कोई पत्र (पत्रांक अध्या० 2211-14/94-95

दिनांक 6 अक्टूबर, 1994) प्रबन्धक सालिक राम शम्भू दयाल कृषक कन्या विद्यालय लौली जि० सीतापुर को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा पत्र में उल्लिखित अवशेष का भुगतान तथा हस्ताक्षर पंजिका पर हस्ताक्षर कराना प्रारम्भ करा दिया है ? यदि हां, तो अवशेष का भुगतान कब किया गया तथा हस्ताक्षर कराने की प्रगति क्या है ? यदि आदेशों का अनुपालन नहीं हुआ है, तो विद्यालय प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के आदेश के अनुपालन में मार्च, 94 से भुगतान किया जा रहा है । अवशेष के भुगतान के लिए कार्यवाही की जा रही है ? शिक्षिका के हस्ताक्षर उपस्थिति पंजिका पर कराये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज कानपुर के अवकाश प्राप्त प्रवक्ताओं को पुनरीक्षित दर से पेंशन देने की कार्यवाही की जानकारी

149–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज कानपुर में 30 जून, 1988 को किन-किन प्रवक्ताओं ने अवकाश ग्रहण किया ? क्या उनमें से कोई ऐसे भी प्रवक्ता हैं जिनको अभी तक वर्ष 86 से लागू पुनरीक्षित पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? पुनरीक्षित पेंशन न मिलने का क्या कारण है ? उसका भुगतान कब से प्रारम्भ हो जायेगा तथा अवशेष कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में गवर्नमेन्ट हाउसिंग पूल स्कीम के अन्तर्गत बनवाई गई आवासीय कालोनी के विवरण की जानकारी

150–श्री परशुराम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में "विभागीय निर्माण इकाई-लोक निर्माण विभाग" द्वारा गवर्नमेन्ट हाउसिंग पूल स्कीम के अन्तर्गत राजकीय महिला चिकित्सालय के पीछे आवासीय कालोनी का निर्माण कराकर उसकी देखरेख का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रश्नगत स्थल पर पृथक-पृथक कितने ब्लाक का निर्माण कार्य हुआ है और यह ब्लाक वर्तमान समय में किसके कब्जे में है तथा रख-रखाव का दायित्व किसका है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत स्थल पर द्वितीय श्रेणी के छः ब्लाक एवं टाइप चतुर्थ के एक ब्लाक का निर्माण कार्य हुआ है, जो चिकित्सा विभाग के कब्जे में है । इनके रख-रखाव का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है ।

जनपद सोनभद्र में राबर्ट्सगंज खलियारी मार्ग के निर्माण में श्री अम्बिका प्रसाद की अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजे की भुगतान की मांग

151–श्री तीरथ राज–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र की राबर्ट्सगंज खलियारी मार्ग को वर्ष 1967-68 में निर्माण कराया गया था, में कतिपय भू० स्वामियों की भूमि को अध्याप्ति किया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण में ली गई श्री अम्बिका प्रसाद ग्राम पवनी की भूमि अधिग्रहण का प्रतिकर अब तक भुगतान न किये जाने के विलम्ब का दोषी कौन है ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये संबंधित व्यक्ति का प्रतिकर भुगतान कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इस मार्ग का निर्माण वर्ष 1967-68 में नहीं किया गया है ।

श्री अम्बिका प्रसाद ग्राम पवनी की भूमि वर्ष 1972 में अधिग्रहीत की गयी थी जिसके प्रतिकर का भुगतान श्री अम्बिका प्रसाद को दिनांक 24-8-1983 को किया जा चुका है ।

सरस्वती विद्या मन्दिर डाला जनपद सोनभद्र को स्वीकृत अनुदान शीघ्र भुगतान कराए जाने की मांग

152–श्री तीरथ राज–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या एम1–767/15-6-12-27(47)92 दिनांक 18-11-92 के द्वारा अशासकीय मान्यता प्राप्त असहायिक सीनियर बेसिक विद्यालयों के भवनों के पुनः निर्माण एवं अन्य प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1992-93 में अनावर्तक अनुदान स्वीकार किया गया था ? क्या उक्त शासनादेश के क्रम संख्या 19 पर सरस्वती विद्या मन्दिर डाला जनपद सोनभद्र को रु० 10,000 अनुदान स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनुदान की धनराशि उक्त विद्यालय को प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

शासनादेश दि० 18-11-92 द्वारा 290 विद्यालयों को स्वीकृत धनराशि रु० 57,52,001/- में से 68 विद्यालयों को रु० 15,47,001/- की धनराशि वितरित की जा चुकी है । सरस्वती विद्या मन्दिर, डाला जनपद सोनभद्र को सम्मिलित करते हुए शेष विद्यालयों को धनराशि वितरित करने के प्रयोजनार्थ शिक्षा निदेशक (बे०) के वैयक्तिक खाते में जमा बाकी धनराशि के एक मुश्त आहरण के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जनपद बाराबंकी के क्षेत्र हैदरगढ़ में कतिपय स्थानों पर इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

153–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत सुवेहा, चौबीसी, पलिया, बटावा, कमेला, खरसतिया, दतौली, चंदा, अन्सारी, सराय गोपी, बहुता, रामनगर, खेराकनकू, भिलवल, दहिला, त्रिवेदीगंज आदि स्थानों पर राजकीय हाई स्कूल इण्टरमीडिएट विद्यालयों को खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नतहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं ।

योजना/बजट प्राविधान न होने के कारण ।

जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड निचलौल एवं सिसवां के कतिपय गांवों में अधूरे बने प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

154–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड निचलौल, महाराजगंज के ग्राम सभा सोहगी बरवां बैठोलिया तथा कुडडलवल एवं विकास खण्ड सिसवां के बीजापार कर्मही आदि प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1991-92, 92-93 तथा 94 में धन अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आवंटित धनराशि से आज तक प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य घटिया सामग्रियों से बनवाकर अधूरा छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या ,सरकार उन विद्यालयों के अधूरे कार्य को तत्काल पूरा कराने एवं गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल सिसवां बाजार जनपद महाराजगंज में किए गए गबन की जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

155–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद, विकास शुल्क, विज्ञान शुल्क, रख-रखाव आदि मदों में धन प्राप्त करने एवं धन को बैंक में जमा कराने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जूनियर हाई स्कूल सिसवां बाजार, महाराजगंज में वर्ष 1991 से लेकर 25-10-92 तक उपरोक्त मदों से प्राप्त धनराशि को बैंक में नहीं जमा की गयी है और प्राप्त धनराशि को शिक्षा क्षेत्र निरीक्षक एवं प्राचार्य द्वारा खर्च के नाम पर ले लिया गया है तथा उपरोक्त स्कूल के नाम से बैंकों में जमा धनराशि को भी योजनाओं के नाम पर बिना योजना का सम्पादन कराये ही निकाला गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के लाखों रुपये की गबन के

प्रकरण की जांच कराकर एवं दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

जी नहीं ।

इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बे०) से विस्तृत तथ्यात्मक आख्या प्राप्त की जा रही है । आख्या प्राप्त होने पर यथोचित अग्रेत कार्यवाही की जायेगी ।

156–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कन्या जूनियर हाई स्कूल पिंडरा जनपद वाराणसी को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने की मांग

157–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी द्वारा संचालित कन्या जूनियर हाई स्कूल पिंडरा ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में सन् 84 से लेकर नवम्बर, 94 तक प्रत्येक वर्ष कक्षा 6,7 व 8 में छात्राओं की संख्या कितनी रही है और कितने अध्यापक तथा अध्यापिकायें एवं परिचारिकायें प्रत्येक वर्षों में कार्यरत रही हैं ? क्या यह सही है कि वर्ष 90 से लेकर वर्ष 94 तक छात्राओं की संख्या 25 से घटते-घटते अब 10 तक रह गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 1984 से नवम्बर, 1994 तक प्रत्येक वर्ष कक्षा 6,7] 8 की छात्र संख्या तथा कार्यरत अध्यापकों एवं परिचारिकों का विवरण संलग्न है ।

वर्ष 1990 में छात्राओं की संख्या 67 थी । वर्ष 1994 में घटते-घटते 10 तक रह गयी है ।

विद्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरण जिला बेसिक शिक्षा समिति की संस्तुति पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 136 पर)

158–श्री ऊदल–

[2 सरे मंगलवार में अता० प्र० सं०–166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

159–श्री जयराम कुशवाहा–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गाजियाबाद की जिला योजना में राजकीय बालिका विद्यालय, विजय नगर की चहार दीवारी हेतुनिर्धारित परिव्यय में आय-व्ययक का प्राविधान न होना

160–श्री बालेश्वर त्यागी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–107 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आय-व्ययक में प्राविधान न करने के दायित्व का निर्धारण हो गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति को क्या दण्ड दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

निर्धारण समयान्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण प्राविधान नहीं हो सका । इस सम्बन्ध में दायित्व का निर्धारण एवं दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

आसिम बिहारी कन्या जूनियर हाई स्कूल मुरादाबाद के लिपिक का वेतन निर्धारण न करने के दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

161–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि आसिम बिहारी कन्या जूनियर हाईस्कूल, मुरादाबाद के लिपिक का दिसम्बर, 1991 से वेतन भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-9-92 के बाद भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा वेतन वितरण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन दोषी हैं ? कब तक भुगतान हो जायेगा ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रश्नगत प्रकरण अभी भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा मुख्यालय में खराब पड़ी सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

162–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के मुख्यालय नगर बांदा में सीवर लाइन बिछाये जाने के उपरान्त खराब हुई एवं आवागमन के लिये बाधित सड़कों के निर्माण में घटिया स्तर की निर्माण सामग्री प्रयुक्त किये जाने एवं टिकाऊ सड़क के निर्माण के लिये प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 21-06-1994 जिलाधिकारी, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 21-6-94 जिस पर ओवरराइटिंग में दिनांक 20-7-94 (पैड संख्या का नं०–036237) अंकित है प्राप्त हुआ ।

सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है । लोक निर्माण विभाग द्वारा जल निगम से आवश्यक समन्वय स्थापित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1994-95 में नई खोली जाने वाली प्राइमरी पाठशालाओं की जानकारी

163–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिला में वर्ष 1994-95 में कितनी नई प्राइमरी पाठशालाओं को खोलने की स्वीकृति दी गयी ? इसमें से कितने विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धन अवमुक्त किया गया ? नये विद्यालय किस-किस विकास खण्ड के किन गांवों में खोले जायेंगे ? इनके चयन का आधार क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

वर्ष 94-95 में 41 प्राइमरी पाठशाला खोलने की स्वीकृति दी गयी है । सभी 41 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा अपेक्षित धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

विकास खण्डवार विद्यालयों की सूची संलग्न है ।

जिला शिक्षा समिति द्वारा शासन की नीति के परिप्रेक्ष्य में चयन किया जाता है । असेवित अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 134-135 पर)

जनपद मिर्जापुर के कतिपय विकास खण्डों में प्राइमरी पाठशालाएं शीघ्र खोले जाने की मांग

164–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं को खोलने की शासन की नीति क्या है ? मिर्जापुर जिला के सीखंड, नरायनपुर एवं जमालपुर विकास खण्डों के किन-किन गांवों में प्राइमरी पाठशालाएं अभी नहीं खोली जा सकी हैं ? इनमें कब तक प्राइमरी पाठशालाओं की स्थापना कर दी जायेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रत्येक असेवित ग्राम सभा में प्राइमरी पाठशाला खोलने की शासन की नीति है ।

विकास खण्ड सीखण्ड में 4, विकास खण्ड नरायनपुर में 10 तथा विकास खण्ड जमालपुर में 9 गांवों में अभी तक प्राइमरी पाठशालायें नहीं खुल सकी हैं ।

प्रदेश की आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिला शिक्षा समिति के निर्णयानुसार विद्यालय खोला जायेगा ।

पडरौना जनपद में छोटी गण्डक पर दुबौली–सोहसा घाट पर पैन्टून ब्रिज शीघ्र बनवाये जाने की मांग

165–श्री अम्बिका सिंह (पडरौना)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना जनपद में छोटी गण्डक पर दुबौली–सोहसा घाट पर पैन्टून ब्रिज बनाने के लिये धन स्वीकृत कर विभाग को देने के बाद भी पुल नहीं बनाया गया है ? इस का क्या कारण है ? पुल कब तक बना कर तैयार हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

संसाधनों की कमी के कारण पैन्टून सेतु का निर्माण पूरा कराया जाना सम्भव नहीं हो पाया है। कार्य का पूरा कराया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र में चलाये जा रहे साक्षरता अभियान के सम्बन्ध में जानकारी

166–श्री परशुराम यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–फैजाबाद में चलाये जा रहे साक्षरता अभियान में बीकापुर क्षेत्र की किन-किन न्याय पंचायतों को साक्षर बनाने के लिये चयनित करके कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? यह कार्यक्रम सरकारी एजेन्सी द्वारा चलया जा रहा है या किसी स्वयं सेवी संस्था द्वारा ? यदि कार्यक्रम किसी स्वयं सेवी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है तो माह जनवरी, 94 से लेकर माह नवम्बर, 94 के बीच उक्त स्वयं सेवी संस्था को कितनी धनराशि जिला प्रशासन द्वारा दी जा चुकी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जिला सारक्षता समिति द्वारा साक्षरता अभियान के लिये समस्त न्याय पंचायतों को चयनित किया गया है।

यह कार्यक्रम वर्तमान में जिला साक्षरता समिति, फैजाबाद द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है।

प्रश्नगत अवधि में जिला प्रशासन द्वारा किसी स्वयं सेवी संस्था को कोई धनराशि नहीं दी गयी है।

जनपद लखनऊ के ग्राम मुंशीगंज से क्योली मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

167–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम मुन्शी गंज से क्योली मार्ग स्वीकृत है जिसके दो किलोमीटर के भाग का डामर लेपन कई वर्ष पूर्व महुरा खुर्द तक कराया गया था जो जगह-जगह टूट -फूट जाने के कारण यातायात के लायक नहीं रह गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण वासियों की आवागमन की परेशानी को देखते हुए इसकी मरम्मत तथा शेष मार्ग का निर्माण करायेगी ?. यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इस मार्ग की लम्बाई 10 कि०मी० है। इसमें से केवल 2 कि०मी० तक का ही मार्ग स्वीकृत है। यह मार्ग सुगम यातायात के लिये उपलब्ध है। स्वीकृत मार्ग की मरम्मत व शेष कार्य का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के बकाया वेतन के भुगतान से संबंधित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

168–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् लखनऊ द्वारा संचालित जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कतिपय प्रधानाध्यापकों का वर्ष 1982 से 1984 तक की अवधि के बकाया देयों के भुगतान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-3-95 शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बकाया देयों के भुगतान के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

उक्त पत्र में उल्लिखित समस्त बकाया देयों की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में फकोट से शिवपुरी तक स्वीकृत मार्ग को शीघ्र बनवाये जाने की मांग

169–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में "फकोट से सेमलीकाटल होते हुए शिवपुरी तक" स्वीकृत हल्का वाहन मार्ग पर आज तक "फकोट" से लो० नि० वि०, नरेन्द्र नगर, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है न ही फकोट से आसपास की सड़क मार्ग में पड़ने वाली भूमि को अधिग्रहीत किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, लो० नि० वि०, नरेन्द्र नगर द्वारा निर्माण प्रारम्भ करने में रुचि नहीं है ? क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । सम्बन्धित काश्तकारों की जमीन तथा वन भूमि का स्वामित्व लो० नि० वि० को होना बाकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे समग्र साक्षरता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि की जानकारी

170–श्री रमेश कान्त लवानिया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्रदेश के किन जिलों में समग्र साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है और क्या शासन ने इस अभियान में लिये अपने हिस्से की धनराशि अवमुक्त कर दी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

प्रदेश में निम्नांकित 45 जनपदों मे सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा संचालित किया जा रहा है :—

(1) चमोली (2) देहरादून, (3) उत्तरकाशी (4) टिहरी गढ़वाल (5) अल्मोड़ा (6) पिथौरागढ़ (7) गाजियाबाद (8) बुलन्दशहर (9) आगरा, (10) मथुरा, (11) मैनपुरी (12) जालौन (13) ललितपुर (14) हमीरपुर (15) झांसी (16) फतेहपुर (17) प्रतापगढ़ (18) कानपुर देहात (19) फर्रुखाबाद (20) इटावा (21) बरेली (22) शाहजहांपुर (23) पीलीभीत (24) बदायूं (25) मुरादाबाद (26) बिजनौर (27) रामपुर (28) खीरी (29) रायबरेली (30) हरदोई (31) उन्नाव (32) फैजाबाद (33) बहराइच (34) सुल्तानपुर (35) बाराबंकी (36) गोण्डा (37) देवरिया (38) बस्ती (39) सिद्धार्थनगर (40) महराजगंज (41) मिर्जापुर (42) गाजीपुर (43) आजमगढ़ (44) मऊ (45) जौनपुर।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 2:1 के अनुपात में धनराशि दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की वर्ष 1992-93 की रु० 202.50 लाख, वर्ष 1993-94 की रु० 374.03 लाख, वर्ष 1994-95 की रु० 303.34 लाख तथा वर्ष 1995-96 की रु० 27.00 लाख अर्थात कुल रु० 906.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद एवं वाराणसी द्वारा संचालित परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद द्वारा संचालित इण्टर के समकक्ष मानने की मांग

171–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद एवं वाराणसी से मध्यमा विशारद परीक्षार्थियों की योग्यता क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण के समकक्ष है ? यदि हां, तो क्या मध्यमा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को सरकारी नौकरियों में तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति हेतु योग्य माना जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से मध्यमा तथा विशारद उत्तीर्ण परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन वाराणसी के नाम से कोई परीक्षा संस्था कार्य कर रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा आयोजित मध्यमा, विशारद परीक्षा के पाठ्यक्रम परिषद् की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य नहीं है।

निधन के निर्देश सम्बन्धी विवरण की मांग

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजियेगा, नियमों के अनुसार जो भी सम्भव होगा, विचार कर लेंगे ।

(मद संख्या–3 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, निधन के निदेश संबंधी विवरण माननीय दलीय नेताओं को दिया जाता था लेकिन इस बार न तो वह जनता दल को मिली है और न ही मुझे मिली है कृपया इसे दिला दें ताकि हम लोग उस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

यह सारे दल के आफिस में भेजा गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, राजेन्द्र गुप्त जी को भी नहीं मिली है, मेरे यहां नहीं है, किरनपाल सिंह जी को भी नहीं मिली है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

वैसे रिसीव सबके आफिसों में है । मैं इसे भिजवाये दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, ऐसा न हो कि निधन किसी का हो और श्रद्धांजलि किसी दूसरे को अर्पित कर दें इसलिये यह जरूरी है ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भागीरथी के निधन पर शोकोद्गार

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, इस आदरणीय सदन में अनेक विद्वान, संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता और अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के सुयोग्य, कर्मठ नेता चुन-चुनकर आते हैं और चूंकि यह जीवन नश्वर है इसलिये एक निश्चित अवधि मे सबकी मृत्यु स्वाभाविक है । ऐसे ही हमारे एक पूर्व साथी इस आदरणीय सदन के सदस्य रह चुके श्री भागीरथी की 13 अप्रैल, 1995 को एक सड़क दुर्घटना मे मृत्यु हो गयी ।

श्री भागीरथी इलाहाबाद के सक्रिय राजनीतिज्ञों में से थे और उन्होंने 1975 के आपातकाल का पूरे देश कैदखाना बना देने का कारवास नैनी कारागार में भुगता था । किसानों की समस्याओं को लेकर भी वह अनेक बार संघर्षरत रहे । किसान कामगार सम्मेलन के वह अध्यक्ष रहे । वर्ष 1977 से लोकदल इलाहाबाद जिला के उपाध्यक्ष रहे । खेती से जुड़े आन्दोलनों में उनकी रुचि थी, अध्ययन भी खूब करते थे । इस विधान सभा में भी उनकी सक्रियता थी उनके निधन से हम सबको आघात हुआ है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी और बहुजन समाज पार्टी की शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों को पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन् स्वर्गीय भागीरथी जी के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। 1991 में भागीरथी जी इस सदन से सदस्य हुये थे। मैंने उनकी कार्य प्रणाली को देखा है। वह जमीन से जुड़े हुये कार्यकर्ता थे और वह बेसहारा लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया करते थे, आज वह हमारे बीच नहीं हैं। गरीब तबके के लोगों ने उनके हित की लड़ाई लड़ने वाला खो दिया, उन्होंने अपना एक अच्छा सैनिक खो दिया है। उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने का साहस दे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, आपने नेता भारतीय जनता पार्टी कह दिया, मैं नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

यह उचित नहीं है। निधन के समय हास्यास्पद स्थिति बना दी जाये, यह उचित नहीं है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

किसी भी सदस्य के शोकोद्गार का समय है, श्रद्धान्जलि का समय है। ऐसे समय में भी इनको मजाक सूझता है।

श्री प्रमोद तिवारी--

जो भूल हो गयी थी, उसको सुधार दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं करने जा रहा हूं। मैं कांग्रेस का नेता हूं। ऐसी मेरी कोई मंशा कल्याण सिंह का नेतृत्व लेने की नहीं आप चिंतित न हों।

तो मान्यवर, भागीरथी जी इलाहाबाद के सक्रिय कार्यकर्ता थे, समस्याओं से जूझने वाले व्यक्ति थे उनकी स्वाभाविक मौत नहीं हुई, बल्कि एक दुर्घटना से हुई। जब वह अपने क्षेत्र से वापस हो रहे थे, उनकी जीप एक खड़ी ट्रक से टकरा गयी और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गयी। वह किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति और कमजोरों के प्रति समर्पित थे। उनके निधन से इलाहाबाद के लोगों को जबरदस्त धक्का लगा है। उनके पुत्र श्री सुरेश पासी इस सदन के सदस्य हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, श्री भागीरथी जी के निधन के बारे में जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय नेता भा०ज०पा० ने और माननीय नेता कांग्रेस दल ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, भागीरथी जी का जन्म इलाहाबाद में 15 दिसम्बर, 1927 को हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की थी। कम शिक्षा प्राप्ति के बाद भी मान्यवर, श्री भागीरथी जी अपने जनपद की इस प्रदेश की प्रत्येक समस्या से अवगत थे और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में खेतिहर मजदूरों की लड़ाइ में हमेशा सक्रिय रहते थे। राजनीति के शुरूआती दौर में उन्होंने

नोट :- वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में रहकर राजनीति की शिक्षा ग्रहण की । वे चौधरी चरण सिंह जी द्वारा बनाये गये किसान कामगार सम्मेलन के जिला इलाहाबाद के अध्यक्ष रहे । लोकदल के जिला इलाहाबाद के उपाध्यक्ष रहे । 1991 में सदस्य चुनकर आये । उनकी रुचि ग्रामोत्थान में बेहद थी । वे सादगी के प्रतीक थे । अच्छे विचारों के व्यक्ति थे । उनके निधन से इलाहाबाद जनपद ने एक बहुत लोकप्रिय और गरीब जनता के लिये लड़ने वाला राजनीतिक खो दिया है । मैं और मेरा दल उनके निधन से, जो दुर्घटना में हुआ, बहुत दुखी है । श्री भागीरथी जी के शोक संतप्त परिवार तक मेरी व मेरे दल की शोक संवेदना पहुंचाने के लिये हम आपसे निवेदन करते हैं ।

*श्री ऊदल–

श्री भागीरथी जी का निधन 13 अप्रैल, 1995 को एक सड़क दुर्घटना में हुआ । उनकी उम्र 68 वर्ष थी । उनके सम्बन्ध में जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी और माननीय किरनपाल सिंह जी ने प्रकट किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । राजनीतिक सक्रियता के कारण ही 1975 में उन्होंने कारावास भुगता । मान्यवर, माननीय भागीरथी जी इलाहाबाद में एक कृषक परिवार में पैदा हुए थे और वे मध्यावधि चुनाव में इस महान सदन के सदस्य के रूप में सिराथू इलाहाबाद से चुनकर आये थे । भागीरथी जी इलाहाबाद में एक सक्रिय राजनीतिक थे ।

किसानों की समस्याओं के प्रति सक्रिय और लगन के साथ उसमें लगे रहते थे । उनके निधन से इलाहाबाद जिले का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है । मैं उनके प्रति शोक प्रकट करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, श्री भागीरथी जी के देहान्त से मैं और मेरा दल दुखी है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । जो सभी दलों के नेताओं ने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

दिवंगत श्री भागीरथी जी पिछली बार इस विधान सभा के सदस्य थे, उनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला था, उनको समझने का मौका मिला था । जो प्रतिबद्धता दलित, शोषित समाज के साथ उनकी थी, जिस तरह से एक साधारण से परिवार से उठकर वह आगे आये थे और समाज को नेतृत्व देने का काम उन्होंने किया था, ऐसी शक्ति बहुत कम लोगों में होती है, आज वह हम लोगों के बीच में नहीं हैं । जो शोक संवेदनायें नेता संसदीय कार्य मंत्री, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, नेता जनता दल ने, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और इन शोक संवेदनाओं को सदन के

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माध्यम से उनके परिवार तक पहुंचाने का निर्देश देता हूं। सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि दो मिनट मौन खड़े हों।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 जुलाई, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

निधन के निर्देश खत्म हुए, अब मैं 301 ले रहा हूं, बीच में व्यवस्था का सवाल कहां से आ गया?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, आप मेरा सवाल सुन तो लें। मेरा एक निवेदन है मेरी पीठ पर पूरी श्रद्धा है, आप पर भी श्रद्धा है, लेकिन ऐसा है कि पिछली बार स्वनामधन्य अध्यक्ष यहां बैठते थे, [× × ×]

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, आप बैठ जायें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह पीट पर आक्षेप है, इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

पहली सूचना डा० राम बाबू हरित की है, वह आये हैं।

आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र के कई मुहल्लों में जल भराव से बीमारी फैलने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ले जैसे मुस्तजाब क्वार्टर्स, थोलू का नगला, बारह खम्बा, प्रकाश नगर (राजीव टाकीज के पास), हमीर नगर, जगदीशपुरा आदि में घनी आबादी होने से काफी पानी, तालाबों, गड्ढों में पहुंचता है, इन सभी स्थानों पर पम्प सेट द्वारा पानी वापस नालों में निकाला जाता है। एक भी दिन पम्प न चलने से इन तालाबो का पानी वापस क्षेत्रीय गलियों, खड़न्जों पर आने लगता है, जिससे सड़े, गन्दे पानी से इन क्षेत्रों की गरीब जनता में बीमारी फैलती रहती है।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा डीजल की चोरी करने व अधिकारियों द्वारा उसकी रोकथाम न कर पाने के कारण अक्सर पम्प सेट नहीं चलते हैं, जिससे बरसात के समय क्षेत्रीय गरीब, मजबूर जनता को काफी कष्ट उठाना पड़ता है । नगर निगम के सीमित संसाधन होने के कारण यदि उपरोक्त स्थानों पर महामारी फैलती है तो बहुत जनहानि होगी क्योंकि वहां बीमारी रोकने के टीके न लगना, मच्छरों को मारने की दवाओं का छिड़काव न होना आदि प्रमुख कारण हैं । मेरी आपके माध्यम से मांग है कि उपरोक्त समस्याओं को दूर कराने का कष्ट करें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

दूसरी सूचना सतीश महाना की है, वह उपस्थित नहीं हैं ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों को नियमित व समय से वेतन भुगतान न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

महोदय, उत्तर प्रदेश में 690 स्थानीय निकायों में लगभग 500 स्थानीय निकायों से सफाई कर्मचारियों को नियमित व समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है । यह समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है इनकी स्थिति में सुधार होना अत्यन्त आवश्यक है ।

महानगरों को छोड़कर छोटे नगरों में चुंगीकर की समाप्ति के पश्चात् स्थानीय निकायों की अधिकांश आमदनी समाप्त हो गई । इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों के पास कोई बड़ा आय का स्रोत नहीं है जिससे सफाई कर्मियों को समय पर नियमित रूप से वेतन दिया जा सके । सरकार के द्वारा जो वेतन अशंदान चुंगी क्षतिपूर्ति व पथकर क्षतिपूर्ति मिलता है वह अपर्याप्त है । वेतन के अभाव में सफाई कर्मियों को अपना जीवन यापन करने में कठिनाई होती है । कई-कई महीनों तक नगरों में हड़ताल रहती है, जिससे नगरों में रहने वालों का जीवन नारकीय हो जाता है । गन्दगी से बीमारी और बीमारी से लोग मौत के शिकार होते हैं । आज छोटे नगरों की यह बहुत बड़ी समस्या है ।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि सफाई कर्मचारियों को नियमित व समय पर वेतन दिलाना सुनिश्चित करें ।

इलाहाबाद नगर निगम (जल संस्थान) द्वारा जल मूल्य तथा सीवर चार्ज के मूल्य में भारी वृद्धि व मनमानी किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

महोदय, इलाहाबाद नगर निगम (जल संस्थान) द्वारा इलाहाबाद महानगर में पिछले वर्ष 1994-95 की तुलना में इस वर्ष 1995-96 के लिए वितरित किये गये बिलों में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम जल मूल्य, अतिरिक्त जल मूल्य, सीवर चार्ज में मनमाने ढंग से भारी वृद्धि कर दी गई है । उदाहरणार्थ ई०डब्लू०एस० श्रेणी के मकानों पर न्यूनतम जल मूल्य रु० 400 से बढ़ाकर 480, अतिरिक्त जल मूल्य 237 रु० से बढ़ाकर रु० 417 तथा सीवर चार्ज रु० 102 लगाया गया है । इसी प्रकार एल०आई०जी० मकानों पर जल मूल्य 300 से 480 रु०, अतिरिक्त जल मूल्य 132 से 312 रु० तथा सीवर चार्ज 72 रु०, मिनी एम०आई०जी० तथा एम०आई०जी मकानों पर जल मूल्य 360 से 720 रु०, अतिरिक्त जल मूल्य 45 से 405 रु० सीवर चार्ज 90 रु० लगाया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ई०डब्लू०एस० और एल०आई०जी० भवनों के लिए जल मूल्य के लिए देय धनराशि 60 प्रतिशत तथा मिनी एम०आई०जी० व एम०आई०जी० भवनों के लिए सौ प्रतिशत बढ़ा

दी गई है । अतिरिक्त जल मूल्य वृद्धि ई०डब्लू०एस० के लिए 76 प्रतिशत एल०आई०जी० के लिए 136 प्रतिशत तथा मिनी एम०आई०जी० व एम०आई०जी० भवनों के लिए 800 प्रतिशत की गयी है । जो सर्वथा अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है । ज्ञातव्य हो कि प्रदेश के अन्य महानगरों में यथा लखनऊ, वाराणसी, कानपुर एवं आगरा में कहीं पर देय जल मूल्य में वृद्धि नहीं की गयी है अथवा की गयी है तो वह इलाहाबाद नगर की तुलना में कम है ।

उपरोक्त वृद्धियों के कारण इलाहाबाद महानगर का जनमानस आंदोलित है । इस वृद्धि के विरोध में सभासदों द्वारा धरना दिया जा चुका है तथा भारतीय जनता पार्टी 25 जुलाई को विशाल धरना करने जा रही है । सरकार से अपेक्षा है कि वह इलाहाबाद नगर निगम (जल संस्थान) द्वारा मनमाने ढंग से न्यूनतम जल मूल्य, अतिरिक्त जल मूल्य, सीवर चार्ज में की गयी भारी वृद्धि को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें । अतः लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं ।

श्री शिव प्रसाद गुप्त राजकीय अस्पताल वाराणसी में एन्टी-रैबीज सुई उपलब्ध न होने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

महोदय, वाराणसी स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्ता राजकीय अस्पताल में विगत अनेक महीनों से एन्टीरैबीज सुई उपलब्ध न रहने से पीड़ित मरीजों को गम्भीर कष्ट का सामना करना पड़ रहा है । ज्ञातव्य है कि उक्त अस्पताल में आस-पास के कई जिलों के मरीज चिकित्सार्थ आते है और वाराणसी पहुंचने में उन्हें श्रम तथा अर्थ का व्यय करना पड़ता है लेकिन मरीज को लेकर अस्पताल आने पर जब उन्हें बताया जाता है कि सुई उपलब्ध नहीं है तो मरीजों के लिए घोर कष्टकारी स्थित उत्पन्न होती है एवं उन्हें बाहर से मूल्य देकर सुई खरीदना और लगवाना पड़ता है जो गरीब तथा आर्थिक रूप से विपन्न जनता के लिए एक गम्भीर समस्या बन जाती है । उपरोक्त स्थिति में उक्त अस्पताल में अविलम्ब एन्टीरैबीज सुई उपलब्ध कराकर गरीब पीड़ित जनता को अविलम्ब राहत पहुंचाना अति आवश्यक है । अतः उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट कर उक्त अस्पताल में एन्टीरैबीज सुई उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन को निर्देशित किये जाने की मांग करता हूं ।

प्रदेश के जिला एवं केन्द्रीय कारागारों में निरपराध बन्द हजारों कैदियों को रिहा किए जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल–

मान्यवर, प्रदेश की जिला एवं केन्द्रीय कारागारों में 26 हजार कैदी ऐसे हैं जिसमें बहुतों ने अपनी पूरी सजा काट ली है और जेलों में बन्द हैं । तथा हजारों कैदी ऐसे हैं जिनको बिना सजा के बिना मुकदमा चलाये जेलों में बन्द रखा गया है बहुत से कैदियों के मुकदमें के कागजात पुलिस थानों में नहीं हैं । इस तरह से प्रदेश की जेलों में 26 हजार कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है । इससे प्रदेश की जनता में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है । इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के

संज्ञान में लाकर सभी 26 हजार कैदियों जिनकी सजा पूरी होने के बाद बन्द रखा गया है तथा जिनको बिना मुकदमा चलाये बन्द रखा गया है रिहा करने की मांग सरकार से करता हूं।

गोण्डा जनपद के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में अग्निकाण्ड से पीड़ित लोगों को सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर गोण्डा में भीषण आगजनी में इस वर्ष कई दलितों, पिछड़ों के गांव जल कर तबाह हो गये हैं और धन-जनकी क्षति हुई है। लोगों के पास खाने को नहीं बचा है घर में रक्खा सारा सामान जल गया विकास खण्ड मनकापुर में कटहर वुटहनी, दुलहीया, कल्यान गुन्दापुर (मिटौरा) लोनियम पुरवा (पटीठ) मधवापुर गुनौरा, विशुनपुर, बड़हवा, पिकौरा झिलाडी विकास खण्ड बजीरगंज में सेहरिया अजवनगर, बसन्तीपुरवा, खीरीडीह आदि छपिया ब्लाक में खुजरी सगंवा, विकास खण्ड नवाब गंज देवीनगर आदि ग्रामों में लोगों का अनाज एवं सामान जल कर राख हो गया, अग्निकाण्ड में अधिकतर अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों का नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि बहुत ही कम अभी तक अग्नि पीड़ितों को सहायता नहीं पहुंचाई गयी सम्बन्धित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा परेशान किया जा रहा है जिससे जनता में जनाक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि समस्त अग्नि पीड़ित ग्रामों का सर्वे करवा कर पीड़ित लोगों को इन्दिरा आवास योजना में मकान बनवाया जाए और मिलने वाली राहत सहायता की राशि बढ़ायी जाए। राहत सहायता देने में उदासीनता बरतने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

चूंकि श्री सतीश महाना नहीं हैं, इसलिए इनकी सूचना के स्थान पर मैं प्रतीक्षा सूची से क्रम संख्या–1 पर अंकित सूचना श्री स्वयंवर चौधरी जी की ले रहा हूं।

सिद्धार्थ नगर के इटवा क्षेत्रान्तर्गत राप्ती नदी के किनारे बसे गांवों को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वयंवर चौधरी–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र इटवा (7) जनपद-सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बीच से होकर बहती है। इस नदी के किनारे पल्टी, पल्टा, एकड़ेंगवा, गौरा बाजार, मिर्जापुर, अकबर, अहमवा आदि गांव बसे हैं। इस समय बरसात में नदी ने भयंकर रूप धारण करके तटीय इन गांवों में तबाही मचा रखा है। लोग गांव से भाग कर बंधों के तट पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। इन गांवों के पशुओं को खिलने हेतु चारा की भारी किल्लत उठानी पड़ रही है। शासन की तरफ से इस नदी के किनारे बांसी, डुमरियागंज, बांध बनाया जा रहा है। इससे जगह-जगह बंधा अधूरा पड़ा है। इससे जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। ड्रेनेज विभाग के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। बंधा न बनने से क्षेत्र में व्यापक असंतोष है। अधूरा बन्धा पूर्ण बनाना अति आवश्यक है। किसी समय भी अप्रिय घटना हो सकती है। यह लोक महत्व का अविलम्बनीय महत्वपूर्ण मामला है। इस पर सदन में चर्चा कराने की आवश्यकता है। अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न को 301 के अन्तर्गत स्वीकार करके सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण सम्बन्धी नीतिगत घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत श्री प्रमोद तिवारी जी व श्री नरेश अग्रवाल जी की सूचना है। मैं पहले श्री नरेश अग्रवाल जी को बुलवा रहा हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह परम्परा रही है और पीठ से भी निर्देश दिये जाते रहे हैं कि विधान सभा सत्र के आहूत होने के बाद नीतिगत कोई भी घोषणा सदन के बाहर नहीं की जायेगी। विधान सभा सत्र के आहूत होने के बाद 2 जुलाई को प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली में घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने पर सहमत हैं और इसे शीघ्र देने जा रही हैं। परन्तु बाद में अपने सहयोगी दल के दबाव में मुख्य मंत्री जी का जवाब आया कि वह 15 प्रतिशत के स्थान पर 8.44 प्रतिशत का आरक्षण अल्पसंख्यकों को देंगे। 5 जुलाई को सरकार ने एक शासनादेश जारी कर दिया, जिसके अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण में से 8.44 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों को दे दिया गया। विधान सभा सत्र 14 जुलाई से होने वाला था और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का ज्ञान था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 50 प्रतिशत की सीमा लगी हुई है आरक्षण में और जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होता तब तक इससे अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पिछड़े वर्ग के लोगों को मण्डल कमीशन के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया और आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत हो गई थी।...

उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की जिससे सदन की अवमानना हुई, जानबूझ कर अवमानना की है क्योंकि सत्र आहूत हो चुका था तो वोट के लालच में इस प्रकार की घोषणा की। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में दिया हुआ है उसे आप देखें इसमें लिखा है कि "इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपलब्ध करने से निवारित नहीं करेगी।"

राज्य सरकार को अधिकार है कि सदन से प्रस्ताव पास करा कर केन्द्र सरकार को भेजे और उस पर जोर डाले। आज हम 50 परसेन्ट आरक्षण ही सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को दे सकते हैं। मैं आपकी आज्ञा से दो प्रस्ताव रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि सदन का निश्चित मत है कि अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को देखते हुए इन्हें सरकारी नौकरी में 15% अलग से आरक्षण दिया जाय।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

नहीं आप प्रस्ताव न रखें इसकी ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। प्रस्ताव रख लूं दूसरा प्रस्ताव है सदन का निश्चित मत है कि अगड़ी जातियों के उन गरीबों को जो समाज में दयनीय दशा में रह रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं को उनके उत्थान के लिये सरकारी नौकरी में 10% अलग से आरक्षण दिया जाय।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें । प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक भ्रम जनता में पैदा हो गया है । उस भ्रम को दूर करने के लिये सरकार स्पष्ट घोषणा करे अन्यथा इस पर सदन की राय ले ली जाय । इसलिये मेरे इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करने की कृपा करें ताकि जो भ्रम पैदा हो गया है वह दूर हो जाय ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर) जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है उस पर जिनके हस्ताक्षर हैं उनको ही मैं सुनूंगा । इस पर दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है जिस पर निर्णय लेने के लिये आपको ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा । मान्यवर, मुझे 1980 से लगातार इस सदन में आने का अवसर मिला है और यह परम्परा रही है कि जब सदन की बैठक आहूत हो जाय तो नीतिगत मामलों में घोषणा सदन के बाहर मुख्य मंत्री या मंत्री नहीं करेंगे ।

मान्यवर, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, यह प्रदेश की 15 करोड़ जनता से संबंधित है । तो इस प्रकार की घोषणा 2 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री जी ने की कि वह अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगी । यही नहीं 14 ता० को यहां बैठक हो गयी थी तो 15 ता० को माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरठ में एक सभा में घोषणा की कि अल्पसंख्यकों को वह आरक्षण देंगी । मेरा इसमें कोई मतभेद नहीं है सरकार अपनी नीति सुनिश्चित करने की हकदार है । वह एक तरफ कहती हैं कि अल्पसंख्यकों को 15 परसेंट आरक्षण देंगी दूसरी तरफ उनका समर्थक दल जिसके समर्थन से यह सरकार टिकी हुई है वह इसके विरोधी हैं । मैं आपके माध्यम से इस औचित्य के प्रश्न से स्पष्ट जानना चाहता हूं इनकी क्या नीति है । एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आरक्षण 50 परसेंट से ज्यादा नहीं होगा । तो यह जो 15 परसेंट आरक्षण देना चाहते हैं यह कहां से आयेगा । मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं और उनसे जानकारी चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की कोई घोषणा की है या नहीं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां बुलाकर पूछें और उनके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाय उनकी इस संदर्भ में क्या नीति है । यह संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है । यह दोनों दल स्पष्ट करें कि 15 परसेंट आरक्षण के संबंध में वह अपनी नीति स्पष्ट करें । मान्यवर, मैं समाचार-पत्रों में नहीं जाना चाहता हूं । सरकार से मेरा स्पष्ट सवाल है कि हम विरोधी दल में बैठे हैं लेकिन सरकार को अपनी नीति बतानी पड़ेगी इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है आरक्षण के संबंध में ।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है । मेरा आरोप है कि सदन की बैठक आहूत है तो नीतिगत घोषणा सदन के बाहर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कैसा किया है ? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है कि यदि बसपा की सरकार 15 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों को देगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिरा देगी । इसलिये मेरा स्पष्ट सवाल है कि बसपा की सरकार की अल्पसंख्यकों के बारे में क्या नीति है ?

मान्यवर, मेरे पास एक पत्र है, यह सरकार कह दे कि 15 प्रतिशत आरक्षण के लिये हमने नहीं कहा था तो मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन मेरे पास जो पत्र है उसे हम आपको दिखा देंगे, जो प्रधान मंत्री को लिखा गया है और कहा गया है कि 15 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया

जाय । वह पत्र मेरे पास है यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं उसे पढ़कर सुना दूं । मान्यवर, इस पत्र के बाद मुख्य मंत्री जी अपनी घोषणा से कैसे बाहर जा सकती हैं । पत्र पढ़ रहा हूं । (व्यवधान) [× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो पत्र आप पढ़ना चाहते हैं उसकी प्रति यहां दी जानी चाहिए थी जो नहीं दिया है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

(व्यवधान के मध्य) वह पत्र मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को सम्बोधित किया है । पत्र में 15 प्रतिशत आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिये जाने हेतु संवैधानिक संशोधन किये जाने के संबंध में लिखा है । (व्यवधान) मान्यवर, मेरी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी यदि इस पत्र को स्वीकार करती है तो वह अपना समर्थन सरकार से वापस ले वरना 15 प्रतिशत आरक्षण के बारे में अपनी नीति सरकार स्पष्ट करे । सदन चल रहा है 15 प्रतिशत आरक्षण का पत्र मुख्य मंत्री का है मैं उसे आपके पास भेज रहा हूं । यदि यह पत्र है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीति [× × ×]। इसलिये सरकार अल्पसंख्यकों के आरक्षण के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करे ।

अल्प संख्यकों के आरक्षण संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे गये पत्र को पढ़े जाने तथा पत्राचार के लीकेज होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि व्यवस्था के प्रश्न पर मैं खड़ा हुआ और आपने मेरा नाम भी पुकारा लेकिन सदन अव्यवस्थित था और यदि सदन व्यवस्थित होता तो मैं अपनी बात कहता किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्पष्ट निर्देश है कि यदि कोई माननीय सदस्य कोई पत्र पढ़ेंगे तो उसकी मूल प्रति आपके पास भेज दी जायेगी और वह प्रति आपको मिल जानी चाहिए थी । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सुश्री मायावती की ओर से भारत सरकार को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि क्या आपको मिल गयी है ?

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का पत्र भारत सरकार को गया है, यह गम्भीर मामला है कि प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री के पत्राचार को इन्हें कैसे उपलब्ध करवा दिया ? वह पत्र प्रधान मंत्री को भेजा गया होगा अथवा समाज कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी जी को भेजा गया होगा । यदि प्रधान मंत्री ने या समाज कल्याण मंत्री जी ने सामान्य शिष्टाचार का निर्वाह नहीं किया तो यह निन्दा की बात है । कोई भी मुख्य मंत्री हो, प्रधान मंत्री हो, उनके पास के समाचार को लीक नहीं होना चाहिए लेकिन यहां यह पत्राचार लीक हो गया है जिसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है । मान्यवर, यदि पत्र आपके पास नहीं आया है तो उसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी ?

(व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

केवल उसका सन्दर्भ दिया जा सकता है, किन्तु इस तरह नहीं कि (व्यवधान) सदन ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमारे लोगों के बोलने के बीच अपने दल की वरिष्ठता और दल के नेता के नाम पर बाधा उत्पन्न करेंगे तो कोई दूसरा भी नहीं बोल पायेगा, मैं यह बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। इस में प्रश्न यह है कि क्या प्रधान मंत्री द्वारा अपने पत्र इस तरह अपने दल के नेता को भेजा जाना चाहिए, और जो पत्र बिना पीठ की अनुमति के पढ़ा गया, आपकी पीठ पर भी नहीं गया, वह क्या सदन में पढ़ा हुआ माना जाएगा ? मेरा मत है कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

पहले मेरे पास वह पत्र नहीं आया था, इसलिए उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

(तत्पश्चात्, तुरन्त उत्तेजित होकर कांग्रेस दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के समस्त उपस्थित सदस्यों सहित सदन के फ्लोर पर आ गए उनके द्वारा नारे लगाए जाने लगे कि वह कार्यवाही का अंग बनेगा, जरूर बनेगा भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में सदन नहीं चलेगा जिससे घोर व्यवधान हो गया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

आप पत्र निकाल सकते है, लेकिन जो बोला है, उसको कैसे निकाल सकते हैं ? यह आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हमने आपको सहयोग दिया है उसके यह मतलब नहीं है। हमने आपको पत्र का उद्धरण दिया है पत्र नहीं दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

आपने एक बार प्रमोद तिवारी जी को अनुमति दी, प्रमोद तिवारी जी ने उसे पढ़ा, किन्तु आप भारतीय जनता पार्टी के उपनेता के कहने से उस पत्र का संज्ञान नहीं लेंगे (व्यवधान)।

श्री प्रमोद तिवारी–

[× × ×]

(व्यवधान)

भले ही आप हमें इंगित करके निकाल दें, लेकिन पीठ का अपमान करने के लिए मैं न आपके साथ हूं और न भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। [× × ×] मान्यवर, आपने निर्णय भारतीय जनता पार्टी के [× × ×] में दिया है .....(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

हमने पत्र पढ़ा है, कार्यवाही से निकालने के लिये नहीं पढ़ा है। इसे कार्यवाही का हिस्सा बनना चाहिए।

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

[× × ×] यह महत्वपूर्ण मसला है । [× × ×] (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मेरी आपसे अनुरोध है कि आपको इस विषय में जो कुछ कहना है वह अपने स्थान से कहें । [× × ×] नियमावली के तहत निर्णय दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह इस तरह से सदन नहीं चलेगा । राजेन्द्र गुप्त जी ने एक प्रश्न किया कि यह पत्र कहां से प्राप्त हुआ ? आप इस विषय में सुनते । इस तरह से [× × ×] निर्णय दे रहे हैं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

[× × ×] आपने मेरी बिना अनुमति से वह पत्र पढ़ा इसलिए मैं उसे कार्यवाही से निकलवा रहा हूं । आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बात कहें । यहां वैल में न कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप हमें इंगित कर दीजिये, सदन से निकलवा दीजिये । [× × ×] आप यहां दबाव में अध्यक्षता चला रहे हैं । आप मुख्य मंत्री जी को जबाव देने के लिये कहें । मुख्य मंत्री जी नहीं आयेंगी तो सदन कैसे चलेगा ? यह पत्र कार्यवाही से नहीं निकाला जाय । (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

तिवारी जी ने जो पत्र पढ़ा है वह मुख्य मंत्री जी की तरफ से प्रधान मंत्री जी को गया था । इसको कार्यवाही का अंग बनाया जाय । इस तरह से कैसे सदन चलेगा ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर चले जायं वहां से कहें जो कहना है । आपको पत्र की कापी देनी चाहिए थी कि नहीं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

भेज रहे हैं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

भेज रहे हैं क्या ? पहले देनी चाहिये थी । उसके बाद मैं अनुमति देता तब पत्र पढ़ते । मेरी अनुमति के बिना पत्र पढ़ा है मैं इसलिए इसको कार्यवाही से निकाल रहा हूं । व्यवस्था यही है कि नहीं ?

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री नरेश अग्रवाल–

गुप्ता जी के कहने से आप इसे वापस ले रहे हैं जैसे कि वह संसदीय कार्य मंत्री हों । मुख्य मंत्री जी को बुलायें । उनका पत्र है, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने यह पत्र लिखा कि नहीं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अभी इस प्रश्न का जबाव दिया जायेगा । लेकिन मेरी अनुमति के बिना पढ़े पत्र को मैं कार्यवाही से निकाल रहा हूं । औचित्य के प्रश्न पर मेरा निर्णय होगा । संसदीय कार्य मंत्री जी को इस विषय पर अपनी बात कह लेने दें ।

(व्यवधान)

विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्प संख्यकों के आरक्षण सम्बन्धी नीतिगत घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वयं अपना वक्तव्य है, आरक्षण के सम्बन्ध में । आरक्षण का प्रतिशत घटाकर 8.44 कर दिया । इस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि आरक्षण का वास्तविक क्या प्रतिशत है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग अपनी सीट पर चले जायं । संसदीय कार्य मंत्री जी को बात कहने दें । इस तरह से सरकार का पक्ष आ जायेगा तब मैं निर्णय दूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

स्वयं मुख्य मंत्री जी सदन में जवाब दें । हम उनसे सुनना चाहते हैं । इनको और किसी को जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है । इस पत्र को कार्यवाही का अंग बनाया जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मुख्य मंत्री जी को बुलवाने की कृपा करें । कभी कभी ऐसे अवसर आये हैं जब मुख्य मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने के लिये बुलाया गया है । संविधान के अनुच्छेद–164(2) में पूरे मंत्रिपरिषद् की सदन के प्रति जवाबदेही है ।

(घोर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया जाएगा कि वह जवाब दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

उत्तर प्रदेश सरकार संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत जवाबदेह है ।

(घोर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

बिना मुख्य मंत्री के सदन नहीं चलने देंगे । आप सदन को स्थगित कर दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

समाचार पत्रों से प्रदेश को गुमराह नहीं करने देंगे ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 12 मिनट पर श्री कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 27 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है । अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था आरक्षण नीति के संबंध में । माननीय मुख्य मंत्री जी लखनऊ में नहीं हैं । हमने जो प्रस्ताव रखा था वह विचाराधीन है । मेरा आपसे निवेदन है कि इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी से दिलवा दें ताकि प्रदेश की जनता को संदेश मिल सके कि आरक्षण की नीति क्या है ?

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही थी और वह इस प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी के संदर्भ में थी । मैंने यह बताने की प्रयास किया था कि मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखा था, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के आरक्षण की हिमायत उन्होंने की थी । मैं वह पत्र नहीं रख सका, मैं उसके सारांश या भावों को प्रस्तुत कर रहा था । मान्यवर, आपको ज्ञात है कि अगर कोई डाकूमेंट रखा जाता है तो उसकी एक प्रतिलिपि आपको और एक प्रतिलिपि सरकार को देनी पड़ती है । मैं यह विश्वास प्रकट करता हूं कि उसके जो अंश मैंने उद्धृत किये हैं, जिसका मुझे अधिकार है, मैं कोई लेख्य या सामग्री का अंश अपने कथन में दे सकता हूं और उसके भावार्थ या शब्दार्थ को सारांश में प्रस्तुत कर सकता हूं, ऐसी स्थिति में उस पत्र को यहां पर लाने की आवश्यकता नहीं है और मान्यवर, आपने कहा है कि यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । आप कृपा पूर्वक, जो कुछ मैंने कहा है उसको शब्द-ब-शब्द स्वीकार करें और उसे कार्यवाही का भाग रहने दें । इस संबंध में माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो कहा है कि पत्र लिखने वाली माननीय मुख्य मंत्री हैं इसलिये वह सदन में आयें और उसका जवाब दें । ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अगर वह पत्र का भावार्थ है तो वह कार्यवाही का अंग बनेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

माननीय तिवारी जी ने और माननीय नरेश अग्रवाल जी ने नियम 300 में आरक्षण के बारे में सवाल उठाया है। श्रीमन्, मैं पूरी विनम्रता के साथ तिवारी जी की नरेश अग्रवाल जी की इस बात से सहमत हूं कि नियम 300 में दी गयी सूचना का उत्तर देने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां उपस्थित होना चाहिये लेकिन माननीय तिवारी जी और माननीय अग्रवाल जी जानते हैं कि मंत्रि-परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और कोई भी मंत्री माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी सूचना का जवाब दे सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय पाल साहब बैठें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात पूरी हो जाने दें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न की जो ग्राह्यता है उसके संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देंगे और सदन सुन लेगा। लेकिन जिस पत्र के सारांश का यहां पर उल्लेख किया गया है उसकी सार्वजनिक घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है और उस घोषणा की जगह, जो 15 प्रतिशत की घोषणा की गयी थी, उसकी जगह पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण 27 प्रतिशत का दिया गया था उसमें से 8.44 प्रतिशत अब देने की बात कही गयी है। इससे पूरे प्रदेश में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है। यह एक नीतिगत विषय है इस संबंध में आप कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी पीठ से निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पहले सुन तो लें।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप मुख्य मंत्री जी को बुलाने की कृपा करें। आज नहीं बुला सकते हैं तो 2-3 दिन बाद बुला लें। आप रूलिंग रिजर्व कर दें, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय जगदम्बिका पाल जी से प्रार्थना करूंगा कि जब श्रीमन्, मुझे आपने बुला लिया तो वह बीच में खड़े होकर मेरी बात काटेंगे तो यह उचित नहीं है। माननीय नरेश जी, माननीय तिवारी जी की बात हमने धैर्य से सुनी। आपने सरकार का पक्ष रखने के लिए मुझे बुलाया, मैं अपनी बात रख रहा था, पाल साहब अपना आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण करें कि जब उधर से बोलने के लिए खड़े हों और अपनी बात कहें तो इधर की बात भी धैर्य पूर्वक सुनें। मैंने पहले ही निवेदन किया कि 300 की जो नोटिस है, मंत्रि-परिषद् के प्रत्येक सदस्य को नियम 300 की नोटिस का उत्तर देने का अधिकार है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में हर समय उपस्थित रहें। नोटिस के संबंध में माननीय तिवारी जी ने और माननीय नरेश जी ने कहा कि आरक्षण के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई घोषणा किया है और कोई बयान दिया है। हमारे दल के उप नेता, वर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने मांग की थी, जब पुरानी सरकार यहां पर सत्तारूढ़ थी माननीय मुलायम सिंह जी की, तो वर्मा जी ने मांग की थी कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए।

श्री नरेश अग्रवाल–

कितने प्रतिशत ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने राम लखन वर्मा जी का नाम लिया है, वह यहां पर उपस्थित हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, यह तरीका ठीक नहीं है। मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो बीच में बोलने लगते हैं, मैं समझता हूं कि यह संसदीय तरीका नहीं है।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी यह प्रार्थना है कि आदरणीय सदन का संचालन नियमों और परम्पराओं से होना चाहिए। मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। नियम 3(X) की नोटिस की ग्राह्यता अलग है और विषय की मेरिट पर विचार अलग है। पहली बात यह है कि नोटिस ग्राह्य है या नहीं चर्चा इस पर हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ग्राह्यता के पक्ष में बोलेंगे कि चर्चा होनी चाहिए या नहीं ? अगर विषय पर चर्चा होगी तो पत्र भी आयेगा और आरक्षण नीति भी आयेगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता भी अपना मत रखना चाहेंगे। किन्तु यहां पर दो विषय हैं एक मेरिट और दूसरी ग्राह्यता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि ग्राह्यता और मेरिट दोनों को मिक्स न होने दें अन्यथा चर्चा का लाभ नहीं होगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, नियम 3(X) में माननीय तिवारी जी और माननीय नरेश अग्रवाल जी नोटिस पर बोले, माननीय सदस्यगण विषय के बाहर कदाचित बोलकर यहां वेल आफ द हाउस में आ गये थे।

श्री प्रमोद तिवारी–

विषय के बाहर मैं नहीं गया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, वह बैठे-बैठे टिप्पणी कर रहे हैं कि विषय के बाहर नहीं गया।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने टिप्पणी की कि हम विषय के बाहर गये हैं। संसदीय कार्य मंत्री विषय से बाहर जा सकते हैं हम नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जहां तक नियम 300 की बात है यह सूचना सदन की कार्यवाही के संचालन से संबंधित नहीं है, माननीय नरेश जी, माननीय तिवारी जी की सूचना का संबंध इस आदरणीय सदन की कार्यवाही संचालन से नहीं है इसलिए विस्तार में न जाकर मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको अग्राह्य करें । मैंने पहले भी अनुरोध किया है । माननीय अग्रवाल जी नियम 300 (6) देखें, जानकारी मांगने के लिए या किसी विषय पर चर्चा करने के लिए नियम 300 के अन्तर्गत सूचना नहीं उठायी जा सकती है । बार-बार बाधा डालकर, दबाव डालना चाहते हैं, सरकार किसी तरह के दबाव में नहीं आयेगी । नियम 300 के अन्तर्गत यह नहीं आती है, मेरा निवेदन है कि इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कांग्रेस विधान मण्डल की आगे की जो तीन कुर्सियां हैं उसमें 3 कीलें लगी हैं उसको आप निकलवा दें तो इन्हें बैठने में आसानी होगी ।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो दो सदस्यों की सूचना माननीय नरेश अग्रवाल और माननीय प्रमोद तिवारी के हस्ताक्षर से है उसमें मैंने दोनों माननीय सदस्यों को सुन लिया है और उसके बाद सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लिया अब इस पर किस तरह आप लोगों को बोलने दिया जाय ।

जो विषय श्री प्रमोद तिवारी जी और नरेश अग्रवाल जी ने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल सहित कांग्रेस दल के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री हरि शंकर तिवारी–

(फ्लोर से) मान्यवर, आपको निष्पक्ष काम करना चाहिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

(सदन के फ्लोर से) सदन के सभी सदस्यों को विश्वास में लेकर आपको सदन चलाना चाहिए, अगर आप निर्णय को बदलेंगे तो यह आपत्तिजनक है ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान बना रहा)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें, इस पर कभी नोटिस देकर इस विषय को आप लायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

रूलिंग रिजर्व कर लीजिये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप अगर कमरे के अन्दर की बात करें तो इन्कार करेंगे तो हम मानने वाले नहीं हैं ।

(फ्लोर से) आप मुख्य मंत्री को बुलाइये उसके बाद ही यह सदन चलेगा ।

सदन में कैमरे द्वारा चित्र लिए जाने पर आपत्ति

(दीर्घा से कैमरे का फ्लैश लाइट चमकने पर)

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, यह सदन में क्या हो रहा है इसकी जांच करवाइये ? यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है ।

(घोर व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे)

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यहां पर देशद्रोही ताकतें आयी हुई हैं और यहां चित्र ले रही हैं । सदन के अन्दर का चित्र ले रही हैं । बड़ी गम्भीर बात है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मार्शल, इसको देखें ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

आई०एस०आई० के एजेन्ट का काम है । यहां का पूरा सीन लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि इस आदरणीय सदन की सुरक्षा में कहीं कोई कमी है । हमारी भी आंखों में चमक आयी है ।

श्री दल बहादुर कोरी–

ऐसा काम करने वाले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये । फोटो कैसे खींची गयी ? कैमरा वहां तक कैसे गया ? सुरक्षा में कहीं कोई कमी है । इसको आप गम्भीरता से लें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जैसे ही मेरे संज्ञान में यह चीज आयी है, मैंने मार्शल को भेजा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

किसके हस्ताक्षर से पास बनवाया गया है ?

विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण संबंधी नीतिगत घोषणा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी–

प्रदेश के आरक्षण का मामला है । पाल जी ने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, विषय गम्भीर है । सभी दल के नेतागण अपनी-अपनी भावनायें व्यक्त करना चाहेंगे । मेरी राय है कि सभी दल के नेताओं के हस्ताक्षर से यह आ जाये और उस दिन सभी दल के नेताओं को सुन लेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

तब तक आप अपना निर्णय सुरक्षित रख लें ।

(व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर आये माननीय सदस्यगण फ्लोर पर खड़े रहे)

श्री नरेश अग्रवाल (फ्लोर से)–

मैं इसे नियमावली के नियमों के तहत लाया था ।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, अनुच्छेद 164 (2) में मंत्रि-परिषद् की इस सदन के प्रति जवाबदेही है । आज सदन के बाहर माननीय मुख्य मंत्री जी नीतिगत घोषणा कर रही हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, निवेदन है कि इस प्रकरण पर अपना निर्णय सुरक्षित कर दें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय किरनपाल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं उनको सुन लें ।

सदन में कैमरे द्वारा चित्र लिए जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री नीरज चतुर्वेदी–

मान्यवर, ऊपर दीर्घा से यहां की फोटो ली गयी है ।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, जांच करवा लें कि कौन लोग हैं जो फोटो खींचने की बात कही जा रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कृपापूर्वक निर्णय सुरक्षित करने के लिये घोषणा कर दें ।

श्री छब्बू पटेल–

मान्यवर, वह सदन की दीर्घा में आकर फोटो खींच सकते हैं तो बम भी फेंक सकते हैं । यह गंभीर मसला है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

इस पर कार्यवाही होगी, जांच करवा रहा हूं ।

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर चले जायें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण संबंधी नीतिगत घोषणा किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

आप इस सदन के अभिभावक हैं, इस सदन के संरक्षक हैं, अगर आप इस सदन की सार्थकता, उपयोगिता बनाये नहीं रखेंगे तो मान्यवर इसके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो भी बात मैं सुनूंगा जब आप अपने स्थान पर चले जायेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल (फ्लोर से)–

[x x x]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो यह सदन के फ्लोर पर खड़े रहकर वार्तालाप हो रहा है क्या यह कार्यवाही का अंग बनेगा ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करने के लिये कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो की जानी चाहिये, नहीं तो यह परिपाटी चल जायेगी। (व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर खड़े श्री नरेश अग्रवाल व अन्य सदस्य नारे लगाने लगे–"भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, [x x x] तानाशाही नहीं चलेगी–नहीं चलेगी)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने स्थान पर वापस जायें जो भी बात कहनी हो वहां जाकर कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम संसदीय परम्पराओं को मानने वाले हैं, लेकिन आप इस सदन की प्रतिष्ठा को, मर्यादा को दांव पर न लगायें। इस सदन की गरिमा का, इसकी रक्षा का दायित्व आप पर है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग जो भी कहना चाहते हैं, अपने स्थान पर जाकर कहें।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज आप दूसरे दिन इस कुर्सी पर बैठे हैं। आपके कक्ष में एक निर्णय हुआ और यहां आकर आपने उसे बदल दिया, आप इस तरह के निर्णय न करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप हम लोगों को निकाल दीजिए, लेकिन हम लोग जनता के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। आरक्षण नीति सदन में स्पष्ट होनी चाहिये।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोगों की महत्वपूर्ण नोटिसें आगे भी लगी हुई हैं, कृपया अपने स्थान पर जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप हम लोगों के अनुरोध पर विचार कर लें। उसके बाद निर्णय ले लें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

सदन का बहुत कीमती समय जाया हो रहा है और आप लोगों के विचार नहीं आ पा रहे हैं।

(कांग्रेस दल के वेल में आये माननीय सदस्य नारा लगाते रहे–

सदन के अन्दर तानाशाही नहीं चलेगी, बहुमत के आधार पर तानाशाही नहीं चलेगी, भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, [x x x] तानाशाही नहीं चलेगी)

(भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सदस्यों ने अपने-अपने स्थानों से नारा लगाया–कांग्रेस की यह तानाशाही नहीं चलेगी)

(कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारा लगाया–गांधी के हत्यारों की तानाशाही नहीं चलेगी)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर वापस जायें, उसके बाद अपनी बात कहें।

श्री नरेश अग्रवाल–

आपने तो अपना निर्णय दे दिया, अब हमको न्याय कहां से मिलेगा ? कक्ष के अन्दर जो बात हो, वह यहां बदल दी जाय, ऐसा पहली बार हुआ है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, स्पीकर और दलीय नेता कक्ष के निर्णय को कभी नहीं बदलते।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने एक सुझाव रखा है कि सभी दलों के नेताओं की राय आने दें। मैं माननीय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने माननीय सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने के लिए निवेदन कर लें। आप जब एक स्पष्ट व्यवस्था दे चुके हैं कि सभी माननीय नेताओं को विचार करने का अवसर मिले तो अच्छा रहेगा और माननीय तिवारी जी और विभिन्न दलों के नेतागण नोटिस दे सकें तो अच्छा होगा। श्रीमन्, अभी और भी विषय लम्बित हैं और बजट पर चर्चा भी होनी है। माननीय तिवारी जी, अपने सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने को कहें। इस विषय को फिर से नये सिरे से उठा लीजिएगा। तमाम ऐसे अवसर आयेंगे जब आपको मौका मिलेगा।

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस इशू पर मुख्य मंत्री जी का जवाब स्पष्ट रूप से आना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री उनके कहने पर बोलेंगे ही क्योंकि यह तो इनके नौकरी का प्रश्न है लेकिन यह जो इशू है इसमें पूरे प्रदेश की जनता का प्रश्न है। इस सरकार की आरक्षण नीति क्या होगी यह स्पष्ट करें, केवल वोटों के लिए घोषणा की जाती है। मान्यवर, इस सदन के सामने उनकी जिम्मेदारी है और इस सदन में उनको बोलना पड़ेगा, ऐसे सदन नहीं चलेगी। आप उनको संरक्षण दे रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो बात आप कह रहे हैं वह अपनी सीट पर जाकर कहें, वेल में रहकर नहीं। सीट्स पर जाकर अपनी बात कहें, मैं आप लोगों को सुनूंगा।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जब तक कोई काला कानून और नियम स्पष्ट नहीं होगा, हम सुनने को तैयार नहीं है। इसको जनता के बीच में स्पष्ट करना होगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

कभी भी फैसले, स्पीकर पीठ से और दलीय नेताओं द्वारा नहीं बदले जाते।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग जो कहना चाह रहे हैं वह अपनी सीट से कहें, मैं सुन लेता हूं। मेरा स्पष्ट मत है कि इस पर आप सभी दल के नेतागण हस्ताक्षर बना करके नोटिस दे दें, उस पर विचार हो जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस सदन का उपहास न उड़वाइये। एक मुद्दा यहां पर उठाया गया। माननीय तिवारी जी कि चैम्बर में एक राय बनी और यहां पर निर्देश दूसरे हुये तो विरोधाभास पैदा हुआ। यह

–* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

विरोधाभास कैसे हल हो यह निर्णय आपको करना है। यह आधे घण्टे से जो इस सदन का उपहास हो रहा है, यह हम सबके लिए शर्म की बात है। अगर इसी तरह से सिलसिला रहा तो उत्तर प्रदेश की जनता इस सदन की ओर अच्छी नजर से नहीं देखेगी, इस पर आप निर्णय दें।

(श्री हरि शंकर तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री राम विशुन आजाद आदि कई कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन के वेल में बैठ गये।)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों से पुरजोर अनुरोध कर रहा हूं कि वह अपनी सीट पर चलें और सदन का कीमती समय न गवायें।

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री राम विशुन आजाद, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल आदि कई कांग्रेस के माननीय सदस्य वेल में बैठे रहे) (व्यवधान)

माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी से निवेदन है कि वे अपने माननीय सदस्यों को वापस सीट पर आने के लिए कहें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जो लोग वेल पर बैठे हुए हैं, वे लोकतांत्रिक मान्यताओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी श्री मुलायम सिंह जी के माउथ पीस बनकर काम करते रहे।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य, वेल पर बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी-अपनी सीट पर वापस चले जायं।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर व्यवधान)

अन्य माननीय सदस्यगण की भी महत्वपूर्ण सूचनायें हैं, जिन पर विचार विमर्श होना है।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के वेल पर आने और कुछ कहने का प्रयास करने पर)

आप जो सुझाव देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, वह अपनी सीट पर जाकर कहें। साथ ही अपने माननीय सदस्यों को भी सीट पर वापस ले जायं।

(डा० सरजीत सिंह डंग के खड़े होने पर व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल जी अपनी सीट पर वापस चले गये)

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आपको संविधान व नियमों के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। आपने एक व्यवस्था दे दी। चन्द लोग यह चाहते हैं कि सदन में अव्यवस्था कर सदन की कार्यवाही न चलने दी जाय, जो कदाप्रि उचित नहीं है।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कांग्रेस के दो गुट हैं। (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों से अनुरोध करता हूं (व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इनकी बचनबद्धता मुलायम सिंह जी से है इसलिये यह सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं।

श्री राम विशुन आजाद–

हम लोग आपकी पीठ पर नहीं चढ़ते है हम गांधीवादी हैं। (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अगली नोटिस माननीय किरनपाल सिंह जी की और राम आसरे वर्मा जी की है। माननीय वर्मा जी आप ग्राह्यता पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस अव्यवस्था की स्थिति में अगर कुछ कहा जायेगा तो न तो आप सुन पायेंगे और न हम सुन पायेंगे, पहले सदन को व्यवस्थित कीजिये उसके बाद नाम पुकारें। (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण जो वेल पर बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी सीट पर चल कर बैठें। आगे आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण सूचनायें हैं जिनको लिया जायेगा। अभी नियम 56 है तथा और भी सूचनायें हैं जो आप लोगों द्वारा दी गयी हैं।

विधान सभा सत्र के दौरान सदन के बाहर मुख्य मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण संबंधी नीतिगत घोषणा किए जाने विषयक औचित्य के प्रश्न पर चर्चा की मांग

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल सुन लीजिए। जो आपके कक्ष में बातें होती हैं उनका यहां जिक्र नहीं होना चाहिये लेकिन इस सरकार में दो-बार आपके कक्ष में मीटिंग हुई और जो निर्णय हुआ उनका उल्लंघन सरकार के पक्ष से हुआ है। पहले दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें जो तय हुआ था उसका उल्लंघन वरिष्ठ सदस्य माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने प्रस्ताव लाकर किया। चालाकी से यह प्रस्ताव लाये बंदेमातरम् का सवाल था उस पर किसी ने आपत्ति का सवाल नहीं उठाया। आज भी जो तय हुआ आप जानते हैं हम दो तीन लोगों के अलावा वह बात हुई, हमें नहीं मालूम। पता नहीं क्या बात हुई क्या तय हुआ उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं [x x x]

मान्यवर, आज यह बहुत गंभीर विषय कांग्रेस के साथियों ने उठाया है। मान्यवर, यह ऐसा गंभीर विषय है जिसके निर्णय से देश और प्रदेश की आगे आने वाली पीढ़ी पर अच्छा या बुरा असर पड़ेगा। मान्यवर, जो निर्णय आपके कक्ष में हुआ था वह बदल गया है लेकिन फिर भी निवेदन है कि सभी दलों

नोट :–[x x x] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के नेता इस पर लिखकर दें कि खुली डिबेट हो जाए चूंकि बहुत से दलों की नीति स्पष्ट नहीं है। इसलिए प्रमोद तिवारी जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि सदन एक फोरम है जहां ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है और जिससे इस गंभीर विषय पर सभी दलों की क्या राय है वह स्पष्ट हो जायेगी। मान्यवर, रूलिंग की बारीकी में न जाकर, आप चाहे रूलिंग रिजर्व कर दें लेकिन चूंकि यह गंभीर विषय है इसलिए निवेदन है कि इस विषय पर डिबेट के लिए कोई दिन तय कर लें जिसमें सभी दलों के नेता बोल लें और अपनी-अपनी राय दे देंगे जिसे देश व प्रदेश की जनता जान सकेगी कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण के संबंध में क्या राय है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं जनता दल के नेता की राय से सहमत हूं।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह कृपया शांत रहें। माननीय सदस्यों से कहना है कि जिस विषय को मा० सदस्यों ने उठाया है उसकी गंभीरता को देखते हुए आज जो नोटिस प्राप्त हुई है उसमें कांग्रेस के श्री प्रमोद तिवारी और श्री नरेश अग्रवाल, दो माननीय सदस्यों, के हस्ताक्षर हैं। इन दो माननीय सदस्यों में एक के विचार आ चुके हैं। मेरी राय है कि एक नोटिस आज सभी नेताओं की तरफ से हस्ताक्षर करके भेज दें जिससे सभी दलों के नेताओं के क्या विचार हैं वह आ सकेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सभी दलों के नेताओं के एक नेटिस पर दस्तख्त कैसे हो सकते हैं ? मान्यवर, यह तो हो सकता है कि आप अपने विवेक से निर्देशित करें कि इस मुद्दे पर फलां तारीख को चर्चा करायी जायेगी ताकि इस पर सभी नेता अपने विचार व्यक्त कर सकें।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मेरी पहले व्यवस्था सुन लें वर्मा जी (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

सबके दस्तखत एक साथ कैसे हो सकते हैं ? |xxx|

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा सिर्फ इतना कहना है पहले सुन लें....

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल में कांग्रेस दल के बैठे लोग एक दम से खड़े हो गये और एक साथ अपनी बात कहने और नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

नोट :–|xxx| यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x]

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि...(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर में उपस्थित कांग्रेसी सदस्य नारे लगाने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(नारों की प्रतिक्रिया स्वरूप भा० ज० पा० पार्टी की ओर से भी कुछ नारे लगाये गये ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

आप स्वयं अपनी ओर से चर्चा कराने की घोषणा नहीं कर सकते हैं ? इसके लिए हमें नोटिस देनी पड़ेगी, [x x x]

श्री प्रमोद तिवारी–

(मान्यवर, भाजपा के खेल में न फंसिये ।

[x x x]

श्री राम कुमार शुक्ल–

आधा घण्टे से यह तमाशा यहां हो रहा है, सदन पूरी तरह से अव्यवस्थित है, लेकिन आप सब देख रहे हैं, किन्तु समुचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे सदन चल पायेगा ?

(व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मुलायम सिंह जी की पार्टी ने इस सदन का बहिष्कार कर रखा है और आप हमें निकाल दीजिये, फिर एक तरफा सदन चलाइये । यह आपके अधिकार में है, हम लोगों को इंगित करके निकाल दीजिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

सर्वश्री प्रमोद तिवारी व नरेश अग्रवाल, सर्वश्री राम आसरे वर्मा व किरन पाल सिंह, श्री बालेश्वर त्यागी, सर्वश्री जगदम्बिका पाल, यशपाल सिंह व नरेन्द्र सिंह तथा डा० सरजीत सिंह डंग एवं सर्वश्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, राम विशुन आजाद व श्री अखिलेश सिंह द्वारा प्राप्त समस्त नियम 300 की सूचनाओं को निरस्त किया जाता है ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 †

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 1995 †

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 3.15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 55 मिनट पर मा० कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। 3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा० कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन का

---

† दिनांक 8 अगस्त, 95 में असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हुआ है।

स्थगन 4 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है । 4 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा० कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।

(दोपहरान्त 4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही मा० कार्यवाहक अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

(मद संख्या 12 पुकारे जाने पर कांग्रेस दल के श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम विशुन आजाद, श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय के साथ अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और आरक्षण नीति के संबंध में शासन के दृष्टिकोण जानने की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान पैदा हो गया ।)

(फ्लोर से)

श्री नरेश अग्रवाल–

आप किसी के आग्रह को सुनते नहीं हैं तो सदन कैसे चलेगा ?

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आज दिनांक 17-7-95 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राम्यता हेतु सुना जायगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सहारनपुर में "पेट्रो-डालर बम" का भीषण विस्फोट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री बदन सिंह की आगरा शहर में पीने के पानी की कमी तथा प्रदूषित जल आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री बची सिंह रावत की जनपद अल्मोड़ा में दूषित पेयजल की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री यशपाल सिंह चौधरी, श्री यशपाल सिंह आर्य की प्रदेश में बढ़ती साम्प्रदायिक घटनाओं तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की जनपद बांदा की कोतवाली देहात के अन्तर्गत भइयादीन नामक व्यक्ति की कथित रूप से पुलिस द्वारा हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । छठीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की सावन महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन, पूजन तथा जलाभिषेक के साथ ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर स्थित श्रृंगार गौरी के परम्परागत दर्शन पूजन पर प्रशासन द्वारा रोक लगाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

सातवीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की जनपद बाराबंकी में सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने तथा मोहम्मदपुर खाला थानान्तर्गत खड़ेहरा ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या एवं एक दर्जन व्यक्तियों की घरों में हुई लूटपाट की घटना के संबंध में है ।

आठवीं सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ल की झांसी नगर में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्य नारे लगाते रहे। अल्पसंख्यक विरोधी सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी।)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अपने-अपने स्थान पर जाएं।

श्री प्रमोद तिवारी–

(फ्लोर से) हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप पुनर्विचार कर लें।

(घोर व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने दी है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीरी उग्रवादियों के हाथ उ० प्र० में भी फैलने लगे। दिनांक 3-7-95 को प्रातः सहारनपुर में घंटाघर के निकट अम्बाला मार्ग पर बस के भीतर भीषण बम विस्फोट हुआ। 6 व्यक्ति तत्काल मर गये। 40 से अधिक घायल कई की दशा चिन्ताजनक है। मृतकों में 3 पुरुष, 2 महिलायें तथा एक बच्चा है। बस चण्डीगढ़ से आकर अम्बाला जा रही थी। सेना के बम विशेषज्ञों ने "पेट्रो केमिकल बम" का धमाका बताया है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सुश्री मायावती की सरकार को अस्थिर बनाने की नियत से सुनियोजित तरीकें से यह खाण्ड पाकिस्तान परस्त कश्मीरी उग्रवादियों नें किया है। वह प्रदेश में सरकार की बढ़ती हुई लोकप्रियता को समाप्त करने के लिये भय, आतंक तथा हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मैं आपके माध्यम सें माननीय प्रमोद तिवारी जी से प्रार्थना करता हूं कि वे और उनका दल अगर अल्पसंख्यकों मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं तो भारत सरकार के प्रधान मंत्री से बात करें वे उनके दल के नेता हैं। उनसे बात करके आरक्षण की सीमा बढ़वायें। हमारी सरकार ने 8.44 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों के लिये किया है मुलायम सिंह यादव यह नहीं कर पाये। हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य लगातार नारे लगाते रहे–किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, । x x x । यह सरकार नहीं चलेगी। [x x x]

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

इस पर मैंने अपनी व्यवस्था दी है। सभी आदरणीय सदस्यगण सभी दलों के आदरणीय नेतागण संगत नियमों के तहत एक नोटिस दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आदरणीय सदस्यगण से मेरा अनुरोध है कि जो वेल में हैं वह अपने अपने स्थान पर जायं ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

(फ्लोर से) अब ठीक से सदन चला रहे थे ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

संगत नियमों के अन्तर्गत दे दीजियेगा और कल सभी नेतागण विचार व्यक्त कर लेंगे । कल इस संबंध में सूचना दे दें । उस पर सभी दलों के नेताओं के विचार आ जायेंगे, सभी पार्टियों की क्या नीति है, यह स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

आप इस विषय पर चर्चा मुकर्रर कर दीजिये ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । सभी दलों के नेतागण एक सूचना संगत नियमों के अन्तर्गत मेरे पास पहुंचवा दें जिस दिन चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगी, हर दल के क्या विचार हैं, क्या नीति है, वह आ जायेगा । उसमें सुनने के बाद मैं भी अपना विनिश्चय दे दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मान्यवर, आप कानूनविद है परम्पराओं को जानते हैं । मान्यवर, आप उस पीठ से निर्णय लेने में सक्षम हैं ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी से निवेदन है कि वे कृपया अपने सदस्यों को सीटों पर बैठने के लिये कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर परम्पराओं का हनन हो रहा है । भारतीय जनता पार्टी के चलते अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके हितों का दमन हो रहा है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण जो वेल में हैं, वे कृपया अपने स्थान पर चले जायं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी है, आगरा में पेयजल संकट व्याप्त है । 20 लाख की आबादी वाले आगरा शहर के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

श्री नरेश अग्रवाल (फ्लोर से)–

आप एक आगरा की समस्या कह रहे हैं यहां पूरे प्रदेश में समस्या उत्पन्न हो गयी है । मान्यवर, आप इस पर निर्णय दें ।

श्री बदन सिंह–

दूषित पीने के पानी से मान्यवर, वहां विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मान्यवर, इसका एक मात्र विकल्प यमुना नदी पर बैराज बनना है। परन्तु स्थापित खण्ड के हटने से अब कोई आशा नहीं रह गयी है। इसमें शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। इसमें चर्चा करायें।

(सदन के फ्लोर पर खड़े माननीय सदस्य श्री राम विशुन आजाद व अन्य नारे लगाने लगे। | x x x |

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की कथनी-करनी में अन्तर है आज माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी भी इनके दबाव में दिखते हैं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो बेल में माननीय सदस्य हैं वे कृपया अपने स्थान पर चले जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–56 की सभी सूचनाओं को निरस्त किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा होगी।

(माननीय नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर और घोर व्यवधान के कारण साधारण चर्चा प्रारम्भ नहीं हो सकी)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब मैं नियम–51 ले रहा हूं।

(कांग्रेस दल के वेल में आये हुए सदस्य नारा लगाते रहे _| x x x |सरकार नहीं चलेगी, अल्पसंख्यक विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, | x x x | यह सरकार नहीं चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, भाजपा की |x x x | नीति नहीं चलेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आज दिनांक 17-7-1995 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद नगर में गम्भीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, जिसे

नोट :–|xxx| यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट :–|xxx| यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री स्वंयवर चौधरी की जनपद सिद्धार्थनगर के विस्कोहर कस्बे में पानी की निकासी एवं पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को भी वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया जाता है । तीसरी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की, प्रदेश में भयंकर रूप से फैली आंत्रशोथ की जानलेवा बीमारी के संबंध में है, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया जाता है । चौथी सूचना श्री राजकुमार शिवहरे की बांदा नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री राजाराम त्यागी की जनपद रायबरेली के महराजगंज उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायबरेली के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठीं सूचना श्री बदन सिंह की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में सूखा से पशुओं में बीमारियों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सभी सूचनायें निरस्त की जाती हैं ।

(घोर व्यवधान)

(अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी, कर्मचारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है, भाजपा की | x x x | नीति नहीं चलेगी, |x x x | सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी आदि नारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य लगाते रहे ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

सदन में कैमरे द्वारा चित्र लिये जाने विषयक सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूं । आज दिनांक 17 जुलाई, 1995 को जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, लगभग 2 बजकर 15 मिनट अपराह्न पर, जब कांग्रेस (आई) विधान दल के सदस्यगण माननीय श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्णय दिये जाने के साथ ही सदन के "वैल" में आ गये । पत्रकार दीर्घा नं०–2 में बैठे हुए एक व्यक्ति ने अपने पास के छोटे वैग से कैमरा निकाल कर सदन के सदस्यों की स्थिति का फोटो खींचा । जैसे ही कैमरे की फ्लैश लाइट चमकी तत्काल गैलरी में जाकर उक्त व्यक्ति को गैलरी से हटा दिया गया और उससे उक्त दीर्घा में प्रवेश के संबंध में दीर्घ प्रवेश पत्र तथा परिचय पत्र आदि की मांग की गयी तो उस व्यक्ति ने अपने पास से विधान सभा सचिवालय (पटल कार्यालय) द्वारा जारी विशिष्ट दीर्घ का प्रवेश पत्र सं०–4 प्रस्तुत किया । उक्त प्रवेश पत्र श्री अब्दुल सलाम खां, प्रधान सम्पादक को 14-7-95 से 21-7-95 के लिये जारी किया गया है । उक्त प्रवेश पत्र के अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति जिसने अपना नाम अब्दुल सलाम पुत्र श्री अब्दुल बारी, निवासी-गूजर टोला, रामपुर बताया, के पास से "आल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एसोसियेशन", शाखा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र तथा जिला सूचना अधिकारी रामपुर के द्वारा जारी परिचय पत्र सं०–वी–1–एफ 26, जो 5-1-95 से 4-1-97 तक के लिये वैध है, प्राप्त हुआ ।

इस सचिवालय द्वारा विशिष्ट दीर्घा के लिये जारी प्रवेश पत्र के आधार पर कार्यालय के अभिलेखों से मूल आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जो इस टिप्पणी के साथ मूल रूप में संलग्न है । उस व्यक्ति के

पास से "कोडक" "क्रोमा" 35 कैमरा जो एक काले रंग के केस में है, भी प्राप्त हुआ । श्री अब्दुल सलाम ने इस कैमरे से सभा मंडप की स्थिति का फोटो खींचना भी स्वीकार किया । दीर्घा में प्रवेश के संबंध में उस व्यक्ति ने बताया कि "मैं फाइव स्टार टाइम्स" नामक मासिक पत्रिका का संपादक हूं, जिसका मुख्यालय 109–बाल विद्या हाऊस, गूजर टोला रामपुर है तथा अभी राज्य सूचना विभाग द्वारा मुझे मान्यता नहीं प्राप्त हुई । मैंने अपनी पंत्रिका के प्रकाशन के लिए रजिस्ट्रार जनरल न्यूज पेपर्स, नई दिल्ली के पास पंजीकरण हेतु आवेदन किया है, अभी पंजीकरण संख्या आवंटित नहीं हुई । मैंने सचिव, विधान सभा के कार्यालय में सादे कागज पर लिखकर प्रवेश पत्र मांगा था और वहां से मुझे पटल कार्यालय भेजा गया, जहां से प्रवेश पत्र संख्या–4 प्राप्त हुआ जिसे लेकर पत्रकार दीर्घा के बगल के जीने से होते हुए सुरक्षा कर्मचारियों को पत्रकार के रूप में बताकर दीर्घा में प्रवेश कर बैठ गया । मैंने अपने पास कैमरा होने की बात किसी को नहीं बताई थी तथा सभा मण्डप की फोटो नहीं ली जा सकती, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी और मैंने एक फोटो खींच लिया है जो इस कैमरे में है । जानकारी न होने की वजह से मैं दीर्घा में कैमरा लेकर चला गया और मैंने एक फोटो खींच लिया इस गल्ती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं ।"

उक्त व्यक्ति के पास से प्राप्त कैमरा कवर सहित, दोनों परिचय पत्र, दीर्घा प्रवेश पत्र सं०–4 तथा मूल आवेदन पत्र इस रिपोर्ट के साथ आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है ।

उक्त श्री अब्दुल सलाम इस समय मार्शल की अभिरक्षा में हैं । मेरे विचार से ऐसे उच्छृंखल व्यक्ति के आचरण को महत्व देना उचित नहीं होगा । अतः यदि सदन सहमत हो तो उक्त व्यक्ति के कैमरे से रील निकाल कर नष्ट कर दी जाये तथा कैमरा उसे वापस करते हुये मार्शल की अभिरक्षा अवधि को पर्याप्त सजा मानकर, भविष्य में इस प्रकार के आचरण न करने हेतु चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये तथा उसे पत्रकार के रूप में जारी प्रवेश-पत्र निरस्त कर दिया जाये ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नरायण दीक्षित)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने अभी-अभी जो सूचना सदन में दी है, उससे यह सदन सहमत है ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

17 जुलाई, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

संख्या : 6761/जी०एस०/94

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र मोहन,
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
3–समस्त पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।
4–समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।
5–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 16 जुलाई, 1994

विषय :––प्रदेश में वेश्यावृत्ति के उन्मूलन एवं उनकी सुरक्षा आदि के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

शासन की जानकारी में यह तथ्य आया है कि प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न तथा बाल वेश्यावृत्ति की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई है । प्रदेश में कतिपय स्थानों पर बाल वेश्यावृत्ति चलने के अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से प्रदेश तथा बाहर बाल वेश्याओं को भेजा जाता है । उदाहरणार्थ जौनसार, भावर, देहरादून मे कतिपय अनुसूचित जन जातियां ऐसी हैं जहां से देश के विभिन्न भागों में बाल वेश्यायें भेजी जाती हैं । इस समस्या का समुचित ढंग से एवं व्यापक रूप से निदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । समस्या के निदान के लिये यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर इससे सम्बन्धित समस्त आंकड़े उपलब्ध हों तथा उनका प्रभावी ढंग से अनुश्रवण किया जाय ।

2–अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जिले में जिस प्रकार अनुसूचित जाति आदि पर हुए अपराधों की सूचना पृथक रूप से प्रेषित की जाती हैं उसी प्रकार से महिला उत्पीड़न एवं बाल वेश्यावृत्ति के मासिक आंकड़े गृह विभाग तथा सचिव, महिला एवं बाल विकास को प्रेषित करें ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3–आपसे यह भी अनुरोध है कि बाल वेश्यावृत्ति बाहुल्य क्षेत्र में इस कुप्रथा को रोकने हेतु प्रभावी नियंत्रण करने की कार्यवाही करे तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु उठाये गये कदमों की सूचना भी मासिक रूप से नियमित भेजें।

4–महिला एवं बाल देह व्यापार के समस्त मामलों को अंकित किया जाय तथा उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाय। ऐसे समस्त मामलों की रिपोर्ट संबंधित थाने द्वारा पुलिस अधीक्षक को दी जायेगी तथा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले से सम्बन्धित ऐसे समस्त मामले की रिपोर्ट की एक प्रति प्रमुख सचिव, गृह विभाग, एक प्रति सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को तथा एक प्रति महिला प्रकोष्ठ को भेजेंगे।

5–प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक की देख-रेख में बाल वेश्यावृत्ति उन्मूलन तथा महिला उत्पीड़न के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया जाय तथा प्रकोष्ठ के गठन की सूचना प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ० प्र० शासन को भेंजी जाय। यह समस्त सूचनाएं 31 जुलाई तक प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दी जाय।

भवदीय,

सुरेन्द्र मोहन,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 6761 (1)/जी० एस०/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य सचिव के आदेशानुसार दिनांक 29 मई, 94 को गठित समिति की बैठक की कार्यवाही से मुख्य सचिव को अवगत कराने का कष्ट करें।

2–प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग।

3–सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।

4–सचिव, श्रम विभाग।

5–सचिव, समाज कल्याण विभाग।

6–सचिव, न्याय विभाग।

7–महानिदेशक, पुलिस, उ० प्र० को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से भी उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दें।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र मोहन,

प्रमुख सचिव।

नत्थी 'क–1'

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1992 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री बच्चा पाठक, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न सं०–55 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
55–क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सोनगांव, तहसील, अकबरपुर जनपद फैजाबाद में स्थित श्री केदार नाथ जू० हा० स्कूल के नाम कुछ जमीन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ? यदि हां, तो अंकित रकबा व प्लाट नम्बर क्या है ? कब से किसके आदेश से भूमि दर्ज है ।	जी नहीं ।
क्या यह सही है कि जिस भूमि पर विद्यालय की स्थापना बतायी जाती है, वह भी उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है ?	जी हां ।
यदि हां, तो उक्त भूमि किसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और कितनी ?	उक्त भूमि जोत चकबन्दी आकार पत्र-23 भाग–1 के खाता–704 में 0–16–4 क्षेत्रफल रसूल बक्श पुत्र बुद्धू निवासी उक्त ग्राम के नाम एवं खाता सं०–900 में 4–10–0 क्षेत्रफल ग्राम सभा में बंजर में अंकित है ।

रमापति शास्त्री, राजस्व मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित श्री बच्चा पाठक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–34 का उत्तर ।

प्रश्न

34–क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदारनाथ जूनियर हाई स्कूल सोनगांव, तहसील अकबरपुर जनपद-फैजाबाद जिस भूमि पर स्थित है क्या उक्त भूमि संबंधित विद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है ? यदि नहीं, तो उक्त विद्यालय को किन नियमों के अन्तर्गत अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है ? इस अनियमित कार्य के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ?

उत्तर

जी हां ।

विद्यालय का आंशिक भाग 999/3 पर बना है जिसे ग्राम सभा द्वारा विद्यालय के पक्ष में पट्टा किया गया है । इसके अतिरिक्त विद्यालय का आंशिक भाग चक संख्या–528 पर बना है जिसे श्री भवानी भीख सिंह द्वारा दान स्वरूप विद्यालय को दिया गया है । उक्त अभिलेखों को दृष्टि गत रखने हुए विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई है । इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

डा० मसूद अहमद, शिक्षा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (ख)

(देखिये अ० ता० प्र० सं० 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ–42 पर)

वार्षिक जिला योजना परिव्यय : 1994–95

(हजार रु० में)

जनपद	कुल परिव्यय
1	2
आगरा	144535
अलीगढ़	170246
एटा	133091
मैनपुरी	83116
मथुरा	110141
फिरोजाबाद	90840
झांसी	93032
ललितपुर	85188
हमीरपुर	205797
बांदा	170469
जालौन	158485
लखनऊ	118348
रायबरेली	150087
हरदोई	187555
उन्नाव	144522
सीतापुर	183759
खीरी	171503
बरेली	153848
बदायूं	159652
पीलीभीत	85052
शाहजहांपुर	134376
मेरठ	158461
गाजियाबाद	118379
बुलन्दशहर	149295
सहारनपुर	118334
मुजफ्फरनगर	142008
हरिद्वार	64691
मुरादाबाद	208739
रामपुर	85393
बिजनौर	125744

(हजार रु० में)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद	कुल परिव्यय
1	2
वाराणसी	196032
भदोही	66265
गाजीपुर	160222
मिर्जापुर	132733
सोनभद्र	100201
गोरखपुर	187501
महराजगंज	111893
बस्ती	209184
सिद्धार्थनगर	146616
देवरिया	145218
पडरौना	143437
आजमगढ़	195758
मऊ	87838
बलिया	150035
जौनपुर	212555
इलाहाबाद	262263
फतेहपुर	119044
प्रतापगढ़	170174
कानपुर नगर	103326
कानपुर देहात	214202
फर्रुखाबाद	146619
इटावा	135959
फैजाबाद	178206
सुल्तानपुर	232406
गोण्डा	225833
बाराबंकी	162686
बहराईच	195508
नैनीताल	293878

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
अल्मोड़ा	248620
पिथौरागढ़	318451
देहरादून	215548
पौड़ी गढ़वाल	273220
टेहरी गढ़वाल	246092
चमोली	217567
उत्तरकाशी	181862

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 121 का उत्तर पीछे का पृष्ठ 71 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–121

तृतीय–

जनपद पडरौना के क्षेत्र पंचायत रामकोला, कप्तानगंज, हाटा एवं मोती चक में आने वाले ग्रामों का नाम जहां प्रा० पा० नहीं है–

विकास क्षेत्र	क्षेत्र पंचायत का नाम
1–रामकोला	1–रामपुर खास
2–कप्तानगंज	2–धारा 3–सुम्हाखोर, 4–भड़सर नारायन 5–चरयाकला 6–मुजहना 7–बरडीहा 8–जमली 9–शुकरौली 10–मुण्डेरा 11–राजमंदिर 12–मोहन मुण्डेरा 13–सोना पाकड़ 14–भलुही 15–पड़ौली 16–बड़हरानगर 17–भिस्वा उर्फ विशुनपुरा 18–भिस्वा 19–घुरहूपुर 20–बंलुआ 21–बसन्तपुर 22–रामपुर माफी 23–तवक्कलपुर 24–रघुनाथपुर 25–औराई कृतपुरा 26–भिट्ठा उर्फ कप्तान नगर 27–मेहड़ा 28–पठखौली
3–हाटा	29–हाटा डुमडवाउर्फ मुडिला 30–घरमौजा 31–चकनारायनपुर 32–बरवाखुर्द 33–मुजहना रहीम 34–पीपरा शीतल 35–गोपालपुर 36–ढाढा खुर्द 37–रामपुर महारथ 38–बतरौली 39–पिपरही भडकुंडवा 40–पकड़ी 41–सिरसिया 42–पोखर भिन्डा 43–भिस्वा बाजार 44–टिकरी 45–परेवादाई 46–सोहसापट्टी 47–महुईखुर्द 48–महुई बुजुर्ग 49–तुर्कवलिया 50–नकटनी 51–रामनगर 52–अमरपुर 53–भरवलिया 54–मइरहा 55–अहिरौली राय 56–चुरामन छपरा 57–पतई 58–भठही बाबू 59–रामपुर पट्टी
4–मोती चक	60–पगरा बरडीहा 61–अर्कपुर 62–झनमनपुर देउरवा 63–गोनहा 64–भुलई 65–सोहिया 66–तुर्कहा 67–पोखर भिण्डा 68–रानीभार हरैया

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० संख्या–163 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–163 का संलग्नक

1994-95 में स्वीकृत नवीन विद्यालय खोलने की सूची

1–प्रा० पा० कमालपुर–नरायनपुर
2– ,, ,, सहरसा (बनकी) मड़िहान
3– ,, ,, रामपुर ,,
4– ,, ,, सहवां जमालपुर
5– ,, ,, मौरवां हलिया
6– ,, ,, हथिया बाल ,,
7– ,, ,, पवारी खुर्द ,,
8– ,, ,, खम्हरियां कलां ,,
9–देवरिया (दिउरी ग्राम सभा) नगर
10– ,, अखियारपुर (केवटावीर) मझवां
11– ,, बडरहा (सेमरी) मझवां
12– ,, ,, वकिया
13– ,, ,, मसेडुटटवां मड़िहान
14– ,, ,, कहुली
15– ,, ,, मड़िहा सीखड़
16– ,, ,, बसारतपुर ,,
17– ,, ,, अमिरती पहाड़ी
18– ,, ,, नेवढ़िया (कठिनई) पहाड़ी
19– ,, ,, भौराराजा ,,
20– ,, ,, भोजपुर पहाड़ी ,,
21– ,, ,, सूर्यवान (मोहनपुर) ,,
22– ,, ,, महवारी ,,
23– ,, ,, सुखनई ,,
24– ,, ,, मरेराडीह जमालपुर
25– ,, ,, मोरनी ,,
26– ,, ,, इरापुर ,,
27– ,, ,, देवरिया ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

28– ,, ,, दलवासपुर ,,
29– ,, ,, रीवा ,,
30– ,, ,, रसूलपुर ,,
31– ,, ,, बलुआ बजा हुए राजगढ़
32– ,, ,, समुदेवा ,,
33–प्रा० पा० बराडीह राजगढ़
34 ,, ,, गड़गेरी कोन
35–,, ,, हसनीपुर ,,
36–,, ,, सिथुरियां छानवे
37–,, ,, बड़ेहचाखेड़ा ,,
38–,, ,, बमनी मु० पुरवा ,,
39–,, ,, रानीबारी लालगंज
40–,, ,, छिवलहवा ,,
41–,, ,, महुलार ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० संख्या–157 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–157 का संलग्नक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी से प्राप्त सूचनानुसार परिषदीय कन्या जूनियर हाईस्कूल पिण्डरा ब्लाक जिला वाराणसी में सन् 1984 से लेकर नवम्बर, 1994 तक कक्षा 6, 7 व 8 में छात्राओं की संख्या, कार्यरत अध्यापक- अध्यापिकाओं का विवरण निम्नवत् है :–

कन्या उ० प्र० विद्यालय पिण्डरा, वाराणसी कक्षावार छात्र संख्या ।

वर्ष	कक्षा–6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	अध्यापक	परिचारक
1	2	3	4	5	6	7
सितम्बर,84	45	35	37	117	5	1
सितम्बर,85	78	44	36	158	5	1
सितम्बर,86	46	57	38	141	2	1
सितम्बर,87	22	33	28	83	3	1
सितम्बर,88	20	21	35	76	2	1
सितम्बर,89	27	22	19	68	3	1
सितम्बर,90	23	23	21	67	3	1
सितम्बर,91	09	18	15	42	2	1
सितम्बर,92	03	07	17	27	2	1
सितम्बर,93	07	03	06	16	2	1
सितम्बर,94	02	05	03	10	2	1

पी० एस० यू० पी०–एल० 196 विधान सभा (473)–1995–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा